रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
13 SEP 1978
GOVT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड I
PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 109] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 1, 1978/ज्येष्ठ 11, 1900
No 109] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 1, 1978/JYAISTHA 11, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(अप्रत्यक्ष कर प्रभाग)

नई दिल्ली, 1 जून, 1978

सार्वजनिक सूचना

सं० प्रतिग्रहायगी/सा० सू० 27/78—सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति ग्रहायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 23 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०ग्र०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर यथासंशोधित सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रहायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् —

सभी क्रमांकों, उपक्रमांकों और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, —

टिप्पणी —इसके साथ उपाबद्ध सारणी में उल्लिखित प्रतिग्रहायगी की दरों में, प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिग्रहायगी शामिल है, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो।

सारणी

नियमों के साथ संलग्न अनुसूची में क्रम संख्या	उप क्रम संख्या	माल का विवरण	प्रतिग्रहायगी की दर
1	2	3	4
1		परिरक्षित फल, और फल निर्मितियां, खाद्य सामग्री, जिव्हा बन्द, बोतल बंद अथवा अन्यथा अन्यत्र अविनिर्दिष्ट सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां —	
	101	परिरक्षित फल और फल निर्मितियां, खाद्य सामग्री जिव्हा बंद, बोतल बंद अथवा अन्यथा अन्यत्र अविनिर्दिष्ट सभी प्रकार की खाद्य सामग्रियां।	ब्रांड-दर, अलग-अलग निर्माता/नियतिकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।

1	2	3	4
102	फलों की चटनी जिसमें भार के आधार पर चीनी 50 प्रतिशत से कम नहीं हो।	1-6-78 से 14-6-78 तक	15-6-78 से
		ऐसे माल का प्रति क्विंटल 12.07 (बारह रुपये सात पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 10.60 रु० (दस रुपये साठ पैसे मात्र)
103	जैम और जेली जिसमें भार के आधार पर चीनी 68% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 12.48 रु० (बारह रुपये अड़तालीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 12.70 रु० (बारह रुपये सत्तर पैसे मात्र)
104	डिब्बा बंद सिरप सहित फल जिसमें :—		
	(क) भार के आधार पर चीनी 16% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.86 रु० (तीन रुपये छियासी पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.39 रु० (तीन रुपये उनतालीस पैसे मात्र)
	(ख) भार के आधार पर चीनी 16% से कम हो परन्तु 13.5% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.26 रु० (तीन रुपये छब्बीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 2.86 रु० (दो रुपये छियासी पैसे मात्र)
105	स्ववेश जिसमें भार के आधार पर चीनी 40% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 9.66 रु० (नौ रुपये छियासठ पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 8.47 रु० (आठ रुपये सैंतालीस पैसे मात्र)
106	फलों का सिरप, सश्लिष्ट सिरप और शर्बत जिनमें चीनी 65% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 15.69 रु० (पन्द्रह रुपये उनहत्तर पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 13.77 रु० (तेरह रुपये सतहत्तर पैसे मात्र)
107	फ्रूट कार्डियल जिनमें भार के आधार पर चीनी 30% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 7.24 रु० (सात रुपये चौबीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 6.36 रु० (छः रुपये छत्तीस पैसे मात्र)
108	बार्लि-वाटर तथा लैमन बार्लि-वाटर जिनमें भार के आधार पर चीनी 50% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 9.66 रु० (नौ रुपये छियासठ पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 8.47 रु० (आठ रुपये सैंतालीस पैसे मात्र)
109	फ्रूट ब्रश जिनमें भार के आधार पर चीनी 55% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 13.28 रु० (तेरह रुपये अट्ठाईस पैसे मात्र	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 11.65 रु० (ग्यारह रुपये पैंसठ पैसे मात्र)
110	मार्मलेड्स जिनमें भार के आधार पर चीनी 60% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 14.48 रु० (चौदह रुपये अड़तालीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 12.70 रु० (बारह रुपये सत्तहर पैसे मात्र)
111	कदित और केलासित अथवा ग्लेस्ड फल और छिलका जिनमें भार के आधार पर चीनी 60% से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 14.48 रु० (चौदह रुपये अड़तालीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 12 70 रु० (बारह रुपये सत्तर पैसे मात्र)
112	आम का गूदा जिसमें:—		
	(क) भार के आधार पर चीनी 5 प्रतिशत से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 1.21 रु० (एक रुपया इक्कीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 1.06 रु० (एक रुपया छः पैसे मात्र)
	(ख) भार के आधार पर चीनी 5 प्रतिशत से कम हो परन्तु 3 प्रतिशत से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 0.72 रु० (बहत्तर पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 0 64 रु० (चौसठ पैसे मात्र)
113	परिरक्षित फल जिनमें भार के आधार पर चीनी 60% से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 14.48 रु० (चौदह रुपये अड़तालीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 12.70 रु० (बारह रुपये सत्तर पैसे मात्र)
114	मीठा किया हुआ फलों के रस (डिब्बा बंद या बोतल बंद) जिनमें भार के आधार पर चीनी 10 प्रतिशत से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 2.41 रु० (दो रुपये इकतालीस पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 2.12 रु० (दो रुपये बारह पैसे मात्र)
115	आम का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर चीनी 15 प्रतिशत से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.62 रु० (तीन रुपये बासठ पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.18 रु० (तीन रुपये अठारह पैसे मात्र)
116	पपीते का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर चीनी 15 प्रतिशत से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.62 रु० (तीन रुपये बासठ पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.18 रु० (तीन रुपये अठारह पैसे मात्र)
117	अमरूद का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर चीनी 15 प्रतिशत से कम न हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.62 रु० (तीन रुपये बासठ पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.18 रु० (तीन रुपये अठारह पैसे मात्र)
118	अंगूर का रस (नेक्टर) (परोसे जाने के लिए तैयार पेय) जिसमें भार के आधार पर चीनी 15 प्रतिशत से कम नहीं हो।	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.62 रु० (तीन रुपये बासठ पैसे मात्र)	ऐसे माल का प्रति क्विंटल 3.18 रु० (तीन रुपये अठारह पैसे मात्र)

1	2	3	4
		(परन्तु यह तब जबकि उपर्युक्त फल उत्पाद, फल उत्पाद आदेश 1955 के उपबंधों के अनुसार तैयार किये गये हों।)	
		टिप्पणी:—उप-क्रमांक 102 से 118 पर प्रतिअदायगी की दरों में इनमें प्रयुक्त बैकिंग सामग्री यदि कोई हो पर प्रतिअदायगी शामिल नहीं हैं।	
2.		**इंस्टैंट काफी :**	
	201	इंसटैंट काफी जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ग्राड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।
3		कोको पेस्ट, मक्खन, पाउडर, चाकलेट और अन्य खाद्य निर्मितियाँ जिनमे कोको हो :	
	301	कोको पेस्ट, मक्खन, पाउडर, चाकलेट और अन्यत्र अविनिर्दिष्ट ऐसी अन्य खाद्य निर्मितियां जिनमें कोको हो।	ग्राड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।
4		चीनी की बनी मिठाई (कनफेक्शनरी) और चीनी की अन्य निर्मितियाँ :	
	401	चीनी की बनी कन्फेक्शनरी और चीनी की अन्य निर्मितियाँ जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ग्राड-दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।
5.		बिस्कुट	
	501	बिस्कुट, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ग्राड-दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।
	502	सभी प्रकार के बिस्कुट	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)
6.		**कोप्रा-केक**	
	601	कोप्रा-केक जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ग्राड-दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
7.		**बिना अल्कोहल वाले पेयों के लिए सांद्र और आधारी वस्तु**	
	701	बिना अल्कोहल वाले पेयो के लिए सांद्र और आधारी वस्तु जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ग्राड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
8.		**अल्कोहल वाले पेय :**	
	601	अल्कोहल वाले पेय जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ग्राड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
9.		**तम्बाकू की विनिर्मितियां :**	
	901	तम्बाकू की विनिर्मितियाँ जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ग्राड-दर, अलग-अलग निर्माता/ निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	902	पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू जिसके तैयार करने में (पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के तम्बाकू का उपयोग किया गया है।	पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू में, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू अंतर्वस्तु का प्रति किलोग्राम 59 20 रु० (केवल उनसठ रुपये बीस पैसे)

परन्तु यह तब जब कि :—

(क) इस दर पर प्रतिअदायगी, पाइप अथवा सिगरेट के केवल ऐसे तम्बाकू पर दी जायेगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है जो इस प्रयोजन के लिए उस सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत किया गया है, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा पाइप अथवा सिगरेट तम्बाकू तैयार किया जाता है।

(ख) पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू सीमाशुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों की देख-रेख में तैयार किया गया है।

(ग) पाइप अथवा सिगरेट का तम्बाकू ऐसे सील बंद डिब्बों में पैक किया जाता है जिनमें फेर-बदल नहीं किया जा सकता हो और जिनके बाहर की तरफ माल का विस्तृत ब्यौरा निर्दिष्ट किया गया हो ; और

(घ) नेपाल, बर्मा, पाकिस्तान, भूटान अथवा बंगला देश मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किये जाने वाले पाइप अथवा सिगरेट के तम्बाकू मे विद्यमान है उसके संबंध में सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क का समाधान कर लिया गया हो।

	903	सिगरेटे, जिनके निर्माण मे (पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के तम्बाकू का इस्तेमाल किया गया है।	सिगरेटों में निहित पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के तम्बाकू की मात्रा का प्रति किलो ग्रा० 59.20 रु० (केवल उनसठ रुपये बीस पैसे)

परन्तु यह तब जब कि :—

(क) इस दर पर प्रतिअदायगी केवल ऐसी सिगरेटो पर ही दी जायेगी जो ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार की गयी है जो इस प्रयोजन के लिये उस सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा पंजीकृत किया गया है, जिसके अधिकार-क्षेत्र में ऐसे सिगरेटों का निर्माण किया जाता है; और

(ख) पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के तम्बाकू की जो मात्रा निर्यात किये जाने वाली सिगरेटों में विद्यमान है उसके संबंध में सहायक समाहर्ता सीमाशुल्क का समाधान कर लिया गया है।

1	2	3	4
	904	सिगारे जिनके निर्माण में (पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा, नेपाल अथवा भूटान मूल के सिगार रैपर तम्बाकू से भिन्न) विदेशी मूल के सिगार रैपर तम्बाकू का इस्तेमाल किया गया है।	सिगार के निर्माण में इस्तेमाल किये गये, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, बर्मा अथवा भूटान मूल के सिगार रैपर तम्बाकू से भिन्न विदेशी मूल के सिगार रैपर तम्बाकू की मात्रा का प्रति किलोग्राम 56.50 रु० (केवल छप्पन रुपये पचास पैसे)।

परन्तु यह तब जब कि :—

(क) आयात की गई सामग्रियों के पैकेजों को आयात के पत्तन पर उनके वितरण से पूर्व सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा सत्यापित कर लिया गया हो और उन पर सीमाशुल्क विभाग की मुहर लगा कर उन्हें सील किया गया हो।

(ख) जिस कारखाने में सिगारों का निर्माण किया जाता है उसके कार्यभारी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी की अनुमति से सीलबंद पैकेज खोले गये है और आयात की गयी सामग्रियों को विनिर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया हो।

(ग) आयात किये गये सिगार रेपर तम्बाकू के इस्तेमाल के संबंध में निर्माता ने ऐसे ढंग से लेखा रखा है जो सिगार के निर्माण के कारखाने के क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के सहायक समाहर्ता द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(घ) निर्यात, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन निर्धारित फार्म ए आर-4 (केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की शृंखला संख्या 60) के अधीन किया जाता है।

	905	हुक्का तम्बाकू पेस्ट जिसमें भार के आधार पर तम्बाकू 20% से कम नहीं हो।	0.42 रु० (केवल बयालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	906	बीड़ियां	पोत पर्यन्त निःशुल्क का 1.5% (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)।
10.	पेट्रोलियम उत्पाद		
	1001	पैट्रोलियम उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्रांड दर, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर नियत की जानी है।
11.	कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, रासायनिक उत्पाद—		
	1101	कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, रासायनिक उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्रांड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।
	1102	डाइक्रोमेट—	
		(1) सोडियम डाइक्रोमेट डिहाइड्रेट	132.00 रु० (केवल एक सौ बत्तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
		(2) पोटाशियम डाइक्रोमेट	464.75 रु० (केवल चार सौ चौसठ रुपये और पिचहत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	1103	एलुमिना फेरिक	28.75 रु० (केवल अट्ठाईस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	1104	रिक्त	
	1105	सिलिकान कार्बाइड	283.00 रु० (केवल दो सौ तिरासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	1106	रिक्त	
	1107	पोटाश एलम	8.40 रु० (केवल आठ रुपये चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	1108	बिसमथ (कांसा) सब कार्बोनेट	26.00 रु० (केवल छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	1109	रिक्त	
	1110	एलम और एलूमिनियम सलफेट जिसमें लोहा न हो—	
		(1) अमोनिया एलम	25.20 रु० (केवल पच्चीस रुपय और बीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
		(2) एलूमिनियम सलफेट	29.40 रु० (केवल उन्तीस रुपये चालीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	1111	बिस्मथ सब-नाइट्रेट	24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये) प्रति किलोग्राम।
	1112	कास्टिक पोटाश	556.00 रु० (केवल पांच सौ छप्पन रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	1113	सोडियम सलफेट	172.50 रु० (केवल एक सौ बहत्तर रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	1114	सोडियम बिसोसलफेट	63.00 रु० (केवल तिरसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	1115	सोडियम बाइसल्फाइड	117.00 रु० (केवल एक सौ सत्तरह रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	1116	18 प्रतिशत या उससे अधिक के सक्रिय अपमार्जक युक्त संश्लिष्ट अपमार्जक	560.00 रु० (केवल पांच सौ साठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

नोट : — प्रतिअवायगी की उपर्युक्त दर में पैक करने हेतु प्रयुक्त सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिअवायगी शामिल नहीं है।

	1117	पोटाशियम कार्बोनेट	827.00 रु० (केवल आठ सौ सताईस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

1	2	3	4
	1118	पोटाशियम परमैंगनेट (97-1000 प्रतिशत)	639.00 रु० (केवल छः सौ उन्तालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	1119	रिक्त	
	1120	रिक्त	
	1121	हाईड्रोक्लोरिक एसिड टेकनिकल ग्रेड जिसमें 28 प्रतिशत से कम एच० सी० एल० न हो।	12.25 (केवल बारह रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	1122	चूने का क्लोराइड/कैलसियम हाइपोक्लोराइट/क्लोरीनेटेड चूना स्टेम्प क्लीचिंग पाउडर	25.70 रु० (केवल पच्चीस रुपये सत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन।
	1123	कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और रसायन उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल [illegible]) ।
12.. औषधि-द्रव्य और औषधी उत्पाद			
	1201	औषधि-द्रव्य और औषधीय उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	1202	रिक्त	
	1203	जिंक आक्साइड एडेसिव प्लास्टर बी० पी० सी०	7.70 रु० (केवल सात रुपये सत्तर पैसे) प्रति एक सौ वर्ग मीटर।
	1204	औषधि, द्रव्य, औषधि द्रव्य मध्यस्थ उत्पाद और औषधीय उत्पाद (जिनमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्ध और यूनानी पद्धति की दवाइयां शामिल नहीं है) अर्थात्:—	
		(क) सभी प्रकार के टीके	पोत पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
		(ख) लिक्विड और ड्राप्स	पोत पर्यन्त नि: शुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
		(ग) मरहम	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)।
		(घ) गोलियां, दाने और कैपस्यूल	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत।
	1205	अन्यथा अविनिर्दिष्ट औषधि द्रव्य, औषधि द्रव्य मध्यस्थ उत्पाद और औषधीय उत्पाद (जिनमे आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सिद्ध और यूनानी पद्धति की दवाइयां शामिल नही है)	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)।
13. संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य, रंजक मध्यस्थ रंग लैक			
	1301	संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य, रंजक मध्यस्थ और रंग लेक जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	1302	शुद्ध नील	6.83 रु० (केवल छः रुपये और तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	1303	संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक द्रव्य, रजक मध्यस्थ और रंग लेक जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)।
14. वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, लैकर, संश्लिष्ट पोलिएस्टर, एपाक्सी राल, मुद्रण स्याही और लेखन स्याही			
	1401	वर्णक, रंग, पेन्ट, इनेमल, वार्निश, लैकर, संश्लिष्ट पोलिएस्टर, एपाक्सी राल, मुद्रण स्याही और लेखन स्याही, जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	1402	संश्लिष्ट इनेमल सफेद	1.88 रु० (केवल एक रुपया और अट्ठासी पैसे) प्रति लीटर।
	1403	संश्लिष्ट इनेमल रंगीन	0.63 रु० (केवल तिरसठ पैसे) प्रति लीटर।
	1404	प्लास्टिक इमल्शन पेन्ट	2.62 रु० (केवल दो रुपये और बासठ पैसे) प्रति लीटर।
	1405	असली जिंक सफेद पेन्ट	2018.00 रुपये (केवल दो हजार अठारह रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	1406	रिक्त	
	1407	रिक्त	
	1408	रिक्त	
	1409	रिक्त	
	1410	रिक्त	
	1411	रिक्त	
	1412	रिक्त	

1	2	3	4
	1413	आयल ब्राउण्ड डिस्टैम्पर	0.50 रु० (केवल पचास पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	1414	रिक्त	
	1415	(क) रोटोग्रेव्यूर मुद्रण स्याही	प्रोत पर्यन्त निःशुल्क का 15 प्रतिशत (केवल पन्द्रह प्रतिशत) ।
		(ख) काली मुद्रण स्याही	12.00 (केवल बारह रुपये) प्रति क्विंटल ।
		(ग) अन्य मुद्रण स्याही जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है	6.60 रु० (केवल छः रुपये साठ पैसे) प्रति क्विंटल ।
	1416	लाल सीसा	2050.00 रु० (केवल दो हजार पचास रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	1417	रिक्त	
	1418	लिथार्ज	2000.00 रु० (केवल दो हजार रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	1419	जिंक आक्साइड	3264.00 रु० (केवल तीन हजार दो सौ चौसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
15.	अनिवार्य तेल, हाइड्रोजिनेटेड केस्टर आयल, सुगन्ध-सामग्री, अगर बत्तियां, शृंगार सामग्री, पालिश और सफाई सम्बन्धी निर्मितियां		
	1501	अनिवार्य तेल, हाइड्रोजिनेटेड केस्टर आयल, सुगन्ध सामग्री, शृंगार सामग्री, पालिश और सफाई सम्बन्धी निर्मितियां जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	1502	अगरबत्तियां, धूप, लोबान, शंकु और लोबान क्यूब जिनमें चन्दन धूप (चन्दन की लकड़ी की धूप) शामिल नहीं है ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 8 प्रतिशत (आठ प्रतिशत) ।
16.	विस्फोटक, आतिशबाजी उत्पाद (आतिशबाजी) निरापद दियासलाई और निरापद फ्यूज		
	1601	विस्फोटक, आतिशबाजी उत्पाद (आतिशबाजी) निरापद दियासलाई और निरापद फ्यूज जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	1602	दियासलाई, सभी प्रकार की	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.68 प्रतिशत (केवल दशमलव अड़सठ प्रतिशत) ।
17.	फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफिक माल		
	1701	फोटोग्राफी और सिनेमैटोग्राफिक माल जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	1702	(i) उद्भासित सिनेमा फिल्में रंगीन	53.20 रु० (केवल तिरपन रुपये बीस पैसे) प्रति 100 मीटर लम्बाई के लिए ।
		(ii) सिनेमा फिल्में उद्भासित श्याम तथा श्वेत	2 10 रु० (केवल दो रुपये दस पैसे) प्रति 100 मीटर लम्बाई के लिए ।
18.	कीटनाशी, नाशिकीटमार, फफूंदीनाशी, खरपतवार नाशी औषधियां और उनसे बनी औषधियां		टिप्पणी:—प्रति अदायगी की उपर्युक्त दरों में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री, यदि कोई हो पर प्रति अदायगी शामिल नहीं है ।
	1801	कीटनाशी, नाशिकीटमार, फफूंदीनाशी, खरपतवारनाशी औषधियां और उनसे बनी औषधियां जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	1802	कीटनाशी, नाशिकीटमार, फफूंदीनाशी, खरपतवारनाशी औषधियां और उनसे बनी औषधियां जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल 3 प्रतिशत) ।
19.	संश्लिष्ट राल (जिसमें आसंजक सम्मिलित हैं) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री और उससे बनी वस्तुएं		
	1901	संश्लिष्ट राल (जिसमें आसंजक सम्मिलित है) प्लास्टिक की कच्ची सामग्री और उनसे बनी वस्तुएं जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	1902	रिक्त	
	1903	रिक्त	
	1904	रिक्त	
	1905	रिक्त	

1	2	3	4
	1906	एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर से बनी वस्तुए अथवा किसी वस्तु के सघटक पुर्जे (जिसमे सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरे तथा फिल्मे और उनसे बनायी गयी वस्तुए शामिल नहीं है) ।	520 00 रु० (पांच सौ बीस रु० मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रति अदायगी शामिल नही है ।

परन्तु यह तब जबकि उक्त वस्तुओ के निर्माण मे निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क, अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियो का पालन नही किया जाता हो ।

	1907	सेलुलोस एसिटेट मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परतवाली सेलुलोस एसिटेट की चादरे अथवा शलाकाओ अथवा ट्यूबो आदि से बनायी गयी वस्तुए अथवा किसी वस्तु के सघटक पुर्जे (जिनमे सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरे तथा फिल्मे शामिल नही है) ।	
		(क) चादरो की बनी हुई	134 00 रु० (एक सौ चौतीस रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नही है ।
		(ख) अन्य	960 00 रु० (नौ सौ साठ रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नही है ।

परन्तु यह जबकि उक्त वस्तुओ के निर्माण मे निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियो का पालन नही किया जाता हो ।

	1908	सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत की सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट चादरो/शलाकाओ/ट्यूबो आदि से बनायी गई वस्तुए अथवा किसी वस्तु के सघटक पुर्जे (जिनमे सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरे तथा फिल्मे, शामिल नही है)	1359 00 रु० (एक हजार तीन सौ उनसठ रुपये मात्र) प्रति क्विंटल जिसमे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नही है ।

परन्तु यह तब जबकि निर्यातकर्ता, सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप मे यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है और निर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर, राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिये मुक्त कर दिया गया है और निर्यात किये गये उत्पादन के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनो की कालावधि मे प्रयुक्त किया गया है और सेलुलोज ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर की मात्रा—

(क) सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर की वस्तुओ के किसी अन्य पिछले निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नही है और हिसाब मे नही ली गई है, अथवा

(ख) इस रूप मे या किसी अन्य रूप मे वापसी के लिये दावे सहित या इसके बिना, पहले पुन निर्यात नही की गई है ।

व्याख्या —यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी मुक्ति निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है अथवा नही, सीधे आयात किये गये सामान के मामले मे सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले मे सामान को छोडने के आदेश की तारीख को हिसाब मे लिया जायगा ।

इसमे अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओ के निर्माण मे निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली 1944 के नियम 56-क अथवा 191 क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियो का पालन नही किया जाता हो ।

	1909	सेलुलोज नाइट्रेट चादरो, छडो, अथवा ट्यूबो से बनायी गई वस्तुए अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे	6245 00 रु० (छ हजार दो सौ पैंतालीस रुपये) प्रति क्विंटल जिसमे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नही है ।

परन्तु यह तब, जबकि निर्यातकर्ता सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप मे यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम सेलुलोज नाइट्रेट चादरे, छड़े अथवा ट्यूबे राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिए मुक्त कर दी गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनो की अवधि के भीतर प्रयुक्त की गई है और यह कि सेलुलोज नाइट्रेट चादर, छड़ो अथवा ट्यूबो की मात्रा —

(क) सेलुलोज नाइट्रेट चादरो, छडो अथवा ट्यूबो की वस्तुओ के किसी अन्य पिछले निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नही है और हिसाब मे नही ली गई है, अथवा

(ख) इस रूप मे या किसी अन्य रूप मे, प्रतिअदायगी के लिये दावे सहित या उसके बिना पहले पुन निर्यात नहीं की गई है ।

1	2	3	4

व्याख्या :—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी, निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा, राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में, सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा ।

इसके अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1910	फेनोल फार्मेल्डीहाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत के फेनोल फार्मेल्डीहाइड चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनाई गई वस्तुओं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिसमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में शामिल नहीं हैं) ।	362.00 रु० (तीन सौ बासठ रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नहीं है ।	

परन्तु यह तब, जबकि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1911	पोलिएमाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत वाली पोलिएमाइड चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनाई गई वस्तु अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें और फिल्में शामिल नहीं है) ।	2660.00 रु० (दो हजार छः सौ साठ रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रति अदायगी शामिल नहीं है ।	

परन्तु यह तब, जबकि निर्यातकर्ता सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम पोलिएमाइड एम० पी०, छड़ें राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिये मुक्त कर दी गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर प्रयुक्त की गई है और पोलिएमाइड एम० पी० की मात्रा (i) उक्त वस्तु के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नहीं है और हिसाब में नहीं ली गई है; अथवा (ii) इस रूप में या किसी अन्य रूप में प्रतिअदायगी के दावे सहित या उसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है ।

व्याख्या :—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसका निकासी, निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा ।

परन्तु यह तब, जबकि उक्त वस्तुओं के सम्बन्ध में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो ।

1912	बिना परत वाली एक्रिलिक चादरों से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी भी वस्तु के संघटक पुर्जे ।	संगत आगम-पत्र में प्रति क्विंटल एक्रिलिक चादर पर अदा की गई आयात शुल्क की रकम अथवा 1315.00 (एक हजार तीन सौ पन्द्रह रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, इनमें से जो भी कम हो, परन्तु जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रति अदायगी शामिल नहीं है ।	

परन्तु यह तब जबकि :—

(1) निर्यातकर्ता सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि 105 किलोग्राम एक्रिलिक चादरें, निर्यातकर्ता अथवा निर्माता द्वारा आयात की गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर प्रयुक्त की गई हैं और एक्रिलिक चादर की मात्रा—

(क) एक्रिलिक चादरों की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्वतन निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नहीं है और हिसाब में नहीं ली गई है; अथवा

(ख) इस रूप में या किसी अन्य रूप में प्रतिअदायगी के लिये दावे सहित या इसके बिना पहले पुनः निर्यात नहीं की गई है । उपर्युक्त मामले में दर पूर्णतया लागू होगी :

(2) जिस मामले में ऊपर विनिर्दिष्ट साक्ष्य नहीं किया गया हो उसमें दर 520.00 रु० (पाँच सौ बीस रुपये मात्र) प्रति क्विंटल होगी, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नहीं है ।

1	2	3	4

व्याख्या :—यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर की गई है अथवा नहीं, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब में लिया जायगा।

इसके अतिरिक्त शर्त यह भी है कि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता है।

1913	पालिएस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत वाली पालिएस्ट्रीन चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनायी गयी वस्तुएं अथवा किसी वस्तु के संघटक पुर्जे (जिनमें सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में शामिल नहीं हैं)।	408.00 रु० (चार सौ आठ रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिशुल्क शामिल नहीं है)।

परन्तु यह तब, जबकि उक्त वस्तुओं के निर्माण में निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया जाता हो।

1914	पोलिथिलीन मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत वाली पालिथिलीन की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी किसी वस्तु के निर्माणक, हिस्से (जिनमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग चादरें तथा फिल्में, चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं, शामिल नहीं है।)	335.00 रु० (तीन सौ पैंतीस रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिशुल्क शामिल नहीं है।

परन्तु यह तब जबकि निर्माताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो।

1915	यूरिया फार्मेल्डिहाइड मोल्डिंग पाउडर अथवा बिना परत वाले यूरिया फार्मेल्डिहाइड की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी किसी वस्तु के निर्माणक के हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरों तथा फिल्में—चाहे वे परतदार हों अथवा नहीं शामिल नहीं हैं)।	399.00 रु० (तीन सौ निन्यानबे रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिशुल्क शामिल नहीं है।

परन्तु यह तब जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नहीं किया गया हो।

1916	पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग अथवा बिना परत वाली पोलीप्रोपीलीन की चादरों/छड़ों/ट्यूबों आदि से बनी वस्तुएं अथवा उनसे बनी वस्तुओं के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट अथवा फिल्में, चाहे वह परतदार हों अथवा नहीं, शामिल नहीं हैं)।	850.00 रु० (आठ सौ पचास रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रति शुल्क शामिल नहीं है।

परन्तु यह तब जबकि :—

(1) निर्यातकर्ता, सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता को उसके समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करता है और निर्माता का इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करता है कि निर्यात किये गये प्रति क्विंटल उत्पाद के निर्माण के लिए, ऐसे निर्यात की तारीख से तुरन्त पहले की 12 महीने की अवधि में निर्यातकर्ता अथवा निर्माता को राज्य व्यापार निगम द्वारा 105 किलोग्राम पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाउडर मुक्त किया गया है तथा उसका इस्तेमाल किया गया है और यह कि पोलिप्रोपिलीन मोल्डिंग पाऊडर की इस मात्रा को—

(क) पोलिप्रोपीलीन मोल्डिंग पाऊडर की वस्तुओं के किसी अन्य पूर्ववर्ती निर्यात में इसी प्रकार सह-सम्बद्ध नहीं किया गया है तथा हिसाब में नहीं लिया गया है; अथवा

(ख) प्रतिशुल्कायगी के दावे के साथ अथवा बिना किसी दावे के वैसे ही अथवा किसी भी अन्य रूप में इस प्रकार पुनर्निर्यात नहीं किया गया है :

यह दर पूर्णतया लागू होगी।

(2) जहाँ उपरिनिर्दिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जाता वहाँ यह दर 335.00 रु० (तीन सौ पैंतीस रुपये मात्र) प्रति क्विंटल होगी, जिसमें प्रयुक्त सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिशुल्कायगी शामिल नहीं है।

1	2	3	4
		व्याख्या :-यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह महीने की अवधि के भीतर की गई है अथवा नही, सीधे आयात किये गये सामान के मामले में सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले में सामान को छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब मे लिया जायेगा ।	
		परन्तु यह भी कि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियो का पालन नहीं किया गया हो ।	
1917		मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड मोल्डिंग पाऊडर या बिना परत की मेलामाइन फार्मेल्डिहाइड की चादरो/छड़ो/ट्यूबो आदि से बनी वस्तुए अथवा उससे बनी किसी वस्तु के निर्माणक हिस्से (जिसमें कड़ा प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें अथवा फिल्मे—चाहे ये परतदार हो अथवा नही—शामिल नही हैं) ।	1096 00 रु० (एक हजार छियानवे रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है ।
		परन्तु यह तब, जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा उक्त वस्तुओं के निर्माण मे केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अधीन निर्धारित कार्यविधियों का पालन नही किया गया हो ।	
1918		पोलिविनाइल क्लोराइड संयोजन तथा बिना परत के सख्त तथा लचीले पोलिविनाइल क्लोराइड बोर्डों, शीटिंग/चादरो/फिल्मों लेफ्लेट ट्यूबिंग आदि से बनायी गई वस्तुएं अथवा किसी वस्तु को संघटक पुर्जे (जिनमे सख्त प्लास्टिक बोर्ड, परतदार अथवा बिना परत की शीटिंग, चादरें तथा फिल्में तथा लचीली पालिविनाइल क्लोराइड शीटिंग्ज, चादरें, फिल्मे तथा लेफ्लेट ट्यूबिंग, चाहे उनमे टेक्सटाइल सामग्री हो अथवा नही, शामिल नही है) ।	
		(क) लचीला	154 00 रु० (एक सौ चौवन रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है ।
		(ख) सख्त—पी०वी०सी० पाइप/कण्ड्यूट तथा (सख्त) पाइपो से बने उपकरण ।	248.00 रु० (दो सौ अड़तालीस रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है ।
		(ग) पाइपो मे भिन्न सख्त	217.00 रु० (दो सौ सत्तरह रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है
		(घ) बिना सहारे की लचीली चादरे	9 70 रु० (नौ रुपये सत्तर पैसे मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है ।
		परन्तु यह तब जबकि उक्त वस्तुओ के सम्बन्ध मे निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियो का पालन नही किया जाता हो ।	
1919		एक्रिलिक प्लास्टिक से बनायी गयी बिना परत के सख्त प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, चादरें अथवा फिल्मे ।	(520.00 रु०) (पाँच सौ बीस रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है ।
1920		सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग पाउडर से बनी बिना परत के सख्त प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग चादरे अथवा फिल्मे ।	134.00 रु० (एक सौ चौतीस रुपये मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है ।
1921		लचीला पोलिविनाइल क्लोराइड शीटिंग, चादरें, फिल्में और लेफ्लेट ट्यूबिंग्ज, जिनमे कोई टैक्सटाइल सामग्री नही है ।	9 70 रु० (नौ रुपये सत्तर पैसे मात्र) प्रति क्विंटल, जिसमे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिश्रदायगी शामिल नही है ।
1922		रिक्त	
1923		रिक्त	
1924		प्लास्टिक की सभी प्रकार की चूड़ियाँ जो निम्नलिखित प्लास्टिक सामग्रियो मे से किसी एक अथवा एक से अधिक से बनी हो अर्थात् सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग पाउडर, सेलुलोज नाइट्रेट चादरे, सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर, पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर तथा एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरे जो मैटल फायल्स या वायर्स, लेफर्स आदि से अलकृत अथवा अनलंकृत हो ।	
		(i) जिन मामलो में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री मे पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाऊडर, चादर आदि शामिल है ।	चूड़ियो के प्रति क्विंटल पर 408.00 रु० (चार सौ आठ रुपये मात्र) ।

1	2	3	4
	(ii)	जिन मामलो मे प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री मे पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर शामिल नहीं है परन्तु एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर शामिल है ।	चूड़ियो के प्रति क्विंटल पर 520.00 रु० (पाँच सौ बीस रुपये मात्र)
	(iii)	जिन मामलो मे प्रयुक्त प्लास्टिक समग्री मे पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर तथा/अथवा एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर, चादरे आदि शामिल नही है परन्तु सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग पाउडर शामिल है ।	चूड़ियो के प्रति क्विंटल पर 960 00 रु० (नौ सौ साठ रुपये मात्र) ।
	(iv)	जिन मामलो मे प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री मे पालिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर, एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर, एसिटेट मोल्डिंग पाउडर, अथवा चादरे आदि तथा सेलुलोज एसिटेट मोल्डिंग पाउडर शामिल नही है, परन्तु सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर शामिल है ।	चूड़ियो के प्रति क्विंटल पर 1359.00 रु० (एक हजार तीन सौ उनसठ रुपये मात्र) ।
	(v)	जिन मामलो में प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री केवल सेलुलोज नाइट्रेट चादरे है ।	चूड़ियो के प्रति क्विंटल पर 6245 00 रु० (छ हजार दो सौ पैंतालीस रुपये मात्र) ।
	(vi)	जिन मामलो मे इस्तेमाल की गयी प्लास्टिक सामग्री में पोलिस्ट्रीन मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरे एक्रिलिक मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरे, सेलुलोज एसीटेट मोल्डिंग पाउडर अथवा चादरे, अथवा सेलुलोज एसीटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर शामिल नही है परन्तु पालिएमाइड मोल्डिंग पाउडर शामिल हो ।	चूड़ियों के प्रति क्विंटल पर 2660.00 रु० (दो हजार छ सौ साठ रुपये मात्र) ।

इसमे शर्त यह है कि उपर्युक्त मद (iv) से (vi) तक के सामने निर्दिष्ट प्रतिग्रदायगी की दरे उस स्थिति मे लागू होगी जब निर्यातकर्ता सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर प्रस्तुत करता है कि सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोज नाइट्रेट चादरों अथवा पालिएमाइड मोल्डिंग पाउडर, जैसी भी स्थिति हो, की 105 किलोग्राम की मात्रा राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यातकर्ता अथवा निर्माता के लिए मुक्त कर दी गई है और निर्यात किये गये उत्पाद के प्रत्येक क्विंटल के विनिर्माण के लिये, ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि मे प्रयुक्त की गई है, और सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोज नाइट्रेट चादरों अथवा पालिएमाइड मोल्डिंग पाउडर, जैसी भी स्थिति हो, की मात्रा ।

(क) सेलुलोज एसिटेट ब्यूटाइरेट मोल्डिंग पाउडर अथवा सेलुलोज नाइट्रेट चादरें, अथवा पालिएमाइड मोल्डिंग पाउडर, जैसी भी स्थिति हो, से बनी वस्तु के किसी अन्य पूर्वतम निर्यात से तत्समान सह-सम्बन्धित नही है और हिसाब मे नही ली गई है; या

(ख) इस रूप मे या किसी अन्य रूप मे, प्रतिग्रदायगी के लिए दावे सहित अथवा उसके बिना पूर्णत. पुन निर्यात नही की गई है ।

व्याख्या —यह निश्चित करने की दृष्टि से कि सामान का आयात अथवा उसकी निकासी निर्यात की तारीख से पूर्ववर्ती बारह मास की अवधि के भीतर की गई है अथवा नही सीधे आयात किये गये सामान के मामले मे, सामान के आयात की तारीख तथा राज्य व्यापार निगम द्वारा मुक्त किये गये सामान के मामले मे सामान/ छोड़ने के आदेश की तारीख को हिसाब मे लिया जायेगा ।

अतिरिक्त शर्त यह भी है कि प्लास्टिक चूड़ियो के निर्माण में, निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क या 191-क या 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधियो का पालन नही किया जाता है ।

टिप्पणी —प्रतिग्रदायगी की उपर्युक्त दरो मे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर, यदि कोई हो, प्रतिग्रदायगी शामिल नही है ।

1925		सेलुलोज नाइट्रेट चादर के अग्र-भाग और सेलुलोज नाइट्रेट चादर की पार्श्वों वाले चश्मों के फ्रेम/चश्मे और धूप के चश्मे चाहे वे लैंस/प्लेयर ग्लास सहित हों या उनके बिना हो और निम्नलिखित सामग्री अर्थात् कब्जे, रिवेट, शील्ड ज्वाइंट्स, पार्श्वों पर तार, नाज, पेड्स, टिप्स में से किसी से भी सज्जित हो अथवा नही ।	36.00 रुपये (छत्तीस रुपये मात्र) प्रति दर्जन ।
1926		रिक्त	

1	2	3	4
	1927	लैंस/ग्लेयर ग्लास सहित या उसके बिना किसी भी रूप में सेलुलोस एसिटेट प्लास्टिक से बने चश्मो के फ्रेम/चश्में और धूप के चश्में, चाहे वे निम्नलिखित सामग्री में से किसी से युक्त हों अथवा नहीं—कब्जे, रिवटें, शील्ड ज्वाइंट, पार्श्वों पर तार, रोल्डगोल्ड/गोल्डफिल्ड/सोने का मुलम्मा किया हुआ तार और/अथवा संघटक, एल्युमिनियम के एनोडीकृत पार्श्व, नोज पैड, टिप आदि।	4.50 रु० (केवल चार रुपये और पचास पैसे) प्रति दर्जन।

परन्तु यह तब जब कि सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता को यह इतमीनान हो जाए कि निर्यात किये गये चश्में/चश्मों के फ्रेम, पुरुषो तथा महिलाओं के नाप के वास्तविक चश्में के फ्रेम, चश्में अथवा धूप के चश्मे है।

	1928	सेलुलोज नाइट्रेट चादरों से बने चश्मो के फ्रेमों पार्श्व, चाहे उनमें जोड़ हों अथवा नही।	22.00 रु० (केवल बाईस रुपये) प्रति दर्जन जोड़े।
	1929	चश्मों के सभी अन्य प्लास्टिक फ्रेम/चश्मे/धूप के चश्मे, जो अन्यत्र निर्दिष्ट नही हैं।	2.15 रु० (केवल दो रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति कि०ग्रा०।

20. **संश्लिष्ट रबड़, पुनः प्राप्त किया गया रबड़ और रबड़ की वस्तुएं :**

	2001	संश्लिष्ट रबड़, पुनः प्राप्त किया गया रबड़ और रबड़ की वस्तुएं जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नही है।	ब्रांड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	2002	निम्नलिखित प्रकार के टायर तथा ट्यूबें जिनमें ट्रेड रबड़ और फ्लैप शामिल है।	
		(1) 2.50 से 6.70 तक जिसमें 6.70 भी शामिल है की सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले रेयन टायर।	1.00 रु० (केवल एक रुपया) प्रति किलोग्राम।
		(2) 7.00 से 14.00 तक जिसमें 14.00 भी शामिल है, की सेक्शनल चौड़ाई के आकार वाले रेयन टायर।	1.20 रु० (केवल एक रुपया बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(3) ब्यूटाइल ट्यूबें उन ट्यूबों को छोड़कर जो प्राकृतिक कच्चे रबड़ अथवा देशी संश्लिष्ट रबड़ से निर्मित होती हैं अथवा साइकिल ट्यूबें	2.45 रु० (केवल दो रुपए पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(4) फ्लैप (सभी आकारों के)	0.22 रु० (केवल बाईस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(5) ट्रीड रबड़ (सभी आकारों के)	0.35 रु० (केवल पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2003	साइकिल टायर तथा ट्यूब :—	
		(1) साइकिल टायर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत)।
		(2) वाल्व फिट की हुई साइकिल ट्यूबें	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
	2004	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट रबड़ से निर्मित वस्तुएं जिनमें रबड़ ब्लैडर, टायर और ट्यूब शामिल नही हैं।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
	2005	रबड़ ट्रांसमीशन बैल्टिंग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 8 प्रतिशत (केवल आठ प्रतिशत)।

21 **खाल, चर्म, चमड़ा या कृत्रिम चमड़े की वस्तुएं चमड़े का अन्य माल तथा यात्रा-माल :**

	2101	खाल, चर्म, चमड़ा, चमड़े या कृत्रिम कपड़े की वस्तुएं, कपड़े का अन्य माल और यात्रा-माल जो अन्यत्र नही है।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी हैं।
	2102	(क) पूर्वी भारत शोधित पशुचर्म और बछड़े की खालें, अर्थात् गाय की खालें, भैंसों की खाले, निवस, गाय का बछड़ा तथा पैंडवा (पाडिया) चर्म।	1.15 रु० (केवल एक रुपया पन्द्रह पैसे) प्रति कि ोग्राम।
		(ख) पूर्वी भारत शोधित खालें अर्थात् बकरी और भेड़ की खालें।	1.15 रु० (केवल एक रुपया पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ग) पूर्वी भारत शोधित साप तथा सरीसृप की खाले।	1.10 रु० (केवल एक रुपया दस पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
	2103	शोधित पशुचर्म और खाले, क्रोम शोधित (क्रोम शोधित नीली पशुचर्म और खाले) क्रोम छाल (पपडी) चमड़े और सरीसृप खाल से भिन्न ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9.7 का प्रतिशत (केवल दशमलव साथ
	2104	शोधित पशुचर्म और खालें क्रोम शोधित क्रोम छाल (चमड़ी) चमड़ा जो सरीसृप खाल से भिन्न हो।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)
	2105	सभी प्रकार का परिष्कृत चमड़ा, चमड़े की पट्टी, चिथड़ों (कतरनों) के पट्टे, बकर, भेड़/बछड़े की ।	पोत पर्यन्त/निःशुल्क मूल्य का 3.6 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव छः प्रतिशत)
	2106	अटैची केसो, ब्रीफ केसों, महिलाओं के हैंड बैगों, वालेट, चमड़े की पोशाकों, पर्स आदि जैसा यात्रा संबंधी तथा अन्य हल्की किस्म का चमड़े का माल किन्तु इसमें सरीसृप चर्म, लोम (फर) चर्म तथा चर्म के उपर के बालों से बने हुई वस्तुए शामिल नही है—	
		(क) छल्लों, बक्सुओं आदि जैसी पीतल की फिटिंग्स सहित लगाम ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.4 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव चार प्रतिशत)
		(ख) सभी अन्य, जिनमें चमड़े के बैग भी शामिल है, चाहे वे कशीदाकारी युक्त हो अथवा अन्यथा चाहे हत्थेयुक्त हों, अथवा उसके बिना हो,	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.25 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पच्चीस प्रतिशत)
	2107	चमड़े का भारी माल जैसे काठी की चीजें चमड़े के ट्रक चमड़े के सूटकेस	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5.3 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव तीन प्रतिशत)
	2108	चमड़े के औद्योगिक दस्ताने	
		(क) पूर्णत. चमड़े के बने हुए	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पाच प्रतिशत)
		(ख) कपड़े के अस्तर तथा सूती आस्तीनों (कफो) सहित	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पाच प्रतिशत) ।

टिप्पणी :—उप-क्रम सं० 2103 से 2108 के सामने दी गयी प्रति अदायगी की दरें 31-8-1978 तक वैध है।

22 पृष्ठावरण, प्लाईवुड, उन्नत या पुनर्निमित लकड़ी उससे बने उत्पाद

	2201	पृष्ठावरण, प्लाईवुड, उन्नत या पुनर्निमित लकड़ी उससे बने उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नही है ।	ब्राण्ड दरें, अलग-अलग निर्माता /निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त हो जाने पर नियत की जानी है ।
	2202	रिक्त	
	2203	(क) चाय के लिए पैकिंग सामग्री के रूप मे प्रयोग के लिए प्लाईवुड फलक से बनी चाय की खाली पेटियां और उनकी फिटिंग ।	(i) चाय की ऐसी पेटियों के मतही लकबे के प्रति सौ वर्ग मीटर पर 185.40 रु० (केवल एक सौ पिचासी रुपये चालीस पैसे) तथा (ii) टिन प्लेट से बनी धातु की फिटिंग के यदि कोई प्रयुक्त की गयी हो, प्रति कि०ग्रा० पर 0.97 रु० (केवल सत्तानवे पैसे) तथा (iii) तार की कीलों, टेंटर हुकों और रिब्टों के यदि कोई प्रयुक्त किये गये हों, प्रति कि०ग्रा० पर 0.35 रु० (केवल पैंतीस पैसे) तथा (iv) बैटनों को लपेटने के अथवा एल्यूमीनियम पन्नी पर अस्तर के लिए ऊतक कागज केप यदि कोई इस्तेमाल किया गया हो, प्रति कि०ग्रा० पर 3.00 रु० (केवल तीन रुपये) तथा (v) एल्युमीनियम पन्नी यदि कोई इस्तेमाल की हो, के प्रति कि०ग्रा० पर 9.65 रु० (केवल नौ रुपये पेसठ पैसे)
		(ख) चाय की पेटियो के लिए प्लाईवुड फलक जब फलको अथवा पेट्टियो के आकार मे कटे हों, और उसी रूप में निर्यात किये गये हो ।	54.70 रु० (केवल चौवन रुपये सत्तर पैसे) प्रति 100 वर्ग मीटर ।
	2204	सभी प्रकार की प्लाई वुड जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नही है जिसमे फ्लश दरवाजे और ब्लाक बार्ड भी शामिल है।	25 45 रु० (केवल पच्ची रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति रनू लाइन प्रति सौ वर्ग मीटर ।
	2205	चाय की पेटियों से भिन्न प्लाईवुड की पेटिया	
		(i) वे पैनल जिनमें से प्रत्येक का मतही रकबा 5625 वर्ग से०मी० या उससे कम है ।	ऐसे पैनलो के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 130.70 रुपए (केवल एक सौ तीस रुपये सत्तर पैसे) ।

1	2	3	4
		(ii) वे पैनल जिनमें से प्रत्येक का सतही रकबा 5625 वर्ग से०मी० से अधिक है ।	ऐसे पैनलो के प्रति 100 वर्ग मीटर पर 225 20 रु. (केवल दो सौ पच्चीस रुपये बीस पैसे)

स्पष्टीकरण : (1) उपक्रम सख्या 2205 के अतर्गत दी गई दर 4 मि०मी० मोटाई वाले प्लाईवुड पैनलो के लिए है। अन्य मोटाइयो के लिए दर अनुपातत बढ़ा या घटा दी जाएगी ।

(2) उप-क्रम संख्या 2204 मे निर्धारित ग्लू-लाइन के प्रति 100 वर्ग मीटर पर प्रति अदायगी दर उपक्रम संख्या 2205 मे विहित दरो के अतिरिक्त दी जाएगी ।

23. कार्क विनिर्मितियां, जिनमें क्राउन कार्क सम्मिलित है--

2301	कार्क विनिर्मितियां, जिनमे क्राउन कार्क भी ब्राण्ड दरे, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता शामिल है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नही है से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।	
2302	कार्क स्टापर	91.00 रु० (केवल इक्यानबे रुपये) प्रति क्विंटल
2303	कार्क डिस्क	107.00 रु० (केवल एक सौ सात रुपये) प्रति क्विंटल

टिप्पणी : उप-क्रमाक 2302 और 2303 मे दी गयी प्रतिअदायगी की दरो मे प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नही है।

24. कागज की लुगदी, कागज, कागज के गत्ते, तंतु गत्ता, काष्ठ लुगदी या वनस्पति ततु के अन्य गत्ते, उनसे बनी वस्तुए, मुद्रित सामग्री, पुस्तके, पत्रिकाएं

2401	कागज की लुगदी, कागज, कागज के गत्ते, तंतु गत्ता, काष्ठ लुगदी या वनस्पति ततु के अन्य गत्ते, उनसे बनी वस्तुए, मुद्रित सामग्री, पुस्तके पत्रिकाएं जो अन्यत्र नही है	ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
2402	लुगदी बोर्ड से बने ताश के पत्ते	1 18 रु० (केवल एक रुपए अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम।
2403	20/21 जी एम एम के टिशू कागज से निर्मित कार्बन कागज	5.20 रु० (केवल पांच रुपए बीस पैसे) प्रति एक हजार, फुलस्केप शीटे जिसमें प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर यदि कोई हो, प्रतिअदायगी शामिल नही है ।

नोट : (1) फुलस्केप शब्द का अर्थ 8 1/2" × 13" आकार का कागज है।

(2) फुल स्केप से भिन्न आकार के कार्बन कागज पर प्रति अदायगी की दर ऐसे कागज का क्षेत्रफल फुलस्केप से अधिक या कम होने के अनुसार उपर्युक्त दर से अनुपाततः अधिक या कम होगी ।

2404	रिक्त	
2405	रिक्त	
2406	रिक्त	
2407	ब्लाटिंग कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं :	1.16 रु० (केवल एक रुपया सोलह पैसे) प्रति किलोग्राम।
2408	समाचार पत्र	शून्य
2409	निम्नलिखित से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुए :--	
	(i) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक के पदार्थ वाला मुद्रण और लिखाई का कागज	1.15 रु० (केवल एक रुपया पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	(ii) प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक के पदार्थ वाला मुद्रण और लिखाई का कागज	0.55 रु० (केवल पचपन पैसे) प्रति कि०ग्रा०
2410	पैक करने और लपेटने के कागज से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुए	0 70 रु० (केवल सत्तर पैसे) प्रति कि० ग्राम।
2411	लुगदी बोर्ड, ग्रे बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड और ट्रिप्लेक्स बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुए	1 18 रु० (केवल एक रुपया अठारह पैसे) प्रति किलोग्राम।
2412	रिक्त	
2413	स्ट्रा बोर्ड और मिल बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	0 32 रु० (केवल बत्तीस पैसे) प्रति कि०ग्रा०
2414	नालीदार बोर्ड से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं	1 28 रु० (केवल एक रुपया और अट्ठाइस पैसे) प्रति किलोग्राम।
2415	रिक्त	
2416	क्लिप लगी चपटी फाइलें	लुगदी बोर्ड पर उपक्रम सख्या 2411 और टीन प्लेट अन्यवस्तु पर उपक्रम सं० 3618 के सामने विनिर्दिष्ट दरो के अनुसार।

1	2	3	4
	2417	कागज शंकु (कोन)	
		(क) पैक करने और लपेटने के कागज से निर्मित	87.90 रु० (केवल सत्तासी रुपये और नब्बे पैसे) प्रति क्विंटल।
		(ख) डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स. ग्रे और लुगदी बोर्ड से निर्मित	147.40 रु० (केवल एक सौ सैंतालीस रुपये चालीस पैसे) प्रति क्विंटल।
	2418	स्ट्रा बोर्ड और/अथवा मिल बोर्ड से निर्मित कागज शंकु (कोन)	40.00 रु० (केवल चालीस रुपये) प्रति क्विंटल।
	2419	(1) कागज की जिल्द वाली पुस्तकें—	
		(क) जहां प्रयुक्त मुद्रण कागज प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का है।	1.15 रु० (केवल एक रुपया पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) जहां प्रयुक्त मुद्रण कागज 2 प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक वाले पदार्थ का है।	0.55 रु० (केवल पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(2) सख्त गत्ते के जिल्द वाली पुस्तकें—	
		(क) जहां इस्तेमाल किया गया मुद्रण कागज प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अधिक वाले पदार्थ का हो।	0.90 रु० (केवल नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) जहां इस्तेमाल किया गया मुद्रण कागज प्रति वर्ग मीटर 65 ग्राम से अनधिक वाले पदार्थ का हो।	0.48 रु० (केवल अड़तालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2420	समाचार पत्रों से भिन्न, सजिल्द या सपाट मुड़े हुए कागजों के रूप में पत्र-पत्रिकाएं।	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	2421	पोलीथीन की परत चढ़ाये गये कागज से बनी अन्यत्र अनिर्दिष्ट वस्तुएं	कागज अन्तर्वस्तु पर ऊपर उपक्रम-संख्या 2407 से 2411 और 2413 से 2414 तक के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर तथा पोलीथीन अन्तर्वस्तु पर उपक्रम संख्या 1914 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर।
	2422	रिक्त	
	2423	उपक्रम संख्या 2407 से 2411, 2413 से 2414, 2416 से 2418 और 2421 से 2422 पर विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा इन उप-क्रमांकों में उल्लिखित अथवा इन उप-क्रमांकों में उल्लिखित कागज/कागज बोर्ड के मिश्रण से बनी अन्यत्र अविनिर्दिष्ट वस्तुएं।	प्रत्येक प्रकार के कागज/कागज बोर्ड अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में संगत उप क्रम-संख्याओं के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दरें।
	2424	पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयुक्त कागज अथवा कागज बोर्ड	उप-क्रम संख्याओं 2407 से 2411 और 2413 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर पर।
	2425	सभी प्रकार की कागज की ट्यूबें जिन में रेजिन संसिक्त कागज की ट्यूबें शामिल हैं, चाहे उन पर टिन की कवच चढ़ी हो अथवा नहीं—	
		(i) पैक करने तथा लपेटने वाले कागज से बनी	उप-क्रम सं० 2410 के सामने विनिर्दिष्ट उपयुक्त दर पर।
		(ii) मिल बोर्ड तथा स्ट्रा बोर्ड से बनी	उप-क्रम सं० 2413 के सामने विनिर्दिष्ट दर पर
		(iii) ग्रे बोर्ड, डुप्लेक्स बोर्ड, टिप्लैक्स बोर्ड और लुगदी बोर्ड से निर्मित।	उप-क्रम सं० 2411 के सामने विनिर्दिष्ट समुचित दर पर।
	25	पटसन सूत से भिन्न, संश्लिष्ट और पुनर्योजित तन्तु तथा टैक्सटाइल सूत (जिसमें विमलीपट्टम जूट या मेस्टा तन्तु शामिल है), पटसन के धागे से भिन्न धागा, पटसन ट्वाइन से भिन्न ट्वाइन, पटसन की डोरियों और रस्सियों से भिन्न डोरियां और रस्सियां	
	2501	पटसन सूत से भिन्न, संश्लिष्ट और पुनर्योजित तन्तु तथा टैक्सटाइल सूत (जिसमें विमलीपट्टम जूट या मेस्टा तन्तु शामिल है, पटसन के धागे से भिन्न धागा, पटसन ट्वाइन से भिन्न ट्वाइन पटसन की डोरियों और	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर पर निर्धारित की जानी है।

1	2	3	4
		रस्सियों से भिन्न डोरियां और रस्सियां जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	
	2502	(क) 21 बी०डब्ल्यू०एस० सूत्रांक अथवा 17 इंगलिश सूत्रांक से अधिक का सूत, जो या तो विस्कोज तन्तु या एसिटेट तन्तु या पोलिएस्टर तन्तु अथवा पोलिराइड तन्तु अथवा एक्रीलिक तन्तु अथवा ऊन से पूर्णतः काता गया हो, या ऊपर उल्लिखित तन्तुओं में से दो के और दो से अनधिक के मिश्रण से काता गया हो, या सूत अथवा रेशम के साथ ऊपर उल्लिखित तन्तुओं में से किसी एक के मिश्रण से काता गया हो (लेकिन तन्तु की रद्दी, सूत की रद्दी तथा वस्त्र की रद्दी से गार्नेटिंग अथवा अन्य किसी प्रक्रिया से काते गये सूत को छोड़कर) :—	
		(क) सेलुलोजिक तन्तु अन्तर्वस्तु:	
		(i) एसीटेट तन्तु अन्तर्वस्तु	1.88 रु० (केवल एक रुपया अट्ठासी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) विस्कोस तन्तु अन्तर्वस्तु	0.83 रु० (केवल तिरासी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ख) पोलियेस्टर तन्तु अन्तर्वस्तु	40.25 रु० (केवल चालीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ग) एक्रिलिक तन्तु अन्तर्वस्तु	49.45 रु० (केवल उनचास रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(घ) पोलियामाइड तन्तु अन्तर्वस्तु	40.10 रु० (केवल चालीस रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ङ) ऊन अन्तर्वस्तु—	
		(i) वूल टाप से निर्मित बुनाई किस्म के वर्स्टेड सूत में	34.60 रु० (केवल चौंतीस रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम
		(ii) वूल टाप से नहीं बने बुनाई किस्म के वर्स्टेड सूत में	29.10 रु० (केवल उन्तीस रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) वूल टाप से निर्मित होजरी किस्म के वर्स्टेड सूत में, जिसमें हाथ की बुनाई का सूत शामिल नहीं है.	31.30 रु० (केवल इकत्तीस रुपये तीस पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iv) वूल टाप से नहीं बने होजरी किस्म के वर्स्टेड सूत में, जिस में हाथ की बुनाई का सूत शामिल नहीं है .	25.80 रु० (केवल पच्चीस रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम
		(च) रंग अन्तर्वस्तु यदि सूत रंगा हुआ हो	0.85 रु० (केवल पचासी पैसे) प्रति किलोग्राम :
		परन्तु यह तब जब कि तन्तुओं पर अदा किए गये शुल्क से, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन कोई छूट प्राप्त नहीं की गई है।	
		(ख) रिक्त	
		(ग) 21 बी०डब्ल्यू०एस० या उससे कम सूत्रांक का ऊनी वर्स्टेड सूत जिसमें कुल तंतु अन्तर्वस्तु में परिगणित ऊन का भार 50 प्रतिशत से अधिक हो (जिसमें पूर्णतः ऊनी वर्स्टेड हाथ की बुनाई का सूत शामिल नहीं है)	
		(i) ऊन अन्तर्वस्तु :	
		(क) ऊन टाप से निर्मित	केवल ऊन अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 5.50 रु० (केवल पांच रुपये पचास पैसे)
		(ख) ऊन टाप से अनिर्मित	कुछ नहीं .
		(ii) रंजक अन्तर्वस्तु यदि सूत रंजित हो .	सूत के प्रति किलो ग्राम पर 0.85 रु० (केवल पचासी पैसे) :
		लेकिन शर्त यह है कि ऊन अन्तर्वस्तु के बारे में प्रतिभवायगी की उपर्युक्त दर केवल तभी स्वीकार्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्ता पोत-लदान के समय यह घोषित करता है और यदि आवश्यक हो तो सहायक सीमा शुल्क समाहर्ता के समाधान के लिए यह सबूत प्रस्तुत करता है कि सूत वर्स्टेड सूत है।	
		(घ) ऐसे तंतुओं से काता गया रंजित सूत जिसमें संश्लिष्ट तंतु और/अथवा ऊन अन्तर्निहित हो और जो गार्नेटिंग अथवा किसी अन्य प्रक्रिया से तंतु की रद्दी, सूत की रद्दी अथवा वस्त्र की रद्दी से प्राप्त किया गया हो ।	सूत के प्रति किलोग्राम पर 0.85 रु० (केवल पचासी पैसे)

1	2	3	4
	2503	कते हुए सूत से बना धागा, ट्वाइन से डोरी तथा रस्सी जिसमे सूत, रेशम, ऊन तथा मानव निर्मित तन्तु हो, परन्तु जूट नही हो—	
		(क) सूत अन्तर्वस्तु :—	
		(i) सूत जिसके भार मे सेलुलोजिक मूल का मानव निर्मित तंतु सर्वाधिक है—	
		(1) जिसमे कुल तंतु अन्तर्वस्तु परसंगणित गैर-सैलुलोजिक तंतु न हो अथवा उसके भार के 1/6 भाग से अधिक न हों —	
		(क) 20 सूत्रांक तक के	शून्य
		(ख) 20 सूत्रांक से अधिक परन्तु 25 सूत्रांक से अधिक के नही	1 57 पैसे (केवल एक दशमलव सत्तावन पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलो ग्राम 31.5 पैसे (केवल इकत्तीस दशमलव पांच पैसे) घटाए
		(ग) 25 सूत्रांक से अधिक परन्तु 35 सूत्रांक से अधिक के नही	10.5 पैसे (केवल दस दशमलव पाच पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें 25 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 4.2 पैसे (केवल चार दशमलव दो पैसे) जोड़े
		(घ) 35 सूत्रांक से अधिक परन्तु 45 सूत्रांक से अधिक के नही	52.5 पैसे (केवल बावन दशमलव पांच पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें 35 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 8 4 पैसे (केवल आठ दशमलव चार पैसे) जोड़े
		(ङ) 45 सूत्रांक से अधिक परन्तु 55 सूत्रांक से अधिक के नही	136.5 पैसे (केवल एक सौ छत्तीस दशमलव पांच पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमे 45 सूत्रांक से अधिक पर प्रति किलोग्राम 14.7 पैसे (केवल चौदह दशमलव सात पैसे) जोड़ें
		(च) 55 सूत्रांक से अधिक के	5.7 पैसे (केवल पाच दशमलव सात पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें से 31.5 पैसे (केवल इकत्तीस दशमलव पांच पैसे) घटायें।
	टिप्पणी	प्रति अवायगी की रकम का सगणन करने मे ऊपर उल्लिखित दरो से आई रकम मे 4 6 प्रतिशत जोड़ दिया जाएगा।	
		(2) जिसमें कुल तंतु अन्तर्वस्तु पर संगणित गैर-सेलुलोजिक तन्तु उस के भार के 1/6 भाग मे अधिक हो	4.6 प्रतिशत जोड़ दिया जायेगा। 19 75 रु० (केवल उन्नीस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) सूत जिसमे सूती धागा भार में सर्वाधिक हो—	
		(1) जिसमे कुल तंतु अन्तर्वस्तु पर सगणित गैर-सेलुलोजिक तंतु न हो अथवा उसके भारम के 1/6 भाग से अधिक न हो—	
		(क) 20 सूत्रांक तक के	शून्य
		(ख) 20 सूत्रांक से अधिक परन्तु 25 सूत्रांक से अधिक के नही	1.57 पैसे (केवल एक दशमलव सत्तावन पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें से प्रति किलोग्राम 31.5 पैसे (केवल इकत्तीस दशमलव पांच पैसे) घटाए
		(ग) 25 सूत्रांक से अधिक परन्तु 35 सूत्रांक से अधिक के नही	10.5 पैसे (केवल दस दशमलव पांच पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें 25 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 4.2 पैसे (केवल चार दशमलव दो पैसे) जोड़े
		(घ) 35 सूत्रांक से अधिक परन्तु 45 सूत्रांक से अधिक के नही	52.5 पैसे (केवल बावन दशमलव पांच पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें 35 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 8.4 पैसे (केवल आठ दशमलव चार पैसे,) जोड़े
		(ङ) 45 सूत्रांक से अधिक परन्तु 55 सूत्रांक से अधिक नही के	136.5 पैसे (केवल एक सौ छत्तीस दशमलव पांच पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमे 45 सूत्रांक से अधिक पर प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम 14.7 पैसे (केवल चौदह दशमलव सात पैसे) जोड़ें
		(च) 55 सूत्रांक से अधिक के	5.7 पैसे (केवल पांच दशमलव सात पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम जिसमें प्रति सूत्रांक प्रति कि.ग्रा० 31.5 पैसे (केवल इकत्तीस दशमलव पांच पैसे) घटाये ।

1	2	3	4
	टिप्पणी :	प्रतिअदायगी की रकम का संगणन करने मे ऊपर उल्लिखित दरों से आई रकम में 4.6 प्रतिशत जोड़ दिया जायेगा।	
		(ii) जिसमें कुल तन्तु अन्तर्वस्तु पर संगणित गैर-सेलुलोजिक तन्तु उसके भार के 1/6 भाग से अधिक हो।	19.75 रु० (केवल उन्नीस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
		(iii) सूत जिसमें ऊन अथवा एक्रीलिक तंतु अथवा दोनों मिलकर सर्वाधिक हैं:—अथवा भार में सर्वाधिक है।	
		(i) जिसमें गैर-सेलुलोजिक तन्तु (एक्रीलिक तंतु से भिन्न) न हो अथवा कुल तंतु अन्तर्वस्तु पर संगणित उसके भार के 1/6 भाग से अधिक न हो—	शून्य
		(ii) जिसमें गैर-सेलुलोजिक तंतु (एक्रीलिक तंतु से भिन्न) कुल तंतु अंतर्वस्तु पर संगणित उसके भार के 1/6 भाग से अधिक हो।	19.75 रु० (केवल उन्नीस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम
		(II) कता हुआ (असतत) सूत जिसमें एक्रीलिक तंतु से भिन्न, गैर-सेलुलोजिक मूल का मानव निर्मित तंतु भार में सर्वाधिक हो।	26.35 रु० (केवल छब्बीस रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।

बशर्ते कि :—

(i) ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट सूत अंतर्वस्तु पर प्रतिअदायगी उस स्थिति में देय हो सकता है जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता जहाज पर लदान के समय यह घोषणा करता है कि प्रयुक्त सूत पर शुल्क अदा किया जा जा चुका है और जिस उप-क्रम संख्या, मद तथा उप-मद के अन्तर्गत प्रतिअदायगी का दावा किया गया है उसे वह विनिर्दिष्ट करता है। उप घोषणा में सूत में रेशे की संरचना का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए और सहायक सीमाशुल्क समाहर्ता को यह इतमिनान हो जाना चाहिए कि सूत उप-क्रम संख्या, मद और उप मद के अंतर्गत आता है। अन्यथा, प्रतिअदायगी उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णीत अन्य उपयुक्त दरों पर मंजूर की जाय।

(ii) जिस मामले में किसी सूत में निम्नलिखित तंतुओं अर्थात् (क) सेलुलोजिक मूल का मानव निर्मित तंतु, (ख) सूती तंतु, (ग) ऊनी अथवा एक्रीलिक तंतु अथवा दोनों, (घ) रेशमी तंतु, (ङ) एक्रीलिक तंतु से भिन्न गैर सैलुलोजिक मूल के मानव निर्मित तंतु में से दो अथवा उससे अधिक तंतु ऐसे उन तंतुओं में से एक तंतु की अपेक्षा भार बराबर है जिसकी सार्वाधिकता, ऐसे सूत को, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी वर्तमान में लागू संगत अधिसूचना के साथ पठित उप-मदों और मद संख्या 18–111, 18-क, 18ख, 18ग, 18ङ, में से उस उप-मद और मद (इसके बाद जिनका उल्लेख लागू मद और उप-मद के रूप में किया गया है) के अन्तर्गत ले आता है जिसमें शुल्क की उच्चतम रकम ग्रस्त है, ऐसे सूत में सर्वाधिक माना जाएगा और तदनुसार ऐसा सूत यथास्थिति लागू उप-मद अथवा मद के अन्तर्गत आने वाला समझा जाएगा। ऐसे सूत पर भी प्रतिअदायगी उसी शर्त के अधीन दी जाएगी।

(iii) सूती धागे और डोरी के संबंध में मद 2503 (क) (ii) के अन्तर्गत सूती धागा अंतर्वस्तु के कारण कोई प्रतिअदायगी स्वीकार्य नहीं होगी।

(iv) उपक्रमांक 2503(क) के अन्तर्गत जहां कहीं "सूत्रांक" शब्द आता है, उसका अर्थ "इंगलिश सूत्रांक" से है।

(ख)	ऊपर उप-मद (क) पर विनिर्दिष्ट सूतों से बनी वस्तुओं की रंजक अंतर्वस्तु यदि उनमें ऊन तथा/अथवा मानव निर्मित संश्लिष्ट तंतु का कुल 50% अथवा उससे अधिक हो और जब उक्त माल रंजित अथवा खंडशः रंजित सूत हो,	माल के काते हुए सूत अंतर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 0.90 रु० (केवल नब्बे पैसे)
(ग)	(i) 21 बी० डब्ल्यू० एस० सूत्रांक/17 इंगलिश सूत्रांक से अधिक के सूतों से बने माल में तंतु अंतर्वस्तु।	
	(क) पोलिएस्टर तंतु	41.95 रु० (केवल इकतालीस रुपये पिचानवें पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ख) पोलिएमाइड तंतु	41.85 रु० (केवल इकतालिस रुपये पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ग) सेलुलोजिक तंतु—	
	(i) एसीटेट तंतु	1.96 रु० (केवल एक रुपया छयानवें पैसे) प्रति किलोग्राम
	(ii) विस्कोस तंतु	0.87 रु० (केवल सतासी पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
		(घ) एक्रीलिक तंतु	51.55 रु० (केवल इक्यावन रुपये पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ङ) ऊन अंतर्वस्तु—	
		(i) वूल टाप से निर्मित बुनाई किस्म के वस्टेंड सूत में।	36 10 रु० (केवल छत्तीस रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) वूल टाप से अनिर्मित बुनाई किस्म के वस्टेंड सूत में।	30 40 रु० (केवल तीस रुपये चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(च) ऊन अंतर्वस्तु—	
		(1) हौजरी किस्म के वस्टेंड सूत में, जिसमे वूल टाप से निर्मित हाथ की बुनाई का सूत और बुनाई की ऊन शामिल नहीं है	32.60 रु० (केवल बत्तीस रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(I) हौजरी किस्म के वस्टेंड सूत में, जिसमें वूल टाप से अनिर्मित हाथ की बुनाई का सूत और बुनाई की ऊन शामिल नहीं है।	26 90 रु० (केवल छब्बीस रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु संश्लिष्ट अंतर्वस्तु के कारण उक्त दरों पर प्रतिप्रदायगी तभी अनुमत होगी जब निर्माता/निर्यातकर्ता जहाज में लदान के समय यह घोषणा करे कि—

(क) उपर्युक्त मद (ङ) तथा (च) में उल्लिखित सूत वस्टेंड है।

(ख) तंतुओं पर अदा किये गये शुल्क पर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं की गई है।

		(ii) (क) वस्टेंड सूत से निर्मित माल में ऊन अंतर्वस्तु जिस मे वूल टाप से निर्मित 21 बी० डब्ल्यू० एस० अथवा उससे कम के कुल तंतु अंतर्वस्तु पर संगणित भार के 50 प्रतिशत से अधिक ऊन शामिल हो (जिस में हाथ की बुनाई का सूत शामिल नहीं है)।	5 70 रु० (केवल पांच रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) वस्टेंड सूत से निर्मित माल में ऊन अंतर्वस्तु जिसमें वूल टाप से अनिर्मित 21 बी० डब्ल्यू० एस० सूत्रांक अथवा उससे कम के सम्पूर्ण तंतु/अंतर्वस्तु पर संगणित भार के 50 प्रतिशत से अधिक ऊन शामिल हो (जिसमें हाथ की बुनाई का सूत शामिल नहीं है)।	शून्य

परन्तु यह कि ऊनी अंतर्वस्तु के संबंध में उपर्युक्त दर पर प्रतिप्रदायगी तभी अनुमत्य होगी जब जहाज के लदान के समय निर्माता/निर्यातकर्ता यह घोषणा करे और यदि आवश्यक हो तो सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के इतिमिनान के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत करें कि सूत वस्टेंड सूत है।

2504	रिक्त	
2505	रिक्त	
2506	रिक्त	
2507	रिक्त	
2508	पूर्णतः अथवा अंशतः सीमल तंतु और/अथवा मनीला हैम्प तंतु से निर्मित रस्सी, डोरी, और स्लिंग	ब्रांड दरें अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने, इवाइन निर्धारित की जानी है।
2509	(क) विसकोस फिलामेंट सूत	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ख) विसकोस टायर सूत	2.75 रु० (केवल दो रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब जब कि प्रतिप्रदायगी की उपर्युक्त दरें उपर्युक्त फिलामेंट सूत से निर्मित वस्त्र के ऐसे निर्यात पर भी लागू हों, जो केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 13 और 14 के अधीन, इस प्रकार के फिलामेंट सूत पर उत्पादनशुल्क की अदायगी किये बिना बंध-पत्र के अधीन निर्यात किये गये हों।

2510	(क) विसकोस टायर डोरी/सुतली	2.75 रु० (केवल दो रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ख) विसकोस टायर डोरी/सुतली	5.35 रु० (केवल पांच रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।

व्याख्या :—(1) ऊपर (क) पर दी गयी दर विसकोस टायर डोरी/सुतली के निर्यात को तभी लागू होगी जब केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अन्तर्गत बंध-पत्र के अधीन निर्यात किया गया हो।

(2) ऊपर (ख) पर दी गयी दर केवल तभी लागू होगी यदि सूत पर उचित दर पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क अदा किया गया हो और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत उक्त शुल्क की कोई छूट नहीं ली गयी हो।

1	2	3	4
	2511	पोलिएमाइड फिलामेंट सूत—	
		(क) 225 डेनियर से अनधिक	1.80 रु० (केवल एक रुपया अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) 225 डेनियर से अधिक	6 80 रु० (केवल छ रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब जब कि प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर ऊपर बताये गये फिलामेंट सूत से निर्मित वस्त्र के ऐसे निर्यात पर भी लागू हो, जो केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अधीन, इस प्रकार के फिलामेंट सूत पर उत्पादन शुल्क की अदायगी किये बिना, बंध-पत्र के अधीन निर्यात किये गये हो।

	2512	रिक्त	
	2513	(1) पूर्णतः मानव निर्मित संश्लिष्ट फिलामेंट सूत से निर्मित धागे, सुतली, डोरियां (जिनमे पैराशूट की रस्सियां और विसकोस टायर डोरी/सुतली शामिल नही है) तथा रस्सियां।	
		(क) पालिएस्टर फिलामेंट सूत अंतर्वस्तु—	
		(i) 30 डेनियर से कम	84.00 रु० (केवल चौरासी रुपये) प्रति किलोग्राम।
		(ii) 30 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 75 डेनियर से कम।	95.55 रु० (केवल पिचानवे रुपये पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम।	68 80 रु० (केवल अड़सठ रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नही।	59.60 रु० (केवल उनसठ रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(v) 750 डेनियर से ऊपर	16.35 रु० (केवल सोलह रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) पोलिएमाइड फिलामेंट सूत अंतर्वस्तु—	
		(i) 35 डेनियर से कम	66.00 रु० (केवल छियासठ रुपये) प्रति किलोग्राम।
		(ii) 35 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 80 डेनियर से कम।	58.40 रु० (केवल अठावन रुपये चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) 80 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 110 डेनियर से कम।	50.80 रु० (केवल पचास रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) 110 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम।	43.15 रु० (केवल तैंतालीस रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 225 डेनियर से ऊपर नही।	23.25 रु० (केवल तेईस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम)।
		(vi) 225 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नही।	28.45 रु० (केवल अट्ठाईस रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(vii) 750 डेनियर से ऊपर	13.85 रु० (केवल तेरह रुपये पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ग) विसकोस फिलामेंट सूत अंतर्वस्तु—	
		(i) 75 डेनियर से कम	19.50 रु० (केवल उन्नीस रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम।	12.90 रु० (केवल बारह रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 120 डेनियर से कम।	9.50 रु० (केवल नौ रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम।	8.00 रु० (केवल आठ रुपये) प्रति किलोग्राम।
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 350 डेनियर से कम।	7.00 रु० (केवल सात रुपये) प्रति किलोग्राम।
		(vi) 350 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 1100 डेनियर से ऊपर नही।	4.95 रु० (केवल चार रुपये पिचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(vii) 1100 डेनियर से ऊपर	3.55 रु० (केवल तीन रुपये पचपन पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
		(घ) एसीटेट फिलामेंट सूत अंतर्वस्तु :—	
		(i) 75 डेनियर से नीचे	13.60 रु० (केवल तेरह रुपये साठ पैसे) प्रति किलो ग्राम।
		(ii) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से कम।	10 20 रु० (केवल दस रुपये बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 120 डेनियर से कम।	7.60 रु० (केवल सात रुपये साठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) 120 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम।	5 24 रु० (केवल पांच रुपये चौबीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(v) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 350 डेनियर से कम।	4 85 रु० (केवल चार रुपये पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(vi) 350 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 1100 डेनियर से ऊपर नहीं।	3.95 रु० (केवल तीन रुपये पचानबे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(vii) 1100 डेनियर से ऊपर	2.75 रु० (केवल दो रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(2) टैक्सचर्ड सूत अंतर्वस्तु	उपर्युक्त उप क्रमांक 2513(1) (क) से (घ) तक के अंतर्गत यथा स्थिति फिलामेंट सूत की विनिर्दिष्ट दर, जिसमें जोड़े प्रति किलोग्राम 5.25 रु० (केवल पांच रुपये पच्चीस पैसे)।
		(3) माल में फिलामेंट सूत अंतर्वस्तु की 2513 (1) पर विनिर्दिष्ट फिलामेंट सूत से निर्मित माल की रजक अंतर्वस्तु और जहां माल, सूत रंजित/टुकड़ों में रंजित हो।	0 90 रु० (केवल नब्बे पैसे) फिलामेंट सूत अंतर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर।

परन्तु शर्त यह है कि :—

(1) सूत अंतर्वस्तु के संबंध में उपर्युक्त (क) और (ख) के सम्मुख विनिर्दिष्ट दर तभी लागू होगी यदि सूत पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी उपर्युक्त दरों पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम, 1944 के अधीन उक्त शुल्क में किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की की गयी हो।

(2) (i) ऊपर (क) और (ख) के संबंध में फिलामेंट सूत अंतर्वस्तु के संबंध में उपर्युक्त दरों पर प्रतिअदायगी केवल तभी देय होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्त्ता पोत लदान के समय यह घोषणा करे कि निर्यात किये जाने वाले माल की सूत अंतर्वस्तु के संबंध में राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 15-7-1977 की अधिसूचना सं० 159—सीमाशुल्क के साथ पठित दिनांक 1-7-1977 की अधिसूचना सं० 123 और 128 के अनुसार सूत के आयातों पर शुल्क की छूट का लाभ नहीं लिया गया है।

(ii) जिस मामले में ऊपर (1) में विनिर्दिष्ट घोषणा नहीं की गयी है, उसमें उप क्रमांक 2619 में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए उसके सम्मुख उल्लिखित दर लागू होगी।

परन्तु यह तब जब कि सूत अंतर्वस्तु के संदर्भ में मद (ग) और (घ) के बारे में उपर्युक्त उल्लिखित दरें तभी लागू हो सकती है यदि सूत पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी उपर्युक्त दरों पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन, उक्त शुल्क में किसी प्रकार की छूट नहीं ली गयी हो।

26. जूट के वस्त्रों से भिन्न टैक्सटाइल वस्त्र जिनमें विमलीपटम पटसन या मेस्टा शामिल है तथा हौजरी

1	2	3	4
	2601	पटसन के वस्त्र से भिन्न टैक्सटाइल वस्त्र (जिनमें विमलीपटम जूट या मेस्टा वस्त्र शामिल है) तथा हौजरी, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	आड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्त्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।
	2602	रिक्त	
	2603	रिक्त	
	2604	रिक्त	
	2605	रिक्त	
	2606	वस्त्र और हौजरी जो पूर्णत बटे हुए धागों से बनी हो जिसमें सूत, रेशम ऊन तथा मानव निर्मित तंतु हों परन्तु पटसन नहीं हो।	सूत अंतर्वस्तु, रेशम अंतर्वस्तु तंतु अंतर्वस्तु के लिए उप-क्रम सं० 2503 के सामने यथा उल्लिखित दरें बशर्ते कि उनमें दी गयी शर्तें पूरी होती हों।

1	2	3	4
		परन्तु यह तब जब कि उप-क्रम सं० 2503 (क) (i) (i) और उप-क्रम 2503(क)(ii)(i) पर निर्दिष्ट सूतों से बनाये गये वस्त्र के संबंध में सूत अंतर्वस्तु के कारण कोई प्रतिभरवायगी स्वीकार्य नहीं होगी।	
2607	रिक्त		
2608	रिक्त		
2609	रिक्त		
2610	रिक्त		
2611	रिक्त		
2612	रिक्त		
2613	रिक्त		
2614	रिक्त		
2615	रिक्त		
2616	रिक्त		
2617	रिक्त		
2618	रिक्त		
2619	(क)	(i) पूर्णतः पोलिएस्टर फिलामेंट सूत से निर्मित वस्त्र जिसमें (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रों से भिन्न) मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्र और होजरी भी शामिल हैं :—	
		(1) 30 डेनियर से नीचे।	84.00 रु० (केवल चौरासी रुपये) प्रति किलोग्राम।
		(2) 30 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 75 डेनियर से नीचे।	76.40 रु० (केवल छिहत्तर रुपये चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(3) 75 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 100 डेनियर से नीचे।	68.80 रु० (केवल अड़सठ रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(4) 100 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर।	53 50 रु० (केवल तिरपन रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(5) 750 डेनियर से ऊपर।	16.35 रु० (केवल सोलह रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) पूर्णतः नायलोन फिलामेंट सूत से निर्मित वस्त्र जिनमें (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रों से भिन्न) मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्र, निवलटेड वस्त्र, निवलटेड कम्बल और होजरी शामिल हैं :—	
		(1) 35 डेनियर से नीचे।	64.20 रु० (केवल चौसठ रुपये बीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(2) 35 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 80 डेनियर से कम।	56.56 रु० (केवल छप्पन रुपये छप्पन पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(3) 80 डेनियर और उसके ऊपर परन्तु 110 डेनियर से कम।	48.90 रु० (केवल अड़तालीस रुपये नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(4) 110 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 150 डेनियर से कम।	41.25 रु० (केवल इकतालीस रुपये पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(5) 150 डेनियर और उससे ऊपर परन्तु 750 डेनियर से ऊपर नहीं।	21.40 रु० (केवल इक्कीस रुपये चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(6) 750 डेनियर से ऊपर।	6.80 रु० (केवल छः रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) नायलोन फिलामेंट और पालिएस्टर फिलामेंट के मिश्रित सूत से निर्मित वस्त्र जिनमें (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रों से भिन्न) मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्र और होजरी शामिल है।	सूत अन्तर्वस्तु की दरें जो यथास्थिति उप-क्रम सं० 2619, 2619 (क) (i) से (ii) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट हैं।

1	2	3	4
		(ख) ऊपर उप-क्रम सं० 2619(क) (i) से (iii) तक में विनिर्दिष्ट माल में टैक्सचर्ड सूत की अन्तर्वस्तु।	फिलामेंट सूत अन्तर्वस्तु की दर जो यथास्थिति ऊपर उप-क्रम सं० 2619(क) (i) से (iii) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, जिसमें 5.25 रु० (केवल पाच रु० पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम जोड़े।

परन्तु यह तब जब कि सूत अन्तर्वस्तु के सदर्भ में मद (क) तथा (ख) के सामने निर्दिष्ट दरें तभी लागू होंगी यदि सूत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी उपर्युक्त दरो पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन, उक्त शुल्क से किसी प्रकार की छूट प्राप्त नही की गई हो।

2620 उप-क्रम सं० 2619 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों से भिन्न पूर्णतया संश्लिष्ट मानव निर्मित फिलामेंट सूत और/अथवा टैक्सचर्ड धागे से बने वस्त्र तथा हौजरी परन्तु यह तब जब कि : — उप-क्रम सं० 2513 में विनिर्दिष्ट सूत अन्तर्वस्तु और रंग अन्तर्वस्तु की दरें।

(1) सूत अन्तर्वस्तु के सन्दर्भ मे उपर्युक्त उल्लिखित दर तभी लागू हो सकती है यदि सूत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी उपयुक्त दरों पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन उक्त शुल्क से किसी प्रकार की छूट प्राप्त नहीं की गई हो।

(2) फिलामेंट सूत अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रति-अदायगी तभी अनुमत्य होगी यदि निर्माता/निर्यातकर्त्ता पोत लदान के समय यह घोषणा करता है कि निर्यात किये जाने वाले माल में प्रयुक्त सूत अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में राजस्व तथा बैंकिंग विभाग की दिनांक 15-7-1977 की अधिसूचना सं० 159-सीमा शुल्क के साथ पठित दिनांक 1-7-1977 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 123 तथा 128 के अनुसार सूत के आयातों पर शुल्क मे छूट का लाभ नहीं उठाया।

2621	(क) विस्कोस टायर कोर्ड फैब्रिक/वार्प शीट।	2.75 रु० (केवल दो रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ख) विस्कोस टायर कोर्ड फैब्रिक/वार्प शीट।	5.35 रु० (केवल पांच रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।

व्याख्या :—(1) उपर्युक्त (क) पर दी गयी दर विस्कोस टायर/कोर्ड/वार्प शीट के निर्यात को भी लागू होगी जब वह बन्ध पत्र के अधीन केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 13 अथवा 14 के अन्तर्गत निर्यात किया गया हो।

(2) उपर्युक्त (ख) पर दी गयी दर केवल तब लागू हो गी यदि सूत पर उपयुक्त दर पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अदा किया गया हो और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई छूट नहीं ली गयी हो।

2622 रिक्त

2623 हथ करघे के सूती वस्त्र, अर्थात्—

	(1) असली मद्रासी रुमाल जिस पर नकली रेशम का अलंकरण हो।	1.40 रु० (केवल एक रुपया चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(2) हथकरघे की लुंगियां जिनमें चमकीले सूत वाली हथकरघा लुंगी शामिल है।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
	(3) हथकरघे के अन्य सभी वस्त्र जो या तो तैयार करके रंगे गये हों तथा/अथवा रंगीन धागों से निर्मित हों तथा/अथवा छपे हों (परन्तु इनमें ऐसे वस्त्र शामिल नहीं हैं जिनमें रंगीन धागे केवल बार्डर में हों तथा सारे वस्त्र में नहीं हों तथा/अथवा जिनमें केवल किनारे ही छपे हों तथा शेष सारा भाग छपा नहीं हो)	0.80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति कि० ग्रा०।

2624 रिक्त

1	2	3	4
	2625	पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक की निर्मित से विलोपित अथवा उसकी परत चढ़े टैक्स--टाइल फैब्रिक्स	
		(1) जब आधारी फैब्रिक सूती वस्त्र हो जिनमे विद्युत करघा तथा हथकरघा वस्त्र शामिल नही है।	
		(क) जहाँ पी० वी० सी० वस्त्र के निर्माण मे प्रयुक्त वस्त्र पर शुल्क की अदायगी का सबूत प्रस्तुत किया जाता है।	पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक अन्तर्वस्तु के प्रति किलो ग्राम पर 1 40 रु० (केवल एक रुपया चालीस पैसे) तथा पी० वी० सी० वस्त्र मे प्रयुक्त सूती वस्त्र पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वास्तविक रकम।
		(ख) जहाँ वस्त्र पर शुल्क की अदायगी का सबूत प्रस्तुत नही किया जाता।	पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 1 40 रु० (केवल एक रुपया चालीस पैसे)। तथा सूती वस्त्र अन्तर्वस्तु के एक सौ वर्ग मीटर पर 4 00 रु० (केवल चार रुपये)।
		(2) जहाँ इस्तेमाल किया गया आधारी वस्त्र मानव-निर्मित संश्लिष्ट विस्कोस स्टेपल तन्तुवस्त्र है।	पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक अन्तर्वस्तु के प्रति किलो ग्राम पर 1 40 रु० (केवल एक रुपया चालीस पैसे)। तथा उपक्रमांक 2503 के अन्तर्गत निर्धारित प्रति अदायगी की दरे।

व्याख्या --सूती वस्त्र अन्तर्वस्तु पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी सिद्ध करने के लिए निर्यातकर्ता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद --रूप मे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और निर्यात किये जाने वाले माल के साथ उसका यह सम्बन्ध स्थापित करेगा।

परन्तु --

(i) जहाँ निर्यातकर्ता केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन आधारी सूती फैब्रिक (विद्युत करघा और हथकरघा वस्त्र से भिन्न) पर उत्पादन शुल्क से छूट का दावा नही करता हो अथवा जहाँ पोलीविनाइल क्लोराइड यौगिक की निर्मित विलोपित अथवा उसकी परत चढ़ा हुआ इस प्रकार का टैक्सटाइल फैब्रिक उक्त नियमावली के नियम 96ब अथवा 191--क अथवा 191ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि के अनुसार निर्मित नही किया गया हो, वहाँ प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर पूर्णतया लागू होगी।

(ii) जहाँ निर्यातकर्ता ने आधारी सूती फैब्रिक पर (जिसमे हथकरघा अथवा विद्युत् करघा के फैब्रिक शामिल नही है) उत्पादनशुल्क से छूट का दावा किया हो अथवा आधारी सूती फैब्रिक (जिसमे हथकरघा/विद्युत् करघा के सूती फैब्रिक शामिल नही है) अथवा पोलीविनाइल क्लोराइड शीटिंग के सबध मे ऊपर वर्णित कार्यविधियो का लाभ उठाया हो, वहाँ प्रतिअदायगी की दर इस सशोधन की शर्त लागू होगी कि, आधारी फैब्रिक अन्तर्वस्तु तथा/अथवा पोलिविनाइल क्लोराइड अन्तर्वस्तु, यथास्थिति के सबध मे उल्लिखित दर लागू नही होगी।

	2626	फैब्रिक और होजरी जो अशत मानव-निर्मित सश्लिष्ट तन्तु धागे तथा अशत कते हुए धागे से बनी हो जिसमे सूत रेशम ऊन तथा मानव-निर्मित तन्तु हो परन्तु जिसमे पटसन नही हो, जहाँ इस प्रकार के धागे अलकरण और सजावट के धागे के रूप मे ताना अथवा बाना व दोनो रूपो मे इस्तेमाल किये जाते हो।	सूत अन्तर्वस्तु, तन्तु अन्तर्वस्तु तथा रजक अन्तर्वस्तु के लिए उपक्रम स० 2503 तथा/अथवा 2513, जैसा भी मामला हो, के समक्ष उल्लिखित दरे बशर्ते कि उसमे दी गई शर्ते पूरी होती हो।

परन्तु यह तब जबकि सूत अन्तर्वस्तु की कोई प्रतिअदायगी उस वस्त्र के सम्बन्ध मे अनुमन्य होगी जिसमे उपक्रम स० 2503(क)(1)(i) और उपक्रम स० 2503 (क)(11)(1) मे यथा निर्दिष्ट सूत का इस्तेमाल किया गया हो।

	2627	रिक्त	
	2628	केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद स० 19-1 के अन्तर्गत आने वाले सूती फैब्रिक्स तथा मद स० 19-11 के अन्तर्गत आने वाले विद्युत् करघो पर निर्मित कणीदाकारी किये सूती फैब्रिक्स -- सूती सूत अन्तर्वस्तु जिसमे सूत भार मे सार्वाधिक हो -- (i) बीस सूत्रांक तक	--शून्य--
		(ii) 20 सूत्रांक से अधिक परन्तु 25 सूत्रांक से अधिक नही।	1 57 पैसे (केवल एक दशमलव सत्तावन पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम घटाइये 31 5 पैसे (केवल इकतीस दशमलव पाँच पैसे) प्रति किलोग्राम।

1	2	3	4
		(iii) 25 सूत्रांक से अधिक परन्तु 35 सूत्रांक से अधिक नहीं।	10 5 पैसे (केवल दस दशमलव पांच पैसे) प्रति कि० ग्रा० जोड़े 4 2 पैसे (केवल चार दशमलव दो पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति कि० ग्रा० 25 सूत्रांक से अधिक पर।
		(iv) 35 सूत्रांक से अधिक परन्तु 45 सूत्रांक से अधिक नहीं।	52 5 पैसे (केवल बावन दशमलव पांच पैसे) प्रति किलो ग्राम जोड़े 8 4 रु० (केवल आठ दशमलव चार पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति कि० ग्रा० 35 सूत्रांक से अधिक पर।
		(v) 45 सूत्रांक से अधिक परन्तु 55 सूत्रांक से अधिक नहीं।	136 5 रु० (केवल एक सौ छत्तीस दशमलव पांच पैसे) प्रति किलो ग्राम जोड़े 14 7 रु० (केवल चौदह दशमलव सात पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति कि० ग्राम 45 सूत्रांक से अधिक पर।
		(vi) 55 सूत्रांक से अधिक।	5 7 पैसे (केवल पाँच दशमलव सात पैसे) प्रति सूत्रांक प्रति किलोग्राम घटायें 31 5 पैसे (केवल इकतीस दशमलव पाँच पैसे) प्रति किलो ग्राम।

परन्तु —(i) जहाँ वस्त्र में विभिन्न सूत्रांक के दो अथवा दो से अधिक सूत हो तथा/अथवा उपर्युक्त विभिन्न सूत्रांक समूहों के अन्तर्गत आते हो तो प्रतिअदायगी, प्रत्येक वर्ग के सूत के भार के आधार पर उक्त सूत्रांक समूहों कर लाग पर दी जायगी।

(ii) सूत का सूत्रांक कोरे बिना कलफ के सूत का गाइज होगा जो प्रति आधा किलोग्राम 4,000 मीटर की अट्टियों के रूप में व्यक्त किया गया है।

(iii) निर्माता/निर्यातकर्त्ता पोत लदान बिल में घोषित करता है कि सूती वस्त्रों के निर्माण में इस्तेमाल किये गये सूत पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी की जा चुकी है।

(vi) निर्माता/निर्यातकर्त्ता सहायक समाहर्ता के समाधानपद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि कणीया किये हुए वस्त्र में प्रयुक्त मूलवस्त्र का निर्माण विद्युत् करघे पर किया गया है जैसा कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क टैरिफ के प्रयोजनार्थ समझा जाता है और अधिसूचित किया जाता है।

टिप्पणी —1 प्रतिअदायगी की रकम की संगणना करने में ऊपर उल्लिखित दरों पर आई रकम में 4 6 प्रतिशत (केवल चार दशमलव छ प्रतिशत) जोड़ दिया जाएगा।

(2) 'सूत्रांक' शब्द उस क्रमांक 2628 में जहाँ कहीं भी आया हो, इसका सूत्रांक समझा जाय।

27 मुख्यत टैक्सटाइल सामग्री से बनी तैयार वस्तुएं, पोशाकें

2701	मुख्यत टैक्सटाइल सामग्री से बनी तैयार वस्तुएं, पोशाकें जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता- निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।
2702	हथकरघे के सूती वस्त्रों से निर्मित तैयार पोशाकें	पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य का 1 6 प्रतिशत (केवल एक दशमलव छ प्रतिशत)
2703	हथकरघे के सूती वस्त्रों से तैयार वस्तुएं जो उपक्रम सं० 2623 (ii) तथा 2623 (iii) के अन्तर्गत आती है।	0 80 रु० (केवल अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
2704	रिबन	
2705	टाइपराइटर तथा कार्यालय सम्बन्धी इसी प्रकार के उपस्करों में इस्तेमाल किये जाने वाले स्याही युक्त रिबन अथवा बिना स्याही वाले रिबन	सुपरफाइन किस्म के सूती वस्त्र से बने रिबन का प्रति वर्ग मीटर 0 90 रु० (केवल नब्बे पैसे)
2706	बुने हुए कपड़े और अन्य तैयार वस्तुएं जो पूर्णतया कते हुए धागे से बनी हों जिसमें सूत, रेशम ऊन और मानव निर्मित तन्तु हो परन्तु जिसमें जूट नहीं हो।	उपक्रम सं० 2503 के सामने धागा अन्तर्वस्तु रंजक अन्तर्वस्तु तथा तन्तु अन्तर्वस्तु के लिए उल्लिखित दर बशर्ते कि उनमें दी गई शर्तें पूरी की जाती हों।

परन्तु यह तब तक कि उपक्रम सं० 2503(क)(1)(1) और उपक्रम सं० 2503 (क) (11) (1) पर उल्लिखित सूत से बने वस्त्र की तैयार वस्तुओं के सबन्ध में, सन अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रति अदायगी स्वीकार्य नहीं होगी।

2707	सूती सूत निर्मित हौजरी का सामान जिनमें सूती सूत के निटिड फैब्रिक से बनी वस्तुएं शामिल है (जिनमें सूत क 205 सूत्रांक या उससे कम सूत्रांक का सामान शामिल नहीं है)—	
	(क) जहां सूती हौजरी का पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य 60 00 रु० (केवल साठ रुपये) प्रति किलोग्राम अथवा इससे कम है	पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य का 1 5% (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) अथवा 0 90 रु० (केवल नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी कम हो
	(ख) जहां सूती हौजरी का पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य 60.00 रु० (केवल साठ रुपये) प्रति किलोग्राम से अधिक हो।	पोत पर्यन्त नि शुल्क मूल्य का 2% (केवल दो प्रतिशत) अथवा 3 00 रु० (केवल तीन रुपये) प्रति किलोग्राम, इनमें से जो भी कम हो।

1	2	3	4
	2708 रिक्त		
	2709 रिक्त		
	2710 रिक्त		
	2711 रिक्त		
	2712 रिक्त		
	2713 रिक्त		
	2714 रिक्त		
	2715 रिक्त		
	2716 रिक्त		
	2717 रिक्त		
	2718 रिक्त		
	2719 (क) निटवेयर और अन्य निम्नलिखित से बनी हुई वस्तुएं—		
	(i) पूर्णतः पालिएस्टर फिलामेंट सूत से निर्मित (हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्त चालित मशीन से कशीदाकारी किए गये वस्त्रों से भिन्न)	सूत अन्तर्वस्तु की दरें जो उपक्रम सं० 2619 (क) (i) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है।	
	(ii) पूर्णतः नायलान फिलामेंट सूत से निर्मित (मछली पकड़ने के जालों तथा हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किए गए वस्त्रों से भिन्न)	सूत अन्तर्वस्तु की दरें जो उपक्रम संख्या 2619 (क) (ii) में विनिर्दिष्ट है।	
	(iii) नायलान फिलामेंट तथा पोलिएस्टर फिलामेंट के मिश्रित सूत से निर्मित (मछली पकड़ने के जालों तथा हाथ से कशीदाकारी किये गये अथवा हस्तचालित मशीन से कशीदाकारी किये गये वस्त्रों से भिन्न)	सूत अन्तर्वस्तु की दरें जो उपक्रम संख्या 2619(क) (iii) में विनिर्दिष्ट है।	
	(ख) उपक्रम संख्या 2719(क)(i), (ii) तथा (iii) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं में टैक्सचर्ड सूत अन्तर्वस्तु	फिलामेंट सूत अन्तर्वस्तु की दर जो ऊपर उपक्रम संख्या 2619 (क) (i) से (iii) तक के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, जैसे भी स्थिति हो, और 5.25 रु० (केवल पांच रुपये और पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम	

परन्तु यह तब जब कि सूत अन्तर्वस्तु के संबन्ध में मद (क) तथा (ख) में उल्लिखित दरें तभी लागू होंगी यदि सूत पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की अदायगी उपर्युक्त दरों पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अधीन उक्त शुल्क के किसी प्रकार की छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो।

	2720 निटवेयर तथा अन्य तैयार वस्तु से अत्यन्त मानव निर्मित संश्लिष्ट फिलामेंट सूत में तथा अथवा टैक्सचर्ट सूत से, और अशतः कते हुए सूत से बनी हों, जिसमें सूत, रेशम, ऊन और मानव निर्मित तन्तु हो परन्तु जिसमें जूट नही हो और जहां इस प्रकार के सूत अलंकरण/सजावट के लिए ताना अथवा बाना दोनों के रूप में, इस्तेमाल किये जाते है।	उपक्रम सं० 2503 तथा/अथवा 2513, जैसा भी मामला हो, के मामले सूत अन्तर्वस्तु तन्तु अन्तर्वस्तु तथा रंजक अन्तर्वस्तु के लिए उल्लिखित दरें, बशर्ते कि उसमें दी गई शर्तें पूरी की जानी हों।	

परन्तु उपक्रम सं० 2503(क) (1)(1) तथा 2503 (क)(2)(1) पर उल्लिखित सूत से बने वस्त्रो की तैयार वस्तुओं के संबन्ध में सूत अन्तर्वस्तु के कारण कोई प्रतिअदायगी स्वीकार्य नही होगी।

	2721 उपक्रम संख्या 2917 के अन्तर्गत आने वाले निटवेयर तथा अन्य तैयार वस्तुएं (मछली पकड़ने के जालों को छोड़कर) जो पूर्णतः मानव निर्मित संश्लिष्ट फिलामेंट सूत तथा/अथवा टैक्सचर्ट सूत से निर्मित हों।	उपक्रम सं० 2513 में यथा विनिर्दिष्ट सूत अन्तर्वस्तु और रंजक अन्तर्वस्तु की दर।	

परन्तु यह तब जब कि.—

(1) सूत अन्तर्वस्तु के सबन्ध में उपर्युक्त उल्लिखित दर तभी लागू हो सकती है यदि सूत पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की अदायगी उपर्युक्त दरो पर की जा चुकी हो तथा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम, 1944 के अधीन उक्त शुल्क से किसी प्रकार की छूट प्राप्त नही की गयी हो।

(2) फिलामेंट सूत अन्तर्वस्तु के सबन्ध में उपर्युक्त दर पर प्रतिअदायगी केवल तभी स्वीकार्य होगी जब निर्माता/निर्यातकर्ता पोत लदान के समय यह घोषणा करता है कि दिनांक 15-7-77 की अधिसूचना स० 159-सीमाशुल्क के साथ पठित राजस्व और बैंकिंग विभाग की दिनांक 1-7-77 की अधिसूचना स० 123 और 128 की शर्तों के अनुसार सूत के आयात पर शुल्क से छूट का लाभ निर्यात माल के सूत अन्तर्वस्तु के सबन्ध मे नही उठाया गया है।

1	2	3	4
	2722	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट जूट निर्मितिया (जिनमें विमलीपटन जूट अथवा मेस्टा ततु शामिल है) जिनमें जूट भार में सर्वाधिक हो, जबकि उनका निर्यात इसी रूप में किया जाय अथवा जब उनका इस्तेमाल अन्य वस्तुओं को पैक करने के लिए किया जाय ।	630.00 रु० (केवल छः सौ तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		परन्तु यह तब जब कि :—	
		(1) माल का निर्यात इसी रूप में किया जाता हो तो प्रतिअदायगी उपर्युक्त दर पर तब लागू होगी जब निर्यातकर्ता पोत लदान बिल पर यह घोषित करता हो तथा सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप का यह प्रमाण भी प्रस्तुत करता हो कि माल पर शुल्क की अदायगी कर दी गई है और यह कि इस प्रकार के माल के सबन्ध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अन्तर्गत शुल्क में किसी छूट का दावा नही किया गया है।	
		(2) यह भी कि जूट की वस्तुओ का इस्तेमाल निर्यात की अन्य वस्तुओं को पैक करने के लिए किया जाता है तो जूट की इस प्रकार की वस्तुओं के संबन्ध में केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के नियम 191-ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का पालन नहीं किया गया है ।	
	2723	नारियल की जटा के उत्पाद जिनमे जूट हो ।	630.00 रु० (केवल छः सौ तीस रुपये) जूट अन्तर्वस्तु का प्रति मीट्रिक टन ।
	2724	गैस मेंटल	दर, प्रति 100 गुरूस
		(1) 200 सी०पी०	252.00 रु० (केवल दो सौ बावन रुपये)
		(2) 300 सी० पी	256.20 रु० (केवल दो सौ छप्पन रुपये बीस पैसे)
		(3) 400 सी० पी०	284.90 रु० (केवल दो सौ चौरासी रुपये नब्बे पैसे)
		(4) 500 सी० पी०	304.50 रु० (केवल तीन सौ चार रुपये पचास पैसे)
		(5) 600 सी० पी०	322.00 रु० (केवल तीन सौ बाईस रुपये)
		(6) 800 सी० पी०	336.00 रु० (केवल तीन सौ छत्तीस रुपये)
		(7) 1000 सी० पी०	336.00 रु० (केवल तीन सौ छत्तीस रुपये)
	2725	रिक्त	
	2726	पटसन की वस्तुएं जिन पर कागज अथवा पोलीथीन अथवा दोनो का अस्तर लगा हो/परत चढ़ी हो/ एक्सट्रूजन विलेपित हो ।	
		(i) पटसन तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु ।	630.00 रु० (केवल छः सौ तीस रुपये) पटसन अन्तर्वस्तु के संबंध में प्रति मीट्रिक टन तथा पोलिथीन अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के संबन्ध में पोलिथीन से बनी वस्तुओं के लिए उपक्रम सं० 1914 के अन्तर्गत निर्धारित उपर्युक्त दर ।
		(ii) कागज अन्तर्वस्तु	क्रम संख्या 24 के अन्तर्गत उपयुक्त दर ।
	2727	सूती वाटर प्रूफ तिरपाल	
		(i) जहां तिरपाल का पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य 6.00 रु० (केवल छः रुपये) प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)
		(ii) जहां तिरपाल का पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य 6.00 रु० (केवल छः रुपये) प्रति वर्ग मीटर से अधिक हो ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पांच प्रतिशत) ।
		परन्तु यह तब जब कि सूती वाटर प्रूफ तिरपाल के निर्माण के संबन्ध में निर्माता/निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191–क अथवा 191–ख के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि का लाभ नही उठाया हो।	
	2728	रेयन फिलामेंट सूत से निर्मित रेयन के सभी आकारों के फीते अथवा रेयन की पिट्टियां ।	2.40 रु० (केवल दो रुपये और चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	2729	रिक्त	
	2730	टैक्सटाइल वस्त्रो से बनी सभी किस्म की तैयार पोशाके परन्तु जिनमें अंशतः अथवा पूर्णतया रेशम, सूती हथकरघा तथा विद्युत करघा वस्त्र होजियरी से बनी पोशाके शामिल नही है ।	
		(1) जिन मामलों में पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त वस्त्रों पर शुल्क की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत किया गया हो।	

1	2	3	4
		(क) पायजामों से भिन्न तैयार पोशाकें	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत), तथा पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर उपक्रम सं० 2606, 2619, 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संबन्ध में, यथास्थिति, निर्धारित की गई प्रति अदायगी की दरों का 107 प्रतिशत (केवल एक सौ सात प्रतिशत) तथा पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर वस्तुतः अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क का 107 प्रतिशत (केवल एक सौ सात प्रतिशत)
		(ख) पायजामें	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पोशाकों की वस्त्र, अन्तर्वस्तु पर, यथास्थिति उपक्रम सं० 2606, 2619, 2620 तथा 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संबन्ध में निर्धारित की गई प्रतिअदायगी की दरों का 112 प्रतिशत (केवल एक सौ बारह प्रतिशत) तथा पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर अदा किए गये वास्तविक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का 112 प्रतिशत (केवल एक सौ बारह प्रतिशत)
	(ii) जिस मामले में निर्माण में प्रयुक्त वस्त्र पर शुल्क की अदायगी का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाता—		
		(क) पायजामों से भिन्न तैयार पोशाके	पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर उप-क्रमांक 2606, 2619, 2620 और 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संबन्ध में यथास्थिति, निर्धारित की गई प्रतिअदायगी की दर का 107 प्रतिशत (केवल एक सौ सात प्रतिशत)
		(ख) पायजामें	पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पोशाकों की वस्त्र अन्तर्वस्तु पर उप-क्रमांक 2606, 2619, 2620 और 2626 के अन्तर्गत आने वाले वस्त्रों के संबन्ध में यथास्थिति निर्धारित की गई प्रतिअदायगी की दर का 112 प्रतिशत (केवल एक सौ बारह प्रतिशत) :

परन्तु शर्त यह है कि जिन मामलों में निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 191—क अथवा 191—ख के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ उठाया हो, उनमें प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दरें लागू नहीं होंगी।

व्याख्या : (1) पोशाकों के निर्माण में प्रयुक्त ऐसे वस्त्रों पर, जिनकी निकासी किसी गैट-पास विशेष के अन्तर्गत की गई हो, उत्पादन शुल्क की अदायगी को प्रमाणित करने और उपर्युक्त (i) के अन्तर्गत प्रतिअदायगी का दावा पेश करने के लिए उन्हें निर्यात किये जाने वाले माल से सह-संबन्धित करने की दृष्टि से, निर्यातकर्ता/निर्माता नीचे दिए गये प्रोफार्मा में विवरणी 'क' और 'ख' दाखिल करेंगे जिसे विधिवत पूरा किया गया हो और प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हों तथा उन्हें पोतलदान बिल प्रस्तुत करते समय निर्यात विभाग में पेश करेंगे अथवा सहायक सीमा-शुल्क संग्राहक (प्रतिअदायगी) के पास पोतलदान के बाद प्रस्तुत करेंगे, और इसके बाद विवरणियों को सत्यापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी करेंगे। यहां निर्यातकर्ता पोशाकों के निर्माता नहीं है वहां विवरणियों पर निर्माता तथा निर्यातकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए जाने हैं। उक्त विवरणियों में किसी प्रकार के फेरबदल की सूचना

1	2	3	4
			निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा निर्यात के पतन के सहायक समाहर्ता, को भेजी जायेगी ।
			(2) उन मामलों में जहां कारखाना पोत-खदान के स्थान से भिन्न स्थान पर स्थित हों वहां निर्यातकर्ता/निर्माता द्वारा उसी प्रकार की विवरणी 'क' और 'ख' उस सहायक समाहर्ता, सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पादनशुल्क को भी प्रस्तुत करेगा जिसके अधिकार-क्षेत्र में कारखाना हो और वह उन विवरणियों की जांच करेगा और निर्यात के पतन पर सीमाशुल्क के संबन्धित सहायक समाहर्ता को विवरणियों में दिए गए ब्यौरों की सत्यता के बारे में सूचित करेगा ।
			(3) जिन मामलों में निर्माता/निर्यातकर्ता उपर्युक्त विवरणियां 'क' और 'ख' पेश नहीं कर सकते उन मामलों में दावों का निपटान उपर्युक्त (ii) के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा।
			(4) उपर्युक्त (i) और (ii) में उल्लिखित वस्त्र अन्तर्वस्तु का संकेत पोशाकों में प्रयुक्त मुख्य/बाह्य वस्त्र मात्र से है और इसमें अस्तर, कालर, कफ जेब आदि तथा अन्य सजावटों के लिए प्रयुक्त वस्त्र शामिल नहीं है ।

विवरण—पत्र 'क'

निर्यातकर्ता का नाम और पूरा पता

निर्माता का नाम और पूरा पता

प्रतिअदायगी सार्वजनिक सूचना सं०

दिनांक. . ... के उप-क्रमांक 2730 के अन्तर्गत सबे उद्ग्राह दर पर पोशाकों के लिए हमारे प्रतिअदायगी के दावे की विवरणी

क— पोत परिवहन बिल सं० और तारीख :

ख— जलयान का नाम अथवा क्या हवाई जहाज द्वारा भेजा गया .

ग— निर्यात की गई पोशाकों का वर्णन और माडल संख्या :

घ— निर्यात की गई मात्रा (अवव और वजन) :

ङ— शुद्ध पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य :

च— (i) प्रयुक्त मूल कपड़े का पूर्ण वर्णन और उसकी तन्तु संरचना, यह भी बताए कि क्या वस्त्र के किसी भाग में कढ़ाई की हुई है ;

(ii) प्रयुक्त मूल कपड़े का सुत्राक/डेनियार ;

(iii) मूल कपड़े का प्रति वर्ग मीटर ग्राम में वजन :

छ— निर्यात की जाने वाली पोशाकों में प्रयुक्त मूल कपड़ा शुद्ध वर्ग मीटरों में.—

(i) बिना कढ़ाई वाला कपड़ा

(ii) कढ़ाई किया हुआ या प्रक्रियागत कपड़ा

ज— निर्यात किए गये पोशाकों में रखे गये मूल कपड़े की शुद्ध मात्रा, वर्ग मीटर में :

(i) बिना कढ़ाई का कपड़ा ;

(ii) कढ़ाई किया हुआ या प्रक्रियागत कपड़ा :

झ— जोड़िए क्षति के सम्बन्ध में निर्यात की जाने वाली पोशाकों में रखे गये मूल कपड़े का, यथास्थिति, 7 प्रतिशत या 12 प्रतिशत,

(i) बिना कढ़ाई के कपड़े के लिए ;

(ii) कढ़ाई किए हुए या प्रक्रियागत कपड़े के लिये.

ञ— मूल कपड़े की कुल मात्रा, अर्थात् शुद्ध खपत+यथास्थिति, 7 प्रतिशत या 12 प्रतिशत, वर्ग मीटरों में

(i) बिना कढ़ाई किया हुआ . ... . . .वर्ग मीटर

(ii) कढ़ाई का या प्रक्रियागत..... . . वर्ग मीटर

ट— कढ़ाई के वजन को शामिल किए बिना, यथास्थिति 7 प्रतिशत या 12 प्रतिशत खराब हुए कपड़े की मात्रा सहित मूल कपड़े का शुद्ध वजन

1	2	3	4

ठ– मूल कपड़े के प्रति वर्ग मीटर या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का औसत भार (संलग्न क्रय विवरण-पत्र 'ख' के अनुसार) :

(1) बिना कढ़ाई के कपड़े के लिए

(2) कढ़ाई के अथवा प्रक्रियागत कपड़े के लिए

ड– मूल कपड़े में अन्तर्गस्त केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की कुल रकम, अर्थात् शुद्ध वस्त्र अन्तर्वस्तु—यथास्थिति 7 प्रतिशत या 12 प्रतिशत।

(1) .....वर्ग मीटर (बिना कढ़ाई किया हुआ रु० प्रति वर्ग मीटर की दर पर)

(2) .....वर्ग मीटर (कढ़ाई किया हुआ अथवा प्रक्रियागत) रु०.....प्रति वर्ग मीटर की दर पर।

ढ– प्रतिभ्रदायगी की कुल रकम जिसका दावा किया गया है :

(1) पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत की दर पर; तथा

(2) मूल कपड़े का 7 या 12 प्रतिशत, यथास्थिति जैसा कि ऊपर 'ड' मे है; तथा

(3) निम्नलिखित उप-क्रमांक के अनुसारतन्तु अन्तर्वस्तु के रु०..... प्रति किलोग्राम की दर से—

2602 या
2603 या
2606 या
2619 या
2620 या
2626

(4) रंजित वस्त्रों के लिए रु०.....प्रति किलोग्राम की दर पर (ऊपर स्तंभ ट के अनुसार) .....

जोड़.....

प्रमाणित किया जाता है कि हम नियम 191क और 191ख के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादनशुल्क का लाभ नहीं ले रहे हैं न ही हम किसी भी समय केन्द्रीय उत्पादनशुल्क समाहर्ता से इन लाभों का फायदा उठायेंगे। उपयोग किये गये वस्त्र पर पूर्णरूप से शुल्क अदा किया गया है।

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर) (निर्माता के हस्ताक्षर)

विवरण-पत्र 'ख'

निर्यातकर्ता का नाम और पूरा पता..... निर्माता का नाम और पूरा पता.....

1. निर्यात की गई पोशाकों के निर्माण के लिए शुल्क अदा किए हुए वस्त्रों की प्राप्ति विवरण-पत्र 'क' के अनुसार

क्रम संख्या	उल्लिखित वस्त्रों का विवरण	वस्त्र सप्लाई करने वाली मिल का नाम और पता	गेट पास सं० और तारीख	लम्बाई मीटरों में	चौड़ाई सेन्टी मीटरों में	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7

शुद्ध निर्धारित मूल्य (जब शुल्क मूल्यानुसार है)	उत्पाद शुल्क की दर	अदा किये गये शुल्क की कुल रकम	वस्त्र संरचना ताना और बाना तथा सूचकि/डेनियर ग्रामें प्रति वर्ग मीटर
8	9	10	11

औसत शुल्क प्रति वर्ग मीटर

11 उपर्युक्त कपडे में से निर्यात किए गये पोशाकों के निर्माण के लिए, ऐसे शुल्क प्रदत्त वस्त्र की प्राप्ति जिस पर बाद में प्रक्रिया की गई अथवा कढाई की गई।

उल्लिखित वस्त्रों का विवरण	उस कारखाने का नाम जहां प्रक्रिया की गई/कढाई की गई	गैट पास सं० और तारीख	लम्बाई मीटरो में	चौडाई सैंटीमीटरों में	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6

शुद्ध निर्धारित मूल्य (जब शुल्क मूल्यानुसार है)	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दर	और आगे प्रक्रिया करने के लिए या कढाई के लिए अदा किया गया कुल उत्पादन शुल्क	प्रक्रिया और कढाई करने से पूर्व मूल कपडे पर अन्तर्ग्रस्त उत्पादन शुल्क	प्रक्रियागत या कढाई किए हुए कपडे पर सामग्री कुल उत्पादन शुल्क अर्थात् 9 से 10
7	8	9	10	11

औसत शुल्क प्रति वर्ग मीटर

[(i) और (ii) दोनो के लिये]

वस्त्र चित्रंजित, रंजित छपा हुआ है अथवा नही।	वस्त्र से निर्मित पोशाको का विवरण विवरणी 'क' की क्र० सं० दें	निर्यात का ब्यौरा		
		पोतलदाम बिल स०	तारीख	निर्यात की गई मात्रा
12	13		14	

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है।

(निर्यातकर्ता के हस्ताक्षर) (निर्माता के हस्ताक्षर)

1	2	3	4
	2731	तैयार पोशाकें, जो सूती बिजली करघा वस्त्रों से बनी हों।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 1.6 प्रतिशत (केवल एक दशमलव छ: प्रतिशत)
28.		फर्श के आवरण जिनमें कालीन शामिल है।	
	2801	फर्श के आवरण जिनमें कालीन भी शामिल है, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	आड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से आवेदन पत्र-प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है।
	2802	मशीन से निर्मित गुच्छेदार ऊनी कालीनों से भिन्न ऊनी कालीन	0.35 रु० (केवल पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		व्याख्या--'ऊनी कालीन' का अर्थ उस कालीन से है जिसमें ऊनी मूल अन्तर्वस्तु का भार 50 प्रतिशत से कम नहीं हो।	
	2803	कोयर अथवा पटसन की चटाइयां अथवा मैटिंग्स	पटसन अन्तर्वस्तु के प्रति मीट्रिक टन पर 630.00 रु० (केवल छ: सौ तीस रुपये)
	2804	रिक्त	
	2805	रिक्त	
29.		जूते और जूतों के हिस्से	
	2901	जूते और जूतों के हिस्से जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	आड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।
	2902	तले अथवा बगैर तले वाले चमड़े के जूते, जिसमें रबड़ अथवा प्लास्टिक के तले भी शामिल है, (किन्तु जिसमें टायर के तले वाले चमड़े के जूते और कोल्हापुरी चप्पलें शामिल नहीं हैं) और जूतों का चमड़े का ऊपरी भाग	
		(i) जहां पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 20.00 रु० प्रति जोड़े से कम हो।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)
		(ii) जहां पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य 20.00 रु० प्रति जोड़ा अथवा उससे अधिक किन्तु 40 रु० प्रति जोड़े से कम हो।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत) अथवा 1.00 रु० (केवल एक रुपये) प्रति जोड़ा, जो भी अधिक हो।
		(iii) जहां पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 40 रु० प्रति जोड़ा अथवा उससे अधिक हो।	पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य का 3.4 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव चार प्रतिशत) अथवा 1.60 रु० (केवल एक रुपया और साठ पैसे) प्रति जोड़ा इनमें से जो भी अधिक हो।
		टिप्पणी: उपर्युक्त दरें 30-9-1978 तक वैध हैं।	
	2903	रिक्त	
30.		छाते और छातों की फिटिंगें	
	3001	छाते और छातों की फिटिंग जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं है।	आड दरें, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है।
	3002	छाते तथा छातों के हिस्से :	
		(क) कमानी	
		(i) फ्लूटेड कमानियां	636.00 रु० (केवल छ: सौ छत्तीस रु०) प्रति मीट्रिक टन।
		(ii) दूसरे प्रकार की कमानियां अर्थात् टोस कमानियां तथा लचीली कमानियां	340.00 रु० (केवल तीन सौ चालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
		(ख) छातों के हत्थे तथा छड़ें —	
		(i) सी० एच० सी० ए० इस्पात की चादरों/पट्टियों से निर्मित	उप-क्रम सं० 3640 (च) के अन्तर्गत अनुमत्य दर पर प्रतिअदायगी।
		(ii) अन्य	जिस सामग्री से हत्थे अथवा छड़े बनाई गयी हों, उसके अनुसार प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर, यदि कोई हो।
		(ग) छातों के फ्रेम संयोजित अथवा असंयोजित	उपर्युक्त (क) पर उल्लिखित उपयुक्त दर पर प्रतिअदायगी तथा उपर्युक्त (ख) पर उल्लिखित उपयुक्त दर पर प्रति अदायगी।
		(घ) छाते पूर्ण संयोजित अथवा असंयोजित	(i) उन मामलों में, उपर्युक्त (ग) पर उल्लिखित उपयुक्त दर पर प्रतिअदायगी तथा वस्तुत: इस्तेमाल किए गए सूती वस्त्र पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के समतुल्य प्रतिअदायगी, जिनमें निर्यातकर्ता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के इत्मीनान के लिए यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि नीचे दी हुई मानक अपेक्षा के आधार पर संगणित, छातों के सूती वस्त्र सम्बन्ध में शुल्क अदा कर दिया गया है।

1	2	3	4
		(ii) छाते की किस्म	प्रति दस दर्जन छातों की सूती वस्त्र अन्तर्वस्तु
		15″ × 8″	67 (केवल सड़सठ) वर्ग मीटर
		17″ × 8″	87 (केवल सत्तासी) वर्ग मीटर
		19″ × 8″	97 (केवल सतानवे) वर्ग मीटर
		20″ × 8″	102 (केवल एक सौ दो) वर्ग मीटर
		20″ × 10″	112.5 (केवल एक सौ बारह दशमलव पांच) वर्ग मीटर
		21″ × 8″	102.5 (केवल एक सौ दो दशमलव पांच) वर्ग मीटर
		21″ × 10″	115 (केवल एक सौ पन्द्रह) वर्ग मीटर
		23″ × 8″	115 (केवल एक सौ पन्द्रह) वर्ग मीटर
		23″ × 10″	125 (केवल एक सौ पच्चीस) वर्ग मीटर
		24″ × 8″	123.6 (केवल एक सौ तेईस दशमलव छः) वर्ग मीटर
		25″ × 8″	128 (केवल एक सौ अट्ठाईस) वर्ग मीटर
		25″ × 10″	138 (केवल एक सौ अड़तीस) वर्ग मीटर
		25″ × 12″	145 (केवल एक सौ पैंतालीस) वर्ग मीटर
		25″ × 16″	153 (केवल एक सौ तिरपन) वर्ग मीटर
		27″ × 8″	150 (केवल एक सौ पचास) वर्ग मीटर
		27″ × 10″	156 (केवल एक सौ छप्पन) वर्ग मीटर
		27″ × 12″	165 (केवल एक सौ पैंसठ) वर्ग मीटर
		27″ × 16″	180 (केवल एक सौ अस्सी) वर्ग मीटर
31		**मनुष्य के बाल और उसके उत्पाद**	
	3001	मनुष्य के बाल और उसके उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
32		**एस्बेस्टास, सीमेन्ट से निर्मित उत्पाद अथवा दोनों**	
	3201	एस्बेस्टास, सीमेन्ट अथवा दोनों से निर्मित उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है ।	ब्राण्ड पर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
	3202	(1) एस्बेस्टास सीमेन्ट के प्रेशर पाइप तथा कपलिंग (2) एस्बेस्टास सीमेन्ट की स्लाट चद्दरें, छत के लिए चद्दरें तथा उपांग । (3) एस्बेस्टास सीमेन्ट उत्पाद जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	दरें बाद में घोषित की जायेंगी ।
33.		**चीनी मिट्टी के उत्पाद, उच्च तापसह रिफरेक्ट्रीज तथा मिट्टी के बर्तन**	
	3301	चीनी मिट्टी के उत्पाद, उच्चताप सह तथा मिट्टी के बर्तन जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जानी है ।
34		**काँच और काँच के सामान जिसमें काँच के दर्पण और निर्वात प्लास्क सम्मिलित हैं ।**	
	3401	रिक्त	
	3402	काँच और काँच का सामान	
		(क) शीट काँच और प्लेट काँच	25.70 रु० (केवल पच्चीस रुपये सत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) प्रयोगशाला में काम आने वाला काँच का सामान	73.90 रु० (केवल तिहत्तर रुपये नब्बे पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ग) काँच के खोल, विद्युत रोशनी के बल्बों और फ्लोरोसेन्ट विद्युत ट्यूबों के लिये काँच के खोल, लैम्प और लालटेन के लिए काँच के ग्लोब और काँच की चिमनी	45.00 रु० (केवल पैंतालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(घ) रिक्त	
		(ङ) काँच की बोतलें :	
		(i) जब इसी रूप में निर्यात की जाती हो ।	26.75 रु० (केवल छब्बीस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ii) जब अन्य निर्यात माल के पैकिंग के लिए प्रयुक्त किया गया हो ।	508.00 रु० (केवल पाँच सौ आठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
		(च) (क) कांच की शीशी/छोटी शीशी/इंजेक्शन की शीशी जब इसी रूप में (खाली) निर्यात की गयी हो ।	45.60 रु० (केवल पैंतालीस रु० साठ पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) कांच की शीशी/छोटी शीशी/इंजेक्शन की शीशी जब ये अन्य निर्यात माल को पैक करने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं :	
		(i) 5 सी०सी०/5 मि०लि० माप की और उससे ऊपर किन्तु 7.5 सी०सी०/7.5 मि०लि० से नीचे ।	11.25 रुपये (केवल ग्यारह रुपय पच्चीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(ii) 7.5 सी०सी०/7.5 मि०लि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 10 सी०सी०/10 मि०लि० से कम क्षमता वाली ।	16.65 रुपये (केवल सोलह रुपये पैंसठ पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(iii) 10 सी०सी०/10 मि०लि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 15 सी०सी०/15 मि०लि० से कम क्षमता वाली ।	24.15 रु० (केवल चौबीस रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(iv) 15 सी०सी०/15 मि०लि० तथा उससे अधिक क्षमता वाली परन्तु 20 सी०सी०/20 मि०लि० से कम क्षमता वाली ।	29.55 रु० (केवल उन्तीस रुपये और पचपन पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(v) 20 सी०सी०/20 मि०लि० क्षमता वाली ।	39.50 रु० (केवल उन्तालीस रुपये पचास पैसे) प्रति एक हजार नग ।
		(छ) अन्य सभी प्रकार के कांच तथा कांच का सामान जिनमें तार-कांच और चित्रित कांच शामिल हैं ।	25.70 रुपये (केवल पच्चीस रुपये सत्तर पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
	3403	रिक्त	
	3404	सभी प्रकार के वेक्यूम फ्लास्क	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत) ।
	3405	सभी किस्म के वैक्यूम फ्लास्कों के लिए रिफिल	पोत पर्यन्त निःशुल्क निर्यात मूल्य का 1 प्रतिशत (केवल एक प्रतिशत) ।
35.		**परिष्कृत कलचर्ड मोती**	
	3501	परिष्कृत कलचर्ड मोती अर्थात् ऐसे कलचर्ड मोती जो सुराख करके, विरंजित करके, पालिश करके तैयार किये गये हों अथवा कच्चे कलचर्ड मोतियों या विवाकों मोतियों की प्रक्रिया करने से तैयार किये हों ।	विवाकों मोती अन्तर्वस्तु को प्रति ग्राम 1.39 रु० (केवल एक रुपया और उनतालीस पैसे) तथा विवाकों से भिन्न कलचर्ड मोतियों की अन्तर्वस्तु का प्रति ग्राम 0.82 रु० (केवल बयासी पैसे) ।

परन्तु यह तब जबकि परिष्कृत कलचर्ड मोतियों का निर्यात करते समय निर्यातकर्ता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है और विनिर्माता से यह प्रमाण-पत्र लेकर भी प्रस्तुत करता है कि 105 ग्राम मात्रा के विवाकों अथवा विवाकों से भिन्न किस्म के कलचर्ड मोतियों का, यथा स्थिति, विनिर्माता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा आयात किया गया है तथा उसका इस्तेमाल निर्यात किये गये उत्पाद के प्रति 100 ग्राम के विनिर्माण के लिये ऐसे निर्यात की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती बारह महीनों की अवधि के भीतर किया गया है और आयात किये गये विवाकों अथवा विवाकों से भिन्न कलचर्ड मोतियों की मात्रा :

(i) परिष्कृत कलचर्ड मोतियों के किसी पिछले निर्यातों के प्रति उसी प्रकार यह सम्बन्धित नहीं किया गया है और उन्हें हिसाब में नहीं लिया गया है, अथवा

(ii) उन्हें इसी प्रकार अथवा किसी अन्य रूप में प्रतिग्रदायगी के दावे सहित अथवा दावे के बिना, इससे पूर्व पुनर्निर्यात किया गया हो ।

36.		**लोहे और इस्पात के डलों तथा अन्य प्राथमिक रूपों के सिवाय (जिसमें ट्यूबों और पाइपों के लिए ब्लैंक सम्मिलित है) लोहा और इस्पात :**	
	3601	रिक्त	
	3602	मुद्रित कलईदार प्लेटों कलईदार चादरें	921.00 रु० (केवल नौ सौ इक्कीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

परन्तु यह तब, जबकि मुद्रित कलईदार प्लेटों/कलईदार चादरों के निर्माण में इस्तेमाल की गई कलईदार प्लेटों/कलईदार चादरों पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का दावा निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम, 1944 के अधीन अलग से नहीं किया गया है तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुएं शुल्क अदा की गई कलईदार प्लेटों अथवा कलईदार चादरों से बनाई जाती हैं ।

	3603	रिक्त	
	3604	रिक्त	

2	3	4
3605	विस्तारित धातु (ढलवा से भिन्न)	
	(i) अगालविनिकृत	680 00 रु० (केवल छः सौ अस्सी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) गालविनिकृत	902.00 रु० (केवल नौ सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3606	नलीकाकार इस्पात संरचनाओं से भिन्न अन्यत्र अविनिर्दिष्ट रचित इस्पात संरचनाएं (जिनमें विद्युत संचरण वाहन टावर शामिल हैं) ।	
	(क) विद्युत संचरण लाइन टावर (रचित इस्पात संरचनाएं) गालविनिकृत ।	(क) 533.00 रु० (केवल पांच सौ तैतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन । (ख) इसमें कावलों और डिबरियों पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 52 के अन्तर्गत अदा किया गया शुल्क और जोड़े ।

(i) ऊपर मद (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिअदायगी उस मामले में मंजूर की जायगी जिसमें निर्यातकर्ता विक्रय संविदा विशेष अथवा आदेश के अन्तर्गत आने वाले विद्युत संचरण लाइन टावर के साथ सप्लाई किये गये कावलों को डिबरियों पर शुल्क अदा किये जाने का सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समक्ष साक्ष्य पेश करता है और सन्दर्भाधीन निर्यात उत्पाद के 50 किलोग्राम कावलों और डिबरियों पर प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से वास्तव में अदा किये गये शुल्क तक सीमित रखा जायगा; और

(ii) निर्माता द्वारा अथवा निर्यातकर्ता द्वारा प्रसंगाधीन कावलों और डिबरियों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क की छूट का केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत दावा नहीं किया गया हो । लाभ नहीं उठाया हो ।

	(ख) अन्य	
	(i) अगालविनिकृत	350.00 रु० (केवल तीन सौ पचास रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) गालविनिकृत	490.00 रु० (केवल चार सौ नब्बे रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3607	स्टील आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स	इस्पात अन्तर्वस्तु को 360.00 रु० (केवल तीन सौ साठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3608	इस्पात के सभी प्रकार के पाइप और ट्यूब जिनमें पूर्णतया इस्पात के ऐसे पाइपों और ट्यूबों से बनी विद्युत तारनली पाइप, नलिकाकार इस्पात फर्नीचर, नाभिकाकार इस्पात संरचनाएं, नलिकाकार इस्पात पाइप तथा ट्यूबों निर्मित अन्य उत्पाद जो अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं, जिनमें फर्नीचर ट्यूब, गैस ट्यूब तथा उनकी फिटिंग्ज शामिल हैं :—	
	(क) सीवनहीन पाइप और ट्यूब	
	(i) अगालविनिकृत	353.00 रु० (केवल तीन सौ तिरेपन रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) गालविनिकृत	528.00 रु० (केवल पांच सौ अट्ठाइस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) सीवनहीन तथा स्केल्प से बने पाइपों और ट्यूबों से भिन्न 5 मि०मी० से अधिक भित्ति मोटाई के पाइप और ट्यूब :—	
	(i) अगालविनिकृत	359.00 रु० (केवल तीन सौ उनसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) गालविनिकृत	533.00 रु० (केवल पांच सौ तेतीस रुपये प्रति मीट्रिक टन ।
	(ग) (i) स्केल्प से बने पाइप और ट्यूब—	
	(क) अगालविनिकृत	602.00 रु० (केवल छ सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) गालविनिकृत	829.00 रु० (केवल आठ सौ उनतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) सी०आर० चादरों/पट्टियों से बने पाइप और ट्यूबे—	
	(क) अगालविनिकृत	644.00 रु० (केवल छः सौ चवालिस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) गालविनिकृत	868.00 रु० (केवल आठ सौ अड़सठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

परन्तु यह तब जब कि—

उपर्युक्त उप-मद (ग) में दी गई दरों पर प्रति अदायगी तभी लागू होगी जब निर्यात के समय निर्यातकर्ता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में यह साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है कि माल का निर्माण, यथास्थिति, स्केल्प अथवा सी०आर० चादरों अथवा सी०आर० पट्टियों से किया गया है और इस प्रकार के, यथास्थिति, स्केल्प/सी०आर० चादरों, सी०आर० पट्टियों पर केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26-क के अन्तर्गत स्केल्प/सी०आर० चादरों/सी०आर० पट्टियों पर लागू दर पर उपयुक्त शुल्क अदा किया गया है ।

1	2	3	4
	(ख) सीवनहीन पाइपो और ट्यूबो से भिन्न 5 मि०मी० से कम भित्ति मोटाई के पाइप और ट्यूब जिनमें उपर्युक्त (ग) में उल्लिखित पाइप और ट्यूब शामिल नही है--		
	(i) अगालविनिकृत		467 00 रु० (केवल चार सौ सड़सठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) गालविनिकृत		704.00 (केवल सात सौ चार रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ङ) इस्पात के पाइपो और ट्यूबो के लिए फिटिंग--		
	(i) इस्पात से निर्मित (ढलवा से भिन्न)--		
	(i) 5मि०मी० से कम भित्ति मोटाई के--		
	(क) अगालविनिकृत		467.00 रु० (केवल चार सौ सड़सठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) गालविनिकृत		704.00 रु० (केवल सात सौ चार रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) 5 मि०मी० की अथवा उससे अधिक भित्ति मोटाई के--		
	(क) अगालविनिकृत		359.00 रु० (केवल तीन सौ उनसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) गालविनिकृत		533.00 रु० (केवल पांच सौ तेतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(2) पिटवां लोहे की पाइप की फिटिंग--		
	(I) अगालविनिकृत		73.00 रु० (केवल तिहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत		337.00 रु० (केवल तीन सौ सैंतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

परन्तु यह तब जबकि पाइपो तथा ट्यूबो आदि के विनिर्माण में प्रयुक्त इस्पात खण्डो पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का लाभ, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के अन्तर्गत नही उठाया गया हो अथवा निर्यात बन्धपत्र के अन्तर्गत नही किया जा रहा हो ।

3609	(क) पटरियां और स्लीपर छड़े		ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	(ख) रेलपथ-सामग्री, जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट है और (ढलवां से भिन्न) इस्पात से बनी है--		
	(I) अगालविनिकृत		326.00 रु० (केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत		502.00 रु० (केवल पांच सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3610	स्प्रिंग इस्पात छड़े		168 00 रु० (केवल एक सौ अड़सठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3611	(क) स्प्रिंग इस्पात छड़ो से भिन्न इस्पात की छड़े और शलाकाएं जो अन्यथा/अविनिर्दिष्ट है (गोल, चौकोर और चपटी) ।		343.00 रु० (केवल तीन सौ तैंतालीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) अन्यथा/अविनिर्दिष्ट नरम इस्पात की तार--		
	(I) अगालविनिकृत		350.00 रु० (केवल तीन सौ पचास रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत		595.00 रु० (केवल पांच सौ पिचानवे रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

नोट :--प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दरें तभी लागू होंगी जब उत्पाद के निर्माण मे प्रयुक्त कच्चे माल पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क में छूट अथवा निर्यात किये जाने वाले उत्पाद पर ही अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क मे छूट का लाभ केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत नही उठाया गया हो, और निर्यात बन्धपत्र के अन्तर्गत नही किया गया हो ।

3612	इस्पात कास्टिंग, गैर-मशीनीकृत तथा मशीनीकृत दोनो, जिनमें ढलवां इस्पात से बने इंजीनियरी सामान के सघटक शामिल है ।		173.00 रु० (केवल एक सौ तिहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3613	इस्पात की हल्की और भारी संरचना अलगढ़ी--		
	(I) अगालविनिकृत		327.00 रु० (केवल तीन सौ सत्ताईस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत		468.00 रु० (केवल चार सौ अड़सठ रुपय) प्रति मीट्रिक टन ।
3614	नरम इस्पात से बनी चमकीली इस्पात छड़े और शाफ्ट		360.00 रु० (केवल तीन सौ साठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

नोट :--उपक्रमांक संख्या 3613 तथा 3614 के अन्तर्गत आने वाली प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दरें तभी लागू होंगी जब उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क मे छूट अथवा निर्यात किये जाने वाले उत्पाद पर ही अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क मे छूट का लाभ केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत नही उठाया गया हो और निर्यात बन्धपत्र के अन्तर्गत नही किया गया हो ।

1	2	3	4
3615	इस्पात की लचीली ट्यूबें—		
	(I) अगालविनिकृत	663.00 रु०	(केवल छ सौ तिरसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	886.00 रु०	(केवल आठ सौ छियासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3616	लोहे की बनी सभी प्रकार की वस्तुएं, जिनमें ढलवा लोहा, अमशीनीकृत तथा मशीनीकृत दोनों तथा ढलवां लोहे के इंजीनियरी सामान के संघटक शामिल है और जिनमें सभी प्रकार की लोहे की पाइपें एवं ट्यूबें और लोहे से बने ऐसे पाइपों एवं ट्यूबों के लिए फिटिंगें शामिल है—		
	(I) अगालविनिकृत	73.00 रु०	(केवल तिहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	337.00 रु०	(केवल तीन सौ सैंतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3617	इस्पात तार उत्पाद, सभी प्रकार के गैसे, तार गेज, मैश जाली, चेन लिंक फेंसिंग, इस्पात की बेलदार तारें, पैनल पिने, इस्पात की तार तथा प्लेट कीलें, सभी प्रकार की, इस्पात की कटीली तार तथा तार के बुश—		
	(I) अगालविनिकृत	350.00 रु०	(केवल तीन सौ पचास रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	595.00 रु०	(केवल पांच सौ पिचानबे रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3618	टिन प्लेट उत्पाद, जिनमें ये शामिल हैं—टिन प्लेट से बना टिन प्लेट आधान (संयोजित अथवा असंयोजित), आधानों के टिन प्लेट संघटक, टिन प्लेट बाशर, टिन प्लेट से बने गणितीय यंत्र डिब्बे, टिन प्लेट से बनी विज्ञापन टिकियां, ट्रे, दियासलाई की डिबिया के कवर, स्क्रू कैप्स एवं नैक्स, स्टोव साफ करने की पिन और डेस्क पैड ।	975.00 रु०	(केवल नौ सौ पिचहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3619	हरीकेन लालटेनें (काच की हाडी/शीशे को छोड़कर)	921.00 रु०	(केवल नौ सौ इक्कीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3620	पैट्टी की कमनी जो ढलवा इस्पात से भिन्न इस्पात से बनी हो ।	480.00 रु०	(केवल चार सौ अस्सी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3621	कब्जे, हिंबरिया और रिवटें तथा दरवाजों के हुक और कुन्दे, इस्पात के पेंच, मशीन के पेंच और रिवटें—		
	(I) अगालविनिकृत	360.00 रु०	(केवल तीन सौ साठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	604.00 रु०	(केवल छः सौ चार रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3622	इस्पात से बने अन्यत्र अविनिर्दिष्ट विल्डर्स हार्डवेयर, जिनमें कब्जे, कुण्डे, स्टेपल्स, टावर, बोल्ट्स तथा पैडलाक्स शामिल हैं—		
	(क) 5 मि०मी० से कम मोटाई की चादरों/पट्टियों से निर्मित ।	460.00 रु०	(केवल चार सौ साठ रुपये प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) अन्य	321.00 रु०	(केवल तीन सौ चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3623	इस्पात से निर्मित सिमटने वाले दरवाजे (कालैप्सिबल गेट्स) ।	326.00 रु०	(केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3624	एनेमल वेयर	700.00 रु०	(केवल सात सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3625	गालविनिकृत इस्पात की बाल्टियां, गालविनिकृत इस्पात बाथ टब तथा गालविनिकृत इस्पात की पानी की बोसलें ।	709.00 रु०	(केवल सात सौ नौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3626	रिक्त		
3627	रिक्त		
3628	ढलवां इस्पात से भिन्न इस्पात से निर्मित विविध हार्डवेयर	326.00 रु०	(केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3629	नरम इस्पात के वाशर्स—		
	(I) अगालविनिकृत	395.00 रु०	(केवल तीन सौ पिचानबे रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	637.00 रु०	(केवल छः सौ सैंतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3630	रोलिंग शटर्स	173.00 रु०	(केवल चार सौ तिहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3631	संयोजित अथवा असंयोजित इस्पात के ड्रम, गालविनिकृत अथवा काले—		
	(I) अगालविनिकृत	425.00 रु०	(केवल चार सौ पच्चीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	661.00 रु०	(केवल छः सौ इकसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
3632	गमलों और कड़ाहों के लिये इस्पात के गमले चक्के परन्तु यह तब जबकि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत चक्कों के निर्यात पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में कोई छूट नहीं ली गई हो और निर्यात बन्धपत्र के अन्तर्गत नहीं किया जा रहा हो ।	700 00 रु०	(केवल सात सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3633	इस्पात की बहु काटेदार जैली तथा इस्पात की चूहेदानी और चूहेदानी के इस्पात के पुर्जे ।	326.00 रु०	(केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3634	रिक्त		
3635	(क) स्टील सेफ्स, कार्फर्स और कैश बक्से	365 00 रु०	(केवल तीन सौ पैंसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) स्टील के ट्रंक	425.00 रु०	(केवल चार सौ पच्चीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3636	इस्पात की टकिया सयोजित अथवा असयोजित	354.00 रु०	(केवल तीन सौ चव्वन रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3637	रिक्त		
3638	टिपिग वेगन्स	362.00 रु०	(केवल तीन सौ बासठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3639	हजारा (वाटरिग केन)	425.00 रु०	(केवल चार सौ पच्चीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3640	इस्पात के उत्पाद जो अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है परन्तु जिनमें केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद स० 26 तथा 26-कक के अन्तर्गत अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद स० 26 तथा 26-कक के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद शामिल नहीं हैं—		
	(क) इस्पात के डलों से निर्मित	327.00 रु०	(केवल तीन सौ सत्ताइस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ख) अर्ध परिष्कृत इस्पात से निर्मित जिसमें ब्लूम, बिलेट, स्लैब, शीटें, बारें, टिन बारें और हो बारें शामिल हैं ।	317.00 रु०	(केवल तीन सौ सतरह रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ग) कोयलों, जाएस्टो, गर्डरो, स्लाटेड एगलो से भिन्न एगलो, स्लाटेड चैनलो से भिन्न चैनलो, टी, बीमों, जैड़ो, ट्रो पाइलिग और 10 मि०मी० से अधिक मोटाई के फ्लैटों से निर्मित—		
	(I) अगालविनिकृत	324.00 रु०	(केवल तीन सौ चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	465.00 रु०	(केवल चार सौ पैंसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(घ) स्प्रिग इस्पात छड़ो से भिन्न छड़ो और डण्डों से निर्मित ।	324.00 रु०	(केवल तीन सौ चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ङ) प्लेटों अथवा 5 मि०मी० से अधिक परन्तु 10 मि०मी० से अनधिक मोटाई के फ्लेटों से निर्मित ।	353.00 रु०	(केवल तीन सौ तिरेपन रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(च) कोल्ड रोल्ड चादरों और कोल्ड रोल्ड पट्टियों से निर्मित		
	(I) अगालविनिकृत	637.00 रु०	(केवल छः सौ सैंतीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	765.00 रु०	(केवल सात सौ पैंसठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(छ) रिक्त		
	(ज) हाट रोल्ड चादरों और भट्टियों, चौरस छड़ों, जिनकी मोटाई 5 मि०मी० से अनधिक हो और हूप्स से निर्मित		
	(I) अगालविनिकृत	460.00 रु०	(केवल चार सौ साठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	595.00 रु०	(केवल पांच सौ पिचानवे रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(झ) स्कैलप से निर्मित—		
	(I) अगालविनिकृत	602.00 रु०	(केवल छः सौ दो रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(II) गालविनिकृत	732. रु०	(केवल सात सौ बत्तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3641	बाल/टैपर्ड रोलर बैयरिग	451.00 रु०	(केवल चार सौ इक्यावन रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3642	जेरि कैन्स	425.00 रु०	(केवल चार सौ पच्चीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
3643	(i) 2 मि०मी० तथा उससे कम मोटाई की इस्पात की चद्दरों से बने स्लाटेड एंगल्स, पेनल पेनल प्लेट, पेनल डिवाइडर तथा अन्य उपस्कर ।	679.00 रु०	(केवल छः सौ उनासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	(ii) स्लाटेड संगल्स, पेनल, पेनल प्लेट, पेनल डिवाइडर तथा अन्य उपस्कर जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है ।	480.00 रु०	(केवल चार सौ अस्सी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।

1	2	3	4
37	**आलोह धातु और धातु मिश्रण**		
3701	रिक्त		
3702	जिंग उत्पाद जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	3.85 रु० (केवल तीन रुपये पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम ।	
	परन्तु यह तब, जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा निर्यात केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 194 के उपबंधों के अंतर्गत बंध-पत्र के अधीन नहीं किया गया हो।		
3703	एल्यूमीनियम मिश्र धातु के डले तथा ढली हुई वस्तुएं।	एल्यूमीनियम अंतर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 3803 (iii) के अंतर्गत लागू दर पर।	
	परन्तु यह तब, जबकि निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 के अंतर्गत छूट नहीं ली गई हो अथवा नियम 13 के अधीन कोई लाभ नहीं उठाया गया हो ।		
3704	रिक्त		
3705	रिक्त		
3706	रिक्त		
3707	ग्रास सेमीस सर्किल्स, शीट्स तथा एक्सट्रूजन्स	उपक्रम सं० 3805 (ख) के अंतर्गत लागू दर।	
	परन्तु यह तब, जबकि माल और वस्तुओं के संबंध मे केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा 191-क अथवा 191-ख में की गई व्यवस्था का लाभ नहीं उठाया गया हो।		
3708	गन मटल के डले और उनसे बनी वस्तुएं	4.95 रु० (केवल चार रुपये पिचानवे पैसे) प्रति किलोग्राम।	
3709	अन्यथा अविनिर्दिष्ट धातु-मिश्र तथा उनसे बनी वस्तुएं जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो ।	तांबा अंतर्वस्तु, यदि कोई हो, तो उसके संबंध मे उपक्रम सं० 3808(ख) के अंतर्गत लागू दर पर प्रति अदायगी। तथा जिंक अंतर्वस्तु, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में उपक्रम सं० 3702 के अंतर्गत लागू दर पर प्रतिअदायगी । तथा सीसा अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो तो, उसके संबन्ध में में उपक्रम सं० 3822 के अंतर्गत लागू दर पर प्रतिअदायगी ! तथा टिन अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो तो, उसके संबंध में 44.00 (केवल चवालीस रुपये) प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिअदायगी । तथा लोहाअन्तर्वस्तु, यदि कोई हो तो, उसके संबंध मे उपक्रम सं० 3616(i) के अंतर्गत लागू दर पर प्रति अदायगी । तथा एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, तो उसके संबंध मे उपक्रम सं० 3803 (iii) के अंतर्गत लागू दर पर प्रतिअदायगी । तथा निकल अंतर्वस्तु, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में 16 75 रु० (केवल सोलह रुपये पिचहत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम की दर पर प्रतिअदायगी।	
	परन्तु यह तब, जब केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के किसी भी नियम के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया गया हो तथा निर्यात केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के उपबंधों के अंतर्गत बंध-पत्र के अधीन नहीं किया गया हो।		
38	**अन्यत्र अविनिर्दिष्ट धातुओं की निर्मितियां**		
3801	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट धातु की निर्मितियां	ब्रांड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के आवेदन किये जाने पर नियत की जानी है	
3802	साधारण इस्पात की कागज पिने तथा क्लिपें—		
	(क) तांबा विलेपित से भिन्न	401.00 रु० (केवल चार सौ एक रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।	
	(ख) तांबा विलेपित से भिन्न	324.00 रु० (केवल तीन सौ चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।	
3803	केन्द्रीय उपादनशुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद 27 के अंतर्गत निर्दिष्ट से भिन्न एल्युमीनियम से बनी वस्तुएं :—		
	(i) एल्यूमीनियम की 0.56 मि०मी० तथा 1.22 मि०मी० के बीच की मोटाई की वृत्ताकार तथा अडाकार आकृति की वस्तुएं अन्यत्र अविनिर्दिष्ट	4.15 रु० (केवल चार रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।	

1	2	3	4
	(ii) एल्युमीनियम की वस्तुएं जो पत्रियां, सीटें तथा स्ट्रिप से विनिर्मित हों अर्थात जिनमें ऊपर (i) में उल्लिखित वस्तुएं शामिल नहीं हैं।		5.50 रु० (केवल पांच रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(iii) एल्युमीनियम की वस्तुएं जो ऊपर मद (i) और (ii) में उल्लिखित एल्युमीनियम की वस्तुओं से भिन्न हों और जो अन्यथा अविनिर्दिष्ट हों।		4.10 रु० (केवल चार रुपये दस पैसे) प्रति किलोग्राम।
3804	स्टेनलेस स्टील से बनी वस्तुएं—		
	(क) (i) पूर्णतया अचुम्बकीय 18 से 21 बी०जी० की स्टेनलैस स्टील की चादरों से बने बर्तन।		13.70 रु० (केवल तेरह रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii) पूर्णतया अचुम्बकीय 22 से 26 बी०जी० की स्टेनलैस स्टील की चादरों से बने बर्तन।		28.50 रु० (केवल अट्ठाईस रु० पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ख) (i) 18 से 21 बी०जी० की पूर्णतया अचुम्बकीय स्टेनलेस स्टील की चादरों से बना, अस्पताल में उपयोग में लाया जाने वाला सामान, जैसे किडनी ट्रे, बैडपैन्स, थूकदान आदि।		13.70 रु० (केवल तेरह रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii) 22 से 26 बी०जी० की पूर्णतया अचुम्बकीय स्टेनलेस स्टील की चादरों से बना, अस्पताल में उपयोग में लाया जाने वाला सामान, जैसे किडनी ट्रे, बैडपैन्स, थूकदान आदि।		28.50 रु० (केवल अट्ठाईस रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ग) (i) 18 से 21 बी०जी० के अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील की चादरों और ताम्बे से बने वे बर्तन जिनके तले तांबे के हों।		11.85 रु० (केवल ग्यारह रुपये पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii) 22 से 26 बी०जी० के अचुम्बकीय स्टेनलैस स्टील की चादरों और तांबे से बने वे बर्तन जिनके तले तांबे के हों।		24.00 रु० (केवल चौबीस रुपये) प्रति किलोग्राम।
	(घ) (i) 22 से 26 बी०जी० के कोल्ड रोल्ड स्टेनलैस स्टील पट्टियों से पूर्णतः बने घड़ियों के स्ट्रैप		42.00 रु० (केवल बयालीस रुपये) प्रति किलोग्राम।
	(ii) 30 बी०जी० से 32 बी०जी० के पूर्णतः रोल्ड स्टेनलैस स्टील स्ट्रीपस से बने घड़ियों के स्ट्रैप		28.00 रु० (केवल अट्ठाईस रुपये) प्रति किलोग्राम।
	(ङ) शल्य चिकित्सा के उपस्कर		0.50 रुपये (केवल पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(च) स्टेनलैस स्टील की चादरों से बनी कटलरी परन्तु चाकुओं को छोड़कर		ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता / नियातिकर्ता के आवेदन किए जाने पर नियत की जानी है।
	(छ) स्टेनलैस स्टील की छड़ों/शलाकाओं/प्लेटों से बनी कटलरी।		0.45 रु० (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ज) चाकू		0.45 रु० (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(झ) स्टेनलैस स्टील की अन्यथा अविनिर्दिष्ट वस्तुएं—		
	(i) चादरों से बनी—		
	(क) 14 और 16 बी०जी० की अचुम्बकीय चादरों से निर्मित।		ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/नियातिकर्ता के आवेदन किए जाने पर नियत की जानी है।
	(ख) 18 से 21 बी०जी० की अचुम्बकीय चादरों से निर्मित।		13.70 रु० (केवल तेरह रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ग) 22 से 26 बी०जी० की अचुम्बकीय चादरों से निर्मित।		28.50 रु० (केवल अट्ठाईस रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii) अन्य		0.40 रु० (केवल चालीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
3805	पीतल निर्मितियां, जिनमें ब्राम बिल्डर, पीतल का सामान और पीतल का कलात्मक सामान शामिल है—		
	(क) (i) चादरों/पट्टियों से निर्मित बर्तन और अन्य वस्तुएं		3.80 रु० ((केवल तीन रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ii) पीतल का कलात्मक सामान		3.05 रु० (केवल तीन रुपए पांच पैसे) प्रति किलोग्राम।
	(ख) अन्य		3.08 रु० (केवल तीन रुपए आठ पैसे) प्रति किलोग्राम।

परन्तु यह तब जब कि माल अथवा वस्तुओं के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56 क या 191 या 1921-ख लाभ नहीं उठाया गया हो।

1	2	3	4
	3806	रिक्त	
	3807	रिक्त	
	3808	अन्यत्र अविनिर्दिष्ट पूर्णत तांबे की वस्तुए,—	
		(क) चादरो/पट्टियो से बने बर्तन तथा अन्य वस्तुए	3 65 रु० (केवल तीन रुपए पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) ऊपर (क) से भिन्न	2.90 रु० (केवल दो रुपए नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम।
		परन्तु यह तब, जबकि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन तांबा खंडों पर किसी छूट का दावा नही किया गया हो अथवा निर्यात केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के उपबंधो के अंतर्गत, बधपत्र के अधीन नही किया गया हो।	
	3809	11.34 कि०ग्राम० की क्षमता वाले टिन प्लेट के आधान-पात्र जिनमे काजू की गिरियां हो, जिनके परिरक्षण के लिए कार्बन डाइआक्साइड का उपयोग किया जाता है।	(क) (i) प्रति आधान-पात्र पर 12.5 ग्राम कम करके खाली आधान-पात्रो के शुद्ध भार के प्रति मीट्रिक टन पर 975.00 रु० (केवल नौ सौ पचहत्तर रुपये), तथा (ii) 30 रु० (केवल तीस रुपये) प्रति 1000 आधान-पात्र, तथा (iii) 288.00 रु० (केवल दो सौ अट्ठासी रुपये) प्रति 1000 आधान-पात्र, तथा (ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अंतर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क।
		परन्तु यह तब जबकि—	
		(i) खंड (क) के उपखंड (ii) मे विनिर्दिष्ट प्रतिभरायगी तभी मंजूर की जाएगी जबकि इस मंत्रालय की अधिसूचना सं० 7/65 केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, दिनांक 30 जनवरी 1965 के अंतर्गत छूट का लाभ नही उठाया गया हो।	
		(ii) मद (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिभरायगी तभी मंजूर की जाएगी जब निर्यातकर्ता धातु आधान-पात्रों पर अदा किये गये शुल्क की रकम के बारे में सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करें, तथा इसमें अतिरिक्त शर्त यह भी है कि निर्यातकर्ता ने उक्त शुल्क के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191-क के अधीन कार्यविधि का लाभ नही उठाया हो।	
	3810	सेनेटरी केन डिगर्ले कैन (जिसमें उनके हिस्से सम्मिलित हैं) जब चपटे आकार में या अन्यथा निर्यात किये गये हों अथवा जब निम्नलिखित के निर्यात के लिए आधान-पात्रों के रूप में उपयोग किए गए हो। (1) मछली और मछली उत्पाद (2) फल और सब्जी उत्पाद (3) संघनित दुग्ध (4) मटर पुलाव तथा (5) मांस उत्पाद	(क) यदि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अंतर्गत कोई शुल्क अदा किया गया हो तो वह सम्पूर्ण शुल्क, (ख) 2660.00 रु० (केवल दो हजार छः सौ साठ रुपये) प्रति मीट्रिक टन, परन्तु यह कि जहां निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 191-क के अंतर्गत कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो, वहां मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिभरायगी पूर्ण रूपेण लागू होगी; और जहां निर्यातकर्ता ने उपरोक्त नियम में से किसी एक नियम के अंतर्गत कार्यविधि का लाभ उठाया हो अथवा जहां केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अथवा नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अंतर्गत कोई शुल्क अदा नही किया गया हो वहां ऊपर मद (ख) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभरायगी की दर लागू होगी।
	3811	रिक्त	
	3812	इस्पात की तार के रस्से सभी प्रकार के (जिनमें लाकड क्वायल तार के सभी प्रकार के रस्से सम्मिलित हैं), जो तंतु कोर के सहित हों अथवा उसके बिना—	
		(क) अगालविनिकृत	अगालविनिकृत इस्पात अंतर्वस्तु का 270.00 (केवल दो सौ सत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन तथा पटसन अंतर्वस्तु का 630.00 रु० (केवल छः सौ तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन, तथा उप-क्रमांक 1914 के अंतर्गत पोलिथिलीन अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, के सम्बन्ध में अनुमत्य प्रतिभरायगी।
		(ख) गालविनिकृत	गालविनिकृत इस्पात अंतर्वस्तु का 520.00 रु० (केवल पांच सौ बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन तथा पटसन अन्तर्वस्तु का 630.000 रु० (केवल छः सौ तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

1	2	3	4
	3813	सभी आकारों की इस्पात की रेतियां	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4.35 प्रतिशत (केवल चार दशमलव पैंतीस प्रतिशत) बशर्ते कि 900.00 रु० (केवल नौ सौ रुपये) प्रति मीट्रिक टन से अधिक न हो।
		रिक्त	
	3815	इलैक्ट्रोप्लेटेड निकिल सिलवर (ई०पी०एन०एस०) के बर्तन और वस्तुएं।	3.05 रु० (केवल तीन रुपये पाँच पैसे) प्रति किलोग्राम।
	3816	(क) पीतल से बने प्रेशर स्टोव और उनके धातु संघटक।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 11 प्रतिशत (केवल ग्यारह प्रतिशत)
		(ख) पीतल से बने प्रेशर लैम्प/लालटेन और ब्लो लैम्प और उनके धातु के संघटक।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 7 प्रतिशत (केवल सात प्रतिशत)
	38	सभी प्रकार के गन मैटल वाल्व और उनके हिस्से	(क) गन मैटल अंतर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 4.95 रु० (केवल चार रुपये पचानवे पैसे) (ख) लौह अंतर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 3616(i) अथवा 3616 (ii), जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत अनुमत्य दर तथा (ग) बोल्ट और नट के संबंध में उपक्रम सं० 3621(i) अथवा 3621 (ii), जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत अनुमत्य दर।
	3818	नाइलान इंसर्टस साथ लगी स्वतः जुड़ जाने वाली डिबरियाँ	ब्रांड दर, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर निश्चित की जानी है।
	3819	इस्पात के ड्रम जब उनमें एस्फाल्ट भरा हो।	ब्रांड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर निश्चित की जानी है।
	3820	सेफ्टीरेजर ब्लेड—	
		(i) कार्बन इस्पात से बने	3.10 रु० (केवल तीन रुपये दस पैसे) प्रति 1000 ब्लेड।
		(ii) स्टेनलेस इस्पात पट्टियों से बने	30.00 रु० (केवल तीस रुपये) प्रति 1000 ब्लेड।
		टिप्पणी :—प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर में पैकिंग सामग्री पर प्रतिअदायगी शामिल है, अर्थात् प्रत्येक ब्लेड के लिए मोम का कागज और आवरण; लुगदी बोर्ड की तहें और दफ्ती डिब्बा और सेलोफेन। यदि उपर्युक्त पैकिंग सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है तो उपर्युक्त दरों में प्रति 1000 ब्लेडों पर 0.65 रुपये (केवल पैंसठ पैसे) कम किये जायेंगे। लेकिन वास्तविक रूप से इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री पर समुचित 'सर्व उद्योग' दरों पर प्रतिअदायगी अनुमत्य होगी।	
	3821	लपेटने का ताम्बे का इनेमलित 44 गेज और उससे मोटा तार—	11.50 रु० (केवल ग्यारह रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
	3822	सीसे से बनी वस्तुएं, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट हों।	2.15 रु० (केवल दो रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति किलोग्राम।
		परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत किसी छूट का दावा नहीं किया गया हो अथवा निर्यात केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के उपबन्धों के अंतर्गत बंध-पत्र के अधीन नहीं किया गया हो।	
	3823	(i) एल्यूमीनियम से बने सम्पूर्ण प्रेशर कुकर	5.35 रु० (केवल पाँच रुपये पैंतीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ii) प्रेशर कुकर के लिए गास्केट	0.39 रु० (केवल उनतालिस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iii) पिटल्स सहित सेफ्टी प्लग	0.39 रु० (केवल उनतालिस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) प्रेशर कुकर के फिनोल फार्मेलिडिहाइड मोल्डिंग पाउडर से बने हैंडल जिनका निर्यात पेंच सहित अथवा बिना पेंच के किया गया हो।	फिनोल फार्मेलडिहाइड मोल्डिंग पाउडर के संबंध में उपक्रम सं० 1910 के अंतर्गत अनुमत्य दर पर प्रतिअदायगी तथा एल्यूमीनियम पेंच के संबंध में, यदि कोई हों, उपक्रम सं० 3803 (iii) के अन्तर्गत अनुमत्य प्रतिअदायगी तथा इस्पात पेंच के संबंध में, यदि कोई हो, उपक्रम सं० 3621 के अंतर्गत अनुमत्य प्रतिअदायगी।
	3824	सभी प्रकार के धातु-आधान (एल्यूमीनियम से बने हुए आधानों से भिन्न), जो साधारणतया विक्रय योग्य माल की पैकिंग के लिए अभिप्रेत होते हैं; (जिनमें निर्यात के माल से भरे कास्क ड्रम, केन, बक्से, गैस सिलिंडर तथा प्रेशर आधान शामिल हैं, किन्तु जिनमें ओपन-टाप सेनेटरी केन एवं काजू की गिरी के निर्यात के लिए प्रयुक्त 11.34 किलोग्राम क्षमता के टीन के कनस्तर शामिल नहीं है)	(क) केन्द्रीय उत्पादनशुल्क तथा नमक अधिनियम 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 46 के अन्तर्गत अदा किया गया सम्पूर्ण शुल्क तथा (ख) टीन प्लेट आधान के सम्बन्ध में उपक्रमांक 3618 के अन्तर्गत और इस्पात के ड्रम के सम्बन्ध में उपक्रमांक 3631 के अन्तर्गत अनुमत्य दर पर प्रतिअदायगी और जिस अन्य सामग्री से आधान बना हो उस सामग्री के सम्बन्ध में उपयुक्त दर पर, यदि कोई हो, प्रतिअदायगी।
		परन्तु यह तब जब कि :— (i) मद (क) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिअदायगी वहाँ दी जायगी जहाँ निर्यातकर्ता/सीमाशुल्क के सहायक-समाहर्ता के समाधान प्रद रूप में इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करें कि उसने धातु आधानों पर शुल्क अदा कर दिया है।	

1	2	3	4
		(ii) जहाँ निर्यातकर्ता ने केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 12 अथवा नियम 101-क के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ नहीं उठाया हो, वहाँ मद (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट दर पर प्रतिअदायगी पूर्ण रूपेण लागू होगी और जहाँ निर्यातकर्ता ने उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्यविधि का लाभ उठाया हो वहाँ उक्त मद (ख) में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रति-अदायगी दर लागू होगी ।	
	3825	सेनिटरी तथा स्नानागार के बल सम्बन्धी फिटिंगें—	
		(क) गन मेटल से निर्मित क्रोमियम चढ़ा हुआ	गन मेटल अंतर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 4.95 रु० (केवल चार रुपये पचानवे पैसे)
		(ख) पीतल से निर्मित क्रोमियम चढ़ा हुआ	पीतल अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 3.08 रु० (केवल तीन रुपये आठ पैसे)
	3826	रिक्त	
	3827	कागज/पोलिथिन की परत चढ़ी अथवा कागज के साथ परस्पर मिली हुई एल्यूमीनियम की पन्नी।	पोलिथिलीन अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के सम्बन्ध में उपक्रमांक 1914 के अन्तर्गत लागू उपयुक्त दर पर और कागज अन्तर्वस्तु यदि कोई हो, पर अदा किये गये वास्तविक केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के बराबर दर पर, जहाँ निर्यातकर्ता ऐसी कागज अन्तर्वस्तु पर उक्त शुल्क अदा किये जाने का साक्ष्य अथवा गेटपास/अन्य स्वीकार्य साक्ष्य सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप में प्रस्तुत कर देता है।
	3828	टायर बीड तार	269.00 रु० (केवल दो सो उनहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	3829	रिक्त	
	3830	थर्मिट के सभी आकार के हिस्से	थर्मिट के हिस्सों के प्रति किलोग्राम पर 1.00 रु० (केवल एक रुपया)।
	3831	एल्यूमिनियम के डर्से	149.00 रु० (केवल एक सौ उनचास रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
39.		**हाथ अथवा मशीन में इस्तेमाल के लिए औजार**	
	3901	हाथ या मशीन में इस्तेमाल के लिये औजार, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हैं।	ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर निश्चित की जानी है।
	3902	ढलवा से भिन्न, अन्यथा अविनिर्दिष्ट इस्पात के निर्मित हाथ के औजार।	326.00 रुपये (केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
	3903	शिकंजे (वाइस) : सभी प्रकार के	11.00 रु० (केवल ग्यारह रुपये प्रति क्विंटल)
	3904	गियर काटने के सभी प्रकार के औजार जब वे मुख्यतः हाई स्पीट स्टील के बने हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 14.5 प्रतिशत (केवल चौदह दशमलव पाँच प्रतिशत)
	3905	आरे, सेगमेंट और आराब्लेड, जब वे पूर्णतः हाई स्पीड स्टील के बने हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 11.5 प्रतिशत (केवल ग्यारह दशमलव पाँच प्रतिशत)
	3906	हीरा काटने के औजार परन्तु जिनमें फिर से दुरस्त किये गये हीरों के औजार शामिल नहीं हैं, अर्थात् :—	
		(1) बर्मे (ड्रिल बिट्स)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 15 प्रतिशत (केवल पन्द्रह प्रतिशत)
		(2) हीरा ड्रैसर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 14 प्रतिशत (केवल चौदह प्रतिशत)
	3907	मुख्यतः हाई स्पीड इस्पात से बने सभी प्रकार के बर्मे जिनमें पेचदार बर्मे शामिल हैं।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 14.5 प्रतिशत (केवल चौदह दशमलव पाँच प्रतिशत)
	3908	पूर्णतः हाई स्पीड इस्पात के बने सभी प्रकार की खराद मशीनों, शेपरों और प्लेनरों से औजार।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 13 प्रतिशत (केवल तेरह प्रतिशत)
	3909	रिक्त	
	3910	मुख्यतः हाई स्पीड इस्पात से बने रीमर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 14.5 प्रतिशत (केवल चौदह दशमलव पाँच प्रतिशत)
	3911	मुख्यतः हाई स्पीड इस्पात से बने थ्रेडिंग टोंटिया, थ्रिडिंग डाई और चेजर।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 14.5 प्रतिशत (केवल चौदह दशमलव पाँच प्रतिशत)
	3912	लघु और कठिन औजार (ब्रोचेस डाई जिगों फिक्सचरों और स्टेम्पिंग टूल्स को छोड़कर) जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हों, जब वे पूर्णतः हाई स्पीड स्टील से बने हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 12 प्रतिशत (केवल बारह प्रतिशत)।

1	2	3	4
	3913	(क) ड्राप फोर्जड हैंड टूल्स (ढुलाई द्वारा निर्मित से भिन्न) अर्थात् निम्नलिखित एलेन हैड कुंजी, सभी प्रकार के प्लायर्स स्पेनर्स, पेंच और सभी प्रकार के नट ड्राईवर, सभी प्रकार के साकेट और रेचेट, सी-लेम्प और नेल पुलर।	इस्पात अन्तर्वस्तु का 453.00 रु० (केवल चार सौ तिरपन रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) उपर्युक्त (क) पर वर्णित ड्राप फोर्जड हैंड टूल्स जब उन पर निकल अथवा क्रीम का मूलमा चढ़ा हो।	निकल चढ़ी हुई इस्पात अन्तर्वस्तु का 534.50 रु० (केवल पाँच सौ चौंतिस रुपये और पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) में बताए अनुसार ड्राप फोर्जड हैंड टूल्स जब उन पर प्लास्टिक का हत्था लगा हो।	उपर्युक्त (क) अथवा (ख) मे उल्लिखित प्रतिअदायगी की दर तथा उपक्रम संख्या 1907, 1908, 1914 अथवा 1916(क), यथास्थिति, के अधीन प्लास्टिक अन्तर्वस्तु के लिये लागू प्रतिअदायगी की दर।
	3914	रिक्त	

40. शक्ति अनिल मशीनरी, उनके पुर्जे ।

	4001	शक्ति अनिल मशीनरी, उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ड्यूटी दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जाती है।
	9002	(क) 40 पी० अश्वशक्ति तक के खड़े और पड़े स्टेशनरी/बहिक्यूलर इन्जन, जिनमें समुद्र तथा अन्य अन्तर्दहन इंजन शामिल है, चाहे वे पैट्रोल डीजल अथवा केरोसीन से चलते हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पाँच प्रतिशत)।
		(ख) खड़े और पड़े स्टेशनरी/बहिक्यूलर इजनों के हिस्से, जिनमें मैरीन तथा अन्य अन्तर्दहन व इंजन के हिस्से भी शामिल हैं, चाहे वे इंजन पेट्रोल, डीजल अथवा कैरोसीन से चलते हों, अर्थात् निम्नलिखित—	
		(i) ढलवाँ लोहे से निर्मित पुर्जे	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.3 प्रतिशत (केवल दशमलव तीन प्रतिशत)।
		(ii) इस्पात, खण्डों, चादरों तथा पाइपो से निर्मित पुर्जे।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.25 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पच्चीस प्रतिशत)
		(iii) 80 प्रतिशत से अधिक एल्यूमीनियम वाली एल्युमीनियम मिश्र-धातु से निर्मित पुर्जे (जिनमे सम्पूर्ण पिस्टन शामिल है।	3.25 रु० (केवल तीन रुपये पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(iv) रेडिएटर संयोजन और कोर जिसमे तेल शीतक और वायु से ठंडे किये हुए रेडिएटर शामिल नहीं हैं, अर्थात् :—	
		(क) ताँबे/पीतल से बने रेडिएटर संयोजन	4.50 रु० (केवल चार रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ख) इस्पात/पीतल से बने रेडिएटर सयोजन	3.60 रु० (केवल तीन रुपये अस्सी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(ग) ताँबे/पीतल से बने रेडिएटर कोर	4.85 रु० (केवल चार रुपये पिचासी पैसे) प्रति किलोग्राम।
		(v) रिक्त	
		(vi) एकल वेलन पम्प	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.5 प्रतिशत (केवल दशमलव पाँच प्रतिशत)
		(vii) नोजल तथा नोजल के साथ लगे नोजल होल्डर	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
		(viii) स्पार्क प्लग	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव 5 प्रतिशत)
		(ix) इजन वाल्व	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य 7.5 प्रतिशत (केवल सात दशमलव पाँच प्रतिशत)
		(x) गास्केट	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)
		(xi) बहुवेलन पम्प	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पाँच प्रतिशत)
		(xii) डिलीवरी वाल्व्ज, सेलीमेंट तथा नोजल होल्डर	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 0.25 प्रतिशत (केवल दशमलव पच्चीस प्रतिशत)

1	2	3	4
		(13) प्राकृतिक कच्चे रबड़ से बनी वस्तुओं से भिन्न वे सभी वस्तुएं जो इन वस्तुओं में विनिर्दिष्ट हो।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 25 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पच्चीस प्रतिशत)

टिप्पणी :—(1) ऊपर उल्लिखित मद (1), (2) तथा (13) के सामने दर्शायी गयी प्रतिअदायगी की दर स्टील पर शुल्क के भार पर आधारित है। यदि निर्यातकर्ता सीमाशुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप से यह प्रमाणित कर सकता है कि माल का निर्माण ऐसी किसी अन्य सामग्री से किया गया है, जिसके लिए दर, समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15-10-77 की सार्वजनिक सूचना स० प्रतिअदायगी/स० सू०-1 के अन्तर्गत विद्यमान है, तो उसके सम्बन्ध में प्रतिअदायगी उक्त सार्वजनिक सूचना के संगत उप-क्रमांक के अन्तर्गत मंजूर की जाय।

(2) उपयुक्त दरें तब लागू होंगी जब तैयार उत्पाद के निर्माण से प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों पर अथवा सघटकों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में नियम 56-क अथवा केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अधीन किसी भी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत किसी छूट का लाभ नहीं उठाया गया हो।

41. कृषि मशीनरी और औजार तथा उनके पुर्जे

4101	कृषि मशीनरी और औजार उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं हो।	ब्रांड-वार अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से आवेदन प्राप्त होने पर निर्धारित की जाती है।
4102	ढलवा से भिन्न इस्पात से निर्मित कृषि औजार जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हो।	326.00 रु० (केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

42. कार्यालय संबंधी मशीनें, उनके पुर्जे

4201	कार्यालय संबंधी मशीनें तथा उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड वर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जाती है।

43. धातु कार्य संबंधी मशीनरी, उनके पुर्जे

4301	धातु कार्य मशीनरी, उनके पुर्जे, जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड वर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जाती है।

44. टैक्सटाइल मशीनरी, उनके पुर्जे

4401	टेक्सटाइल मशीनरी, उनके पुर्जे जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड वर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर निर्धारित की जाती है।
4402	रिंग फ्रेम	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)
4403	ट्रा फ्रेम	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)
4404	स्पोल फ्रेम	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)
4405	स्वचालित करघे (आटो लूम)	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)
4406	रिक्त	
4407	स्टेंटर	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत)
4408	टैक्सटाइल मशीनरी जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)
4409	टैक्सटाइल मशीनों के पुर्जे/उपांग सभी प्रकार के	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)।

45. अन्य प्रयोजनों एवं उद्योगों के लिए मशीनें, उपस्कर, उपकरण (विद्युत से भिन्न)

4501	अन्य प्रयोजनों एवं उद्योगों के लिए मशीनें, उपस्कर, उपकरण (विद्युत से भिन्न), और उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है।	ब्राण्ड वर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जाती है।
4502	तेल मिल की मशीनें और उनके पुर्जे	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)

1	2	3	4
	4503	(1) अपकेन्द्रीय तथा गैर अपकेन्द्रीय पम्प	130.00 रु० (केवल एक सौ तीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
		(2) अपकेन्द्रीय (सेन्ट्रीफ्यूगल) तथा गैर-अपकेन्द्रीय (नान-सेन्ट्रीफ्यूगल) पम्प जिनमें डीजल इंजिन लगे हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत) तथा पम्पों अथवा डीजल इंजिनों पर अदा किया गया। केन्द्रीय उत्पादनशुल्क बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली के अधीन छूट अथवा वापसी के रूप में उसका दावा नहीं किया गया हो/उसे प्राप्त नहीं किया गया हो और इस आशय का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंधित प्राधिकारियों से एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया जाता हो।
		(3) अपकेन्द्रीय तथा गैर-अपकेन्द्रीय पम्प जिनमें 100 अश्व शक्ति तक की बिजली की मोटरें लगी हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत) तथा पंपों अथवा बिजली मोटरों पर अदा किया गया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बशर्ते कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन छूट अथवा वापसी के रूप में उसका दावा नहीं किया गया हो/उसे प्राप्त नहीं किया गया हो और इस आशय का केन्द्रीय उत्पादशुल्क के संबंधित प्राधिकारियों से एक प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया हो।
	4504	सभी किस्म की सिलाई मशीनें, जो हैंड अटैचमेंट, बेस, कवर, स्टैण्ड, मेज, हत्थी, बैड युक्त हों अथवा उनके बिना हो, जिनमें सी०के०डी०/एस०के०डी० की हालत में सिलाई मशीनें, उनके पुर्जे तथा उपांग भी शामिल हैं।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत)।
	4505	पेट्रोल मापने और वितरण के पम्प जिनमें बिजली की मोटर लगी हों।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 10 प्रतिशत (केवल दस प्रतिशत)।
	4506	(क) रेफ्रिजरेटिंग कोम्प्रेसरस, उपांग, संघटक पुर्जे तथा उनके फालतू पुर्जे।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत) पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)।
		(ख) अन्यथा अविनिर्दिष्ट वातानुकूलन तथा प्रशीतन मशीनें और उपांग, संघटक तथा उनके फालतू पुर्जे, जिनमें घरेलू प्रशीतक डीप फ्रीजर, कक्ष वातानुकूल और कक्ष कूलर और उपांग, संघटक और उनके फालतू पुर्जे शामिल नहीं है।	
	4507	अविनिर्दिष्ट अर्थात् धातु से निर्मित सभी प्रकार की मशीनें और उसके संघटक पुर्जे, फालतू पुर्जे और उपांग	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)
	4508	औद्योगिक इस्पात रोलर/बुश चैन चाहे संयोजित हो अथवा असंयोजित हो, और चाहे लम्बाई में हो या अन्यथा प्रकार की हो।	775.00 रु० (केवल सात सौ पचहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
46.		विद्युत-शक्ति मशीनें, विद्युत के वितरण के लिए उपस्कर, स्विच गियर, उनके पुर्जे.	
	4601	विद्युत शक्ति मशीनें, विद्युत वितरण के लिए उपस्कर, स्विच गियर, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है।	ब्राण्ड दर, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	4602	रिक्त	
	4603	समस्त एल्यूमिनियम संवाहक	1-6-1978 से लागू: एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के प्रति किलोग्राम पर 5.45 रु० (केवल पांच रुपये तथा पैंतालिस पैसे) 16-6-78 से लागू: एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के प्रति कि० ग्राम पर 5.75 रु० (केवल पांच रुपये तथा पचहत्तर पैसे)
		परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 27 के अधीन अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई दावा प्राप्ति नहीं की गयी हो अथवा निर्यात उपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंध में बन्धपत्र के अधीन नहीं किया गया हो।	
	4604	निसंवाहक एल्यूमीनियम केबल्स अथवा संवाहक	(1) एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 4603 के अन्तर्गत अनुमत्य दर।

1	2	3	4
			(2) पी० वी० सी० संघटक अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम संख्या 1918 (क) के अन्तर्गत स्वीकार्य दर।
			(3) पोलिथीन अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 1914 के अन्तर्गत स्वीकार्य दर।

परन्तु यह तब जबकि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 27 के अधीन अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियमावली, 1944 के अन्तर्गत कोई दावा/प्राप्ति नहीं की गयी हो अथवा निर्यात उपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंध में बंधपत्र के अधीन नहीं किया गया हो।

4605	इस्पात प्रचलित एल्यूमीनियम संवाहक		एल्यूमिनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 4603 के अन्तर्गत लागू प्रतिअवायगी की दर तथा स्टील कोर अन्तर्वस्तु के संबंध में उपक्रम सं० 3617 (i) अथवा 3617 (ii) जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत प्रतिअवायगी की दर।

परन्तु यह तब जब कि केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची की मद 27 के अधीन अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादनशुल्क में छूट का, केन्द्रीय उत्पादनशुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत कोई दावा/प्राप्ति नहीं की हो अथवा निर्यात उपर्युक्त मद के अन्तर्गत देय केन्द्रीय उत्पादनशुल्क के संबंध में बंधपत्र के अधीन नहीं किया गया हो।

4606	पेपर इन्सुलेटेड मास इम्प्रेगनेटेड लैड शीथ्ड पावर केबल, जिनमें पायलट केबल, टेलीफोन केबल तथा इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर केबल (डी०सी०) शामिल नहीं है		
	(i) ताम्बा संवाहक युक्त		रिक्त
	(ii) सभी किस्म के एल्युमीनियम संवाहकों से युक्त जिनमें 35 के०वी० तक की करेंट रेटिंग हों—		
		(क) 70 वर्ग मि०मी० से ऊपर अनुप्रस्थीय क्षेत्र की	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 24 प्रतिशत (केवल चौबिस प्रतिशत)
		(ख) 70 वर्ग मि०मी० और उससे कम अनुप्रस्थीय क्षेत्र की।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 18 प्रतिशत (केवल अठारह प्रतिशत)
4607	पी०वी०सी० इन्सुलेटेड तांबे के केबल		(1) पी०वी०सी० यौगिक अन्तर्वस्तु के लिए उपक्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत अनुज्ञेय प्रतिअवायगी की दर।
			(2) ताँबा अन्तर्वस्तु की प्रति किलोग्राम 5.80 रु० (केवल पाँच रुपये और अस्सी पैसे)।
4608	सभी किस्मों की, केवल निम्नलिखित रेटिंग की बिजली की मोटरें :—		
	(i) 1 अश्व शक्ति तक		35.60 रु० (केवल पैंतीस रुपये और साठ पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
	(ii) 1 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 3 अश्व शक्ति तक, जिसमें 3 अश्व शक्ति भी शामिल हैं।		25.10 रु० (केवल पच्चीस रुपये और दस पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
	(iii) 3 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 5 अश्व शक्ति तक, जिनमें 5 अश्व शक्ति भी शामिल हैं।		20.20 रु० (केवल बीस रुपये बीस पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
	(iv) 5 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 15 अश्व शक्ति तक, जिसमें 15 अश्व शक्ति भी शामिल है।		13.70 रु० (केवल तेरह रुपये और सत्तर पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
	(v) 15 अश्व शक्ति से ऊपर तथा 40 अश्व शक्ति तक, जिसमें 40 अश्व शक्ति भी शामिल है।		11.40 रुपये (केवल ग्यारह रुपये चालीस पैसे) प्रति अश्व शक्ति
	(vi) 40 अश्व शक्ति से ऊपर और 100 अश्व शक्ति तक, जिसमें 100 अश्व शक्ति भी शामिल है।		10.55 रु० (केवल दस रुपये पचपन पैसे) प्रति अश्व शक्ति।
4609	30 अश्व शक्ति तक के बिजली के मोटरों के लिए डायरेक्ट-आन-लाइन स्टार्टर तथा 50 अश्व शक्ति तक के बिजली के मोटरों के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर।		
	(क) डायरेक्ट-आन-लाईन स्टार्टर		
		(i) 7.5 अश्व शक्ति तक	4.00 रु० (केवल चार रुपये) प्रति इकाई
		(ii) 7.5 अश्व शक्ति से ऊपर और 15 अश्व शक्ति तक	7.50 रु० (केवल सात रुपये पचास पैसे)
		(iii) 15 अश्व शक्ति से ऊपर और 30 अश्व शक्ति तक।	10.45 रु० (केवल दस रुपये और पैंतालिस पैसे) प्रति इकाई।

1	2	3	4
		(ख) स्टार डैल्टा स्टार्टर्स—	
		(i) 10 अश्व शक्ति तक	11 35 रु० (केवल ग्यारह रुपये पैंतीस पैसे) प्रति इकाई।
		(ii) 10 अश्व शक्ति से ऊपर और 30 अश्व शक्ति तक।	20 30 रु (केवल बीस रुपये तीस पैसे) प्रति इकाई।
		(iii) 30 अश्व शक्ति से ऊपर और 50 अश्व शक्ति तक।	28 00 रु० (केवल अट्ठाईस रुपये) प्रति इकाई।
	4610	सभी प्रकार के इन्सुलेटेड अथवा अन्यथा केबल तथा कण्डक्टर्स, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हो।	(i) तांबा अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, का प्रति किलोग्राम 5 80 रु० (केवल पाँच रुपये अस्सी पैसे); तथा (ii) एल्यूमीनियम अन्तर्वस्तु के संबंध में 4.00 रु० (केवल चार रुपये) प्रति कि०ग्रा०; तथा (iii) उपक्रम स० 3709 के अन्तर्गत टिन अन्तर्वस्तु के सबंध मे लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा (iv) उपक्रम स० 3822 के अन्तर्गत सीसा अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा (v) उपक्रम सं० 3702 के अन्तर्गत जिंग अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा (vi) इस्पात टेप अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के प्रति मीट्रिक टन पर 467 00 रु० (केवल चार सौ सड़सठ रुपये); तथा (vii) उपक्रम सं० 1918 (क) के अन्तर्गत पी०वी०सी० यौगिक अन्तर्वस्तु के लिए लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा (viii) उपक्रम सं० 1914 के अन्तर्गत पोलीथीन अन्तर्वस्तु के सबंध मे लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा (ix) उपक्रम स० 2722 के अन्तर्गत पटसन अन्तर्वस्तु के सबंध मे लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा (x) उपक्रम स० 1911 के अन्तर्गत पोलिएमाइड अन्तर्वस्तु के सबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर; तथा (xi) उपक्रम स० 3617 (i) अथवा 3617 (ii) के अन्तर्गत यथास्थिति इस्पात कोर तार अन्तर्वस्तु के सबंध में लागू प्रतिअदायगी की दर, तथा (xii) इन्सुलेशन कागज अन्तर्वस्तु, यदि कोई हो, के प्रति किलोग्राम पर 5 35 रु० (केवल पाँच रुपये पैंतीस पैसे), तथा (xiii) ससेचन यौगिक, यदि कोई हो, के प्रति कि०ग्राम पर 4.10 रु० (केवल चार रुपये और दस पैसे); तथा (xiv) हाथ से बने हुए सश्लिष्ट फिलामेंट धागा अन्तर्वस्तु के संबंध मे उपक्रम सं० 2513 के अन्तर्गत लागू प्रतिअदायगी की दर।
	4611	रिक्त	
	4612	पोटेंशल तथा करेंट ट्रांसफार्मरो से भिन्न निम्नलिखित वोल्टेज और रेटिंग के शक्ति तथा वितरण ट्रांसफार्मर।	
		(क) 22 के०वी० से नीचे	
		(i) 50 के०वी०ए० तक	33 15 रु० (केवल तैंतीस रुपये पन्द्रह पैसे) प्रति के०वी०ए०।
		(ii) 50 के०वी०ए० से ऊपर तथा 100 के०वी०ए० तक	28.00 रु० (केवल अट्ठाईस रुपये) प्रति के०वी०ए०।
		(iii) 100 के०वी०ए० से ऊपर तथा 300 के०वी०ए० तक	16.80 रु० (केवल सोलह रुपये और अस्सी पैसे) प्रति के०वी०ए०।
		(iv) 300 के० वी० ए० से ऊपर तथा 750 के० वी० ए० तक	12 65 रु० (केवल बारह रुपये पैंसठ पैसे) प्रति के० वी० ए०।
		(v) 750 के० वी० ए० से ऊपर तथा 1000 के० वी० ए० से नीचे	10.70 रु० (केवल दस रुपये और सत्तर पैसे) प्रति के० वी० ए०।
		(vi) 1000 के० वी० ए० और उससे ऊपर तथा 1600 के० वी०ए० तक	11 10 रु० (केवल ग्यारह रुपये और दस पैसे) प्रति के० वी० ए०।

1	2	3	4
		(ख) 11 के० वी०	
		(i) 1600 के० वी० ए० से ऊपर और 3150 के० वी० ए० तक ।	7.30 रु० (केवल सात रुपये तीस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(ii) 3150 के० वी० ए० से ऊपर और 6300 के० वी० ए० तक ।	6.05 रु० (केवल छः रुपये और पांच पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iii) 6300 के० वी० ए० से ऊपर और 10,000 के० वी० ए० तक ।	5.15 रु० (केवल पांच रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(ग) 22 के० वी० से 33 के० वी० तक	
		(i) 300 के० वी० ए० तक	18.05 रु० (केवल अठारह रुपये और पांच पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(ii) 300 के० वी० ए० से ऊपर तथा 750 के० वी० ए० तक ।	14.00 रु० (केवल चौदह रुपये) प्रति के० वी० ए० ।
		(iii) 750 के० वी० ए० से ऊपर और 1000 के० वी० ए० से नीचे ।	12.20 रु० (केवल बारह रुपये और बीस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iv) 1000 के० वी० ए० और उससे ऊपर तथा 1600 के० वी० ए० तक ।	12.65 रु० (केवल बारह रुपये पैंसठ पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(घ) 33 के० वी०	
		(i) 1600 के० वी० ए० से ऊपर और 3150 के० वी० ए० तक ।	7.75 रु० (केवल सात रुपये और पचहत्तर पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(ii) 3150 के० वी० ए० से ऊपर और 6300 के० वी० ए० तक ।	6.15 रु० (केवल छः रुपये और पन्द्रह पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(iii) 6300 के० वी० ए० से ऊपर और 10,000 के० वी० ए० तक ।	5.35 रु० (केवल पांच रुपये और पैंतीस पैसे)
		(ङ) 66 के० वी०	
		(i) 5000 के० वी० ए० और उससे ऊपर तथा 6300 के० वी० ए० तक ।	7.50 रु० (केवल सात रुपये पचास पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
		(ii) 6300 के० वी० ए० से ऊपर और 10,000 के० वी० ए० तक ।	6.40 रु० (केवल छः रुपये और चालीस पैसे) प्रति के० वी० ए० ।
	4613	रिक्त	
	4614	रिक्त	
	4615	रिक्त	
	4616	रिक्त	
	4617	(i) 15 एम्प्स से ऊपर की रेटिंग स्विच फ्यूज यूनिट जो 660 वी० तक पुनः लगने योग्य हैं ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)
		(ii) 15 एम्प्स से ऊपर की रेटिंग के स्विच फ्यूज यूनिट, एच० आर० सी० फ्यूज सहित 660 वी० तक ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5.5 प्रतिशत (केवल पांच दशमलव पांच प्रतिशत)
		(iii) फ्यूज, 15 एम्प्स से ऊपर उच्च विदारण क्षमता वाले कारतूस किस्म के—	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत) ।
		(iv) वितरण फ्यूज बोर्ड, 15 एम्प्स से ऊपर की रेटिंग और 660 वी० तक ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4.5 प्रतिशत (केवल चार दशमलव पांच प्रतिशत)
		(v) 15 एम्प्स से ऊपर और 500 वी० तक के वियोजक (कटआउट) रेटिंग के—	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का (केवल चार प्रतिशत)
		(vi) फ्यूज यूनिट (अन्यथा अविनिर्दिष्ट 15 एम्प्स से ऊपर) की रेटिंग और 660 वी० तक ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3.5 प्रतिशत (केवल तीन दशमलव पांच प्रतिशत)
47		दूर संचार उपस्कर और उपकरण—उनके पुर्जे :—	
	4701	दूर संचार उपस्कर और उपकरण, उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	4702	रेडियो/बेतार संग्राही सैटों के लिए इलैक्ट्रानिक वाल्व/ट्यूब/ट्रांजिस्टर/डायोड्स ।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।

1	2	3	4
	4703	(i) पूर्णत. संयोजित अथवा सी० के० डी०/एस० के० डी० की स्थिति वाले वाल्वों सहित ट्रांजिस्टर रेडियो और रेडियो	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 12.5 प्रतिशत (केवल बारह दशमलव पांच प्रतिशत)
		(ii) केबिनट के बिना सी० के० डी०/एस० के० डी० पैक में ट्रांजिस्टर रेडियो और रेडियो	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य दर का 10.5 प्रतिशत (केवल दस दशमलव पांच प्रतिशत)
	4704	(क) सिलिकोन अर्ध-संवाहक ट्रांजिस्टर	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 20 प्रतिशत (केवल बीस प्रतिशत)।
		(ख) सिलिकोन अर्ध-संवाहक डायोड्स	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 20 प्रतिशत (केवल बीस प्रतिशत)।
48		घरेलू विद्युत उपकरण, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए विद्युत-उपकरण, विकिरण-विज्ञान संबंधी उपकरण, अन्य विद्युत मशीनें और उपकरण, उनके पुर्जे।	
	4801	घरेलू विद्युत उपकरण, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए विद्युत-उपकरण, विकिरण-विज्ञान संबंधी उपकरण, अन्य विद्युत मशीनें और उपकरण, उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों।	ब्राण्ड वर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	4802	घरेलू रेफ्रिजिरेटर और घरेलू रेफ्रिजिरेटरों से संघटक पुर्जे।	ब्राण्ड-वर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	4803	निम्नलिखित किस्मों की सीसा एसिड स्टोरेज बैटरियां	
		(i) ट्रैक्शन बैटरियां (ii) रेलगाड़ी में प्रकाश उत्पन्न करने की बैटरियां (iii) स्थिर बैटरियां।	पूर्णतया संयोजित बैटिरियों के शुद्ध भार के प्रति कि० ग्रा० पर 1.80 रु० (केवल एक रुपया अस्सी पैसे)।
	4804	निम्नलिखित किस्मों की सीसा एसिड स्टोरिज बैटरियों के लिए प्लेटें—	
		(i) आटोमोबाइल बैटरियां (ii) ट्रैकान बैटरियां (iii) रेलगाड़ी में प्रकाश उत्पन्न करने की बैटरियां। (iv) स्थिर बैटरियां।	2.35 रुपये (केवल दो रुपये पैंतीस पैसे) प्रति कि० ग्राम।
	4805	लो टैंशन पावर फैक्टर कैपेसिटर्स ग्राफ पेपर	
		(i) 380 वोल्ट, 50 साईकल 3/2 फेज	22.00 रु० (केवल बाईस रुपये) प्रति के० वी० ए० आर०
		(ii) 400 वोल्ट, 50 साईकल 3/2 फेज	19.85 रु० (केवल उन्नीस रुपये पिचासी पैसे) प्रति के० वी० ए० आर०
		(iii) 415 वोल्ट, 50 साईकल 3/2 फेज	18.40 रु० (केवल अठारह रुपये चालीस पैसे) प्रति के० वी० ए० आर०
		(iv) 440 वोल्ट, 50 साईकल 3/2 फेज	16.35 रु० (केवल सोलह रुपये पैंतीस पैसे) प्रति के० वी० ए० आर०
	4806	विद्युत प्रकाश जुड़नार	
		(क) चोक तथा स्टार्टर सहित और बिना ट्यूब के फ्लोरेसेंट प्रकाश जुड़नार	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत)
		(ख) उपर्युक्त (क) पर निर्दिष्ट नहीं किये गये और बिना बल्ब के सभी अन्य	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.5 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पांच प्रतिशत)
		(ग) फ्लोरेसेंट चोक्स/धारा-स्थिरक (20 वाट 40 वाट, 65 वाट और 80 वाट) (110 वोल्ट्स से 230 वोल्ट्स तक)	1.00 रु० (केवल एक रुपया) प्रति यूनिट।
	4807	ड्राइ सैल बैटरियां—	
		(क) धातु का आवरण—	
		(i) आई० आर० 20/यू० एम० आई०/आकार डी०	29.30 रु० (केवल उनतीस रुपये तीस पैसे) प्रति सौ नग।
		(ii) आई० आर० 14/यू० एम० 2/आकार सी०	16.30 रु० (केवल सोलह रुपये तीस पैसे) प्रति सौ नग।
		(ख) प्लास्टिक/सिलुलोज एसीटेट का आवरण—	
		(i) आई० आर० 20/यू० एम० 1/आकार 'डी'	22.75 रु० (केवल बाईस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति सौ नग।
		(ii) आई० आर० 14/यू० एम० 2/आकार 'सी'	10.80 रु० (केवल दस रुपये अस्सी पैसे) प्रति सौ नग।

1	2	3	4
		(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) से भिन्न—	
		(i) आई० आर० 20/यू० एम० 1/आकार (डी)	18.90 रु० (केवल अठारह रुपये नब्बे पैसे) प्रति सौ नग ।
		(ii) आई० आर० 14/यू० एम० 2/आकार 'सी'	10.30 रु० (केवल दस रुपये तीस पैसे) प्रति सौ नग ।
		(iii) आई० आर० 6/यू० एम० 3/आकार 'ए'	9.50 रु० (केवल नौ रुपये पचास पैसे) प्रति सौ नग ।
	4808	(क) बिजली के छत के पंखे—	
		(i) एल्यूमीनियम के ब्लेडों वाले छत के पंखे	
		(क) 900 एम० एम० और 1050 एम० एम० फैलाव के पंखे	17.65 रु० (केवल सत्तरह रुपये और पैंसठ पैसे) प्रति इकाई ।
		(ख) 1200 एम० एम० फैलाव के पंखे	23.00 रु० (केवल तेईस रुपये) प्रति इकाई ।
		(ग) 1400 एम० एम० और 1500 एम० एम० फैलाव के पंखे	26.70 रु० (केवल छब्बीस रुपये सत्तर पैसे) प्रति इकाई
		(ii) छत के पंखे एल्यूमीमियम के ब्लेडों	
		(क) 900 एम० एम० और 1050 एम० एम० से भिन्न ब्लेडों वाले फैलाव के पंखे	15.45 रुपये (केवल पन्द्रह रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति इकाई ।
		(ख) 1200 एम० एम० फैलाव के पंखे	19.45 रुपये (केवल उन्नीस रुपये पैंतालीस पैसे) प्रति इकाई ।
		(ग) 1400 एम० एम० और 1500 एम० एम० फैलाव के पंखे	20.75 रुपये (केवल बीस रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति इकाई ।
		टप्पणी-(1) पंखों पर प्रति अदायगी की उपरोक्त दरों में रेगूलेटरों पर प्रति अदायगी सम्मिलित नहीं है । जब पंखों के साथ रेगूलेटर निर्यात किये जायें, तब उपरोक्त दरों के अतिरिक्त उपक्रमांक 4811 के सामने उल्लिखित दर पर प्रति अदायगी देय होगी ।	
		(ख) मेज के पंखे	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 8 प्रतिशत (केवल आठ प्रतिशत) 15.50 रु० (केवल पन्द्रह रुपये पचास पैसे) प्रति इकाई से अधिक न हो ।
	4809	छत के विद्युत पंखों के लिये एल्यूमिनियम के बने ब्लेड ।	4.25 रु० (केवल चार रुपये पच्चीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	4810	विद्युत पंखों को लटकाने की छड़ें	0.45 रु० (केवल पैंतालीस पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	4811	इलैक्ट्रोनिक रेगुलेटरों से भिन्न, पंखों के रेगुलेटर ।	2.75 रु० (केवल दो रुपये पचहत्तर पैसे) प्रति इकाई ।
	4812	प्लास्टिक विद्युत उप-साधन, जो मुख्यतः प्लास्टिक और पीतल से बने हों अर्थात् स्विच, साकेट, एडेप्टर्स, प्लग्स, लैम्प धारक और छत के रोज ।	3.70 रु० (केवल तीन रुपये सत्तर पैसे) प्रति किलोग्राम ।
	4813	220 वोल्ट से 500 वोल्ट तक की वोल्टता के कागज संधारित्र/कन्डेंसर	0.68 रु० (केवल अड़सठ पैसे) प्रति माइक्रोफैरेड (एम० एफ० डी०) ।
49.		रेल के इंजन वैगन, डिब्बे, रेल पथ या लैंपधारक, स्थायक और जुड़नार, सब प्रकार के यातायात सिगनल उपस्कर, उनके हिस्से :—	
	4901	रेल-इंजन वैगन, डिब्बे, रेल-पथ स्थायक और जुड़नार, सभी प्रकार के यातायात सिगनल उपस्कर उनके हिस्से जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हों ।	आण्ड दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर निर्धारित की जानी है ।
50.		वाहन (रेल से भिन्न), वायुयान, पोत, नौका और तैरने वाली सब प्रकार की संरचनाएं, उनके पुर्जे और उपांग ।	
	5001	वाहनों (रेल से भिन्न) वायुयान, पोत, नौका और तैरने वाली सब प्रकार की संरचनाएं, उनके पुर्जे और उपांग जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हो ।	आण्ड-दर, अलग अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	5002	मोटर गाड़ियों, जिनमें ट्रैक्टर शामिल हैं के पुर्जे, जो उप-क्रम सं० 4002 'ख' के अन्तर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न हों, अर्थात निम्नलिखित—	
		(1) ढलवां लोहे से बने पुर्जे ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 0.3 प्रतिशत (केवल दशमलव तीन प्रतिशत) ।
		(2) इस्पात के सेक्शनों शीटों और पाइपों से निर्मित पुर्जे ।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.25 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पच्चीस प्रतिशत) ।

1	2	3	4
		(3) रिक्त	
		(4) वोल्टता रेगुलेटर	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 6 प्रतिशत (केवल छः प्रतिशत)।
		(5) रिक्त	
		(6) कम्प्यूटेटर्स	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 8.5 प्रतिशत (केवल आठ दशमलव पांच (प्रतिशत)।
		(7) रिक्त	
		(8) रिक्त	
		(9) रिक्त	
		(10) ब्रेक लाइनिंग तथा क्लच फेसिंग	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत (केवल पांच प्रतिशत)।
		(11) रिक्त	
		(12) रिक्त	
		(13) रिक्त	
		(14) टायर, ट्यूब और फ्लेप्स	उप-क्रमांक 2002 के अन्तर्गत देय प्रतिअदायगी की दर।
		(15) आटो ट्यूब वाल्व	उप-क्रमांक 5009 के अन्तर्गत देय प्रतिअदायगी की दर।
		(16) सीमा एसिड स्टोरेज बैटरियां	पूर्णतः संयोजित बैटरियों के शुद्ध भार का प्रति किलोग्राम 1.80 रु० (केवल एक रुपया और अस्सी पैसे)।
		(17) मोटरगाड़ियों (आटोमोबाइल) में प्रयुक्त स्प्रिंग-लीव्ज एक्सिल शाफ्ट और क्वायल स्प्रिंग	176.50 रु० (केवल एक सौ छिहत्तर रुपये पचास पैसे) प्रति मी० टन।
		(18) स्वचालित इस्पात रोलर/शुश-ब्रेन	775.00 रु० (केवल सात सौ पचहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
		(19) अन्य सभी जिन्हें इस पद में अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और उनको छोड़कर जो प्राकृतिक कच्चे रबड़ से बने हों।	पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.25 प्रतिशत (केवल एक दशमलव पच्चीस प्रतिशत)।

टिप्पणी :—(1) ऊपर उल्लिखित मद (1), (2) तथा (19) के सामने दर्शायी गयी प्रति अदायगी की दर, स्टील पर शुल्क की मात्रा पर आधारित है। यदि निर्यातकर्ता सीमा शुल्क के सहायक समाहर्ता के समाधानप्रद रूप से यह प्रमाणित कर सकता है कि माल का निर्माण ऐसी किसी अन्य सामग्री से किया गया है जिसके लिये दर, समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 15-10-71 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-1 के अन्तर्गत विद्यमान है, तो उसके सम्बन्ध में प्रतिअदायगी उक्त सार्वजनिक सूचना के संगत उप-क्रमांक के अन्तर्गत मंजूर की जाय।

(2) उपरोक्त दरें तब लागू होंगी जब तैयार उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों पर अथवा संघटकों पर अदा किये गये केन्द्रीय उत्पादशुल्क पर केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 1944 के नियम 56-क अथवा उसके किन्हीं अन्य उपबंधों के अन्तर्गत कोई छूट प्राप्त नहीं की गयी हो।

5003	ट्रालियां		326.00 रु० (केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन।
5004	(1) सम्पूर्ण बाइसिकल, चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित, जिसमें उपांग भी शामिल हैं।		पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 12.5 प्रतिशत (केवल बारह दशमलव पांच प्रतिशत) परन्तु शर्त यह है कि अधिकतम 29.00 रु० (केवल उनतीस रुपये) प्रति बाइसिकल हो।

टिप्पणी :—बाइसिकल के साथ निर्यात किये जाने वाले प्रत्येक डायनमों पर 3.50 रु० (केवल तीन रुपये पचास पैसे) की अतिरिक्त प्रतिअदायगी देय होगी।

		(2) बाइसिकल स्पोकों निप्पलों, वाशरों, चैनों, रिप लाइनरों, गद्दी के फ्रेमों, (चमड़े से बने) पेडलों का रबड़ का भाग, औजार तथा औजार के बक्सों, साइकिल पम्पों, टायर तथा ट्यूबों, ट्यूब, वाल्व्ज और फ्री व्हीलों से भिन्न बाइसिकल के संघटक, फालतू पुर्जे तथा उपांग।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 12.5 प्रतिशत (केवल बारह दशमलव पांच प्रतिशत)।
		(3) बाइसिकलों के फ्री व्हील।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 9 प्रतिशत (केवल नौ प्रतिशत)।
5005	बाइसिकल की सभी प्रकार की चैनें, चाहे वे संयोजित हों अथवा असंयोजित हों और चाहे वे लम्बाई में हों अथवा अन्यथा।		1.00 रुपया (केवल एक रुपया) प्रति किलोग्राम।
5006	बाइसिकल की तीलियां :—		
		(क) गालविनिकृत तीलियां, निप्पलों और वाशरों के बिना।	595.00 रु० (केवल पांच सौ पिचानवें रुपये) प्रति मीट्रिक टन।

1	2	3	4
		(ख) बाइसिकल की तिलियों के लिए पीतल की निप्पलें ।	उप-क्रम सं० 3805(ख) के अन्तर्गत लागू दर पर ।
		(ग) पीतल की निप्पलों एवं वाशरों सहित सम्पूर्ण तीलियां ।	824.00 रु० (केवल आठ सौ चौबीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(घ) बाइसिकल की तिलियों के लिए वाशर:—	
		(1) टिन प्लेट से बने	उप-क्रम संख्या 3618 के अन्तर्गत लागू दर पर ।
		(2) गालवनिकृत, इस्पात की नरम पट्टियों से बने	879.00 रु० (केवल आठ सौ उनासी रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
	5007	रिक्त	
	5008	रिक्त	
	5009	मोटर गाड़ियों (आटो) और बाइसिकल ट्यूब वाल्व, जब इनका निर्यात इसी रूप में रबड़ बफिंग के बिना किया जाता है ।	2.65 रु० (केवल दो रुपये पैंसठ पैसे) प्रति किलोग्राम ।
51	सफाई, नलसाजी, तापन, प्रकाश स्थायक और जुड़नार तथा उनके पुर्जे		
	5101	सफाई, नलसाजी, तापन, प्रकाश स्थायक और जुड़नार और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
52	फर्नीचर		
	5201	फर्नीचर, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	5202	इस्पात फर्नीचर (ट्यूबुलर इस्पात फर्नीचर तथा फर्नीचर ट्यूबों को छोड़कर) जिनमें लाकर कैबिनेट और अन्य सेफ डिपाजिट उपस्कर, मजबूत दरवाजे, इस्पात की खिड़कियां तथा दरवाजे शामिल हैं, किन्तु स्टेनलैस इस्पात से बने उनके हिस्से शामिल नहीं है ।	
		(क) 5 मि० मी० से कम मोटाई वाली इस्पात की चादरों अथवा पट्टियों से बने ।	473.00 रु० (केवल चार सौ तिहत्तर रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
		(ख) अन्य सभी	326.00 रु० (केवल तीन सौ छब्बीस रुपये) प्रति मीट्रिक टन ।
53.	प्रकाशीय, फोटोग्राफी संबंधी, सिनेमा संबंधी, मापक जांच करने के, यथार्थमापी चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा संबंधी औजार, यंत्र और उपस्कर, उनके पुर्जे		
	5302	प्रकाशीय, फोटोग्राफी संबंधी, सिनेमा संबंधी मापक, जांच करने के यथार्थमापी, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संबंधी औजार यंत्र और उपस्कर और उनके पुर्जे जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	ब्राण्ड-दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
54.	दीवार घड़ी, घड़ियां और उनके पुर्जे		
	5401	दीवार घड़ी, घड़ियां और उनके पुर्जे, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं ।	ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
55	वाद्य यंत्र ध्वनि रिकार्ड और रिप्रोड्यूसर, उनके पुर्जे और उपांग		
	5501	वाद्य यंत्र, ध्वनि रिकार्ड, रिप्रोड्यूसर, उनके पुर्जे और उपांग जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है ।	ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत होनी है ।
	5502	जनता को सबोधन करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले उपकरण अर्थात् माइक्रोफोन, इम्पीलीफायर, स्पीकर, हार्न यूनिट कम्बीनेशन, ड्राइव यूनिट और मैगाफोन ।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 3 प्रतिशत (केवल तीन प्रतिशत) ।
56.	खिलौने, खेलकूद और क्रीड़ा के सामान, उनके पुर्जे		
	5601	अन्यत्र/अविनिर्दिष्ट खिलौने, खेलकूद और क्रीड़ा के सामान, उनके पुर्जे ।	ब्राण्ड दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है ।
	5602	(i) ब्लैडर सहित अथवा बिना ब्लैडर के फुटबाल/रग्बी बाल के चमड़े के बने	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत) ।
		(ii) उपर्युक्त (1) के लिए रबड़ के ब्लैडर ।	
	5603	क्रिकेट और हाकी की मानक आकार की गेंदें (5½ औंस से 5¾ औंस तक) ।	12.50 रु० (केवल बारह रुपये पचास पैसे) प्रति एक सौ, नग, जिसमें पैकिंग के सामान पर यदि कोई हो, पर प्रतिग्रहायगी शामिल नहीं है ।

1	2	3	4
57.	कार्यालय संबंधी वस्तुएं और लेखन सामग्री:—		
	5701	कार्यालय संबंधी वस्तुएं और लेखन सामग्री में जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर की जानी है।
	5702	फाउंटेन पेन, बाल पाइण्ट पेन, साइन पेन, पाइवर टिप पेन, और फाउण्टेन पेन की इरीडियम एलाय पेन पाइण्ट वाली निब (जिसमें फाउण्टेन पेन की स्टेनलेस स्टील निब शामिल है) तथा बाल पाइण्ट पेन रिफल (धातु अथवा प्लास्टिक की)।	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2.5 प्रतिशत (केवल दो दशमलव पांच प्रतिशत)।
58	पूर्णतः या अंशतः ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं		
	5801	पूर्णतः या अंशतः ऐलाबास्टर या स्वर्ण या चांदी से बनी हुई वस्तुएं, जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	5802	रिक्त	
	5803	एलाबास्टर से बनी दस्तकारी की वस्तुएं और अन्य वस्तुएं	ब्राण्ड दर अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
59.	विनिर्मित वस्तुएं अर्थात् सब प्रकार के ब्रुश, सिवाय कार्बन ब्रुशों के, जिप कसनी, स्नेप कसनी, यांत्रिक लाइटर, कृत्रिम बाल बिग और ऐसी ही वस्तुएं और हाथी दांत के उत्पाद।		
	5901	विनिर्मित वस्तुएं अर्थात् सब प्रकार के ब्रुश सिवाय कार्बन ब्रुशों के, जिप कम्पनी स्नेप कसनी, यांत्रिक लाइटर, कृत्रिम बाल, बिग और ऐसी ही वस्तुएं और हाथी दांत के उत्पाद जो अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।	ब्राण्ड-दर, अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता से प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर नियत की जानी है।
	5902	धातु की जिप कसनी—	
		(i) पीतल से बने—	
		(क) साइज सं० 3	96.00 रु० (केवल छियानवे रुपये) प्रति एक हजार मीटर।
		(ख) साइज सं० 5 अथवा उससे बड़े।	165.00 रु० (केवल एक सौ पैंसठ रुपये) प्रति एक हजार मीटर।
		(ii) ऐल्युमीनियम से बने—	
		(क) साइज सं० 3	43.00 रु० (केवल तैंतालीस रुपये) प्रति एक हजार मीटर।
		(ख) साइज सं० 5 अथवा इससे बड़े।	70.00 रु० (केवल सत्तर रुपये) प्रति एक हजार मीटर।
	5903	हाथी दांत के उत्पाद	235.00 रु० (केवल दो सौ पैंतीस रुपये) प्रति किलोग्राम।

नोट:—इस सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित प्रति अदायगी की दरें, इस सार्वजनिक सूचना के किसी उप-क्रमांक के अन्तर्गत आने वाली किसी जिंस/उत्पादों के निर्यात के संबंध में लागू नहीं होंगी, यदि इस प्रकार की जिंस/उत्पाद के संबंध में, समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 31-1-1976 की अधिसूचना संख्या 5-सी० शु०/फा० सं० 602/33/75 प्र०अ० तथा दिनांक 1-7-1977 की अधिसूचना संख्या 138-सीमाशुल्क/फा० सं० 602/9/76-प्र०अ० की शर्तों के अंतर्गत निर्यातकर्ता को दिये गए शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र के अन्तर्गत निर्णत दायित्व को पूरा करने के लिए निर्यात किये जाने का दावा किया जाता है।

(2) (क) खण्ड (ख) में की गई व्यवस्था छोड़कर चाय से भरे सभी प्रकार के डिब्बों अथवा उनके सन्दर्भ में इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री पर इस सार्वजनिक सूचना के किसी भी उप-क्रमांक के अन्तर्गत प्रति अदायगी देय नहीं होगी।

(ख) चाय के थैलों और ऐसे चाय के थैलों के सन्दर्भ में इस्तेमाल की गयी पैकिंग सामग्री पर उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित कोई भी बात लागू नहीं होगी।

व्याख्या : उपर्युक्त नोट (2) में, "चाय के थैले" का अर्थ पोरस फिल्टर पेपर अथवा नायलोन की जाली से बनी एक ऐसी थैली (पाउडर) अथवा तह लगे थैले से है जिसमें उक्त पोरस सामग्री सहित प्रत्यक्ष विवेचन के लिए प्रत्येक थैले में 5 ग्राम शुद्ध से अधिक चाय न हो।

(3) यदि कोई भी माल पैकिंग सामग्री है जो कि निम्नलिखित के निर्यात में अथवा के संबंध में इस्तेमाल की गयी हो, तो कोई प्रतिअदायगी मंजूर नहीं की जाएगी।

(क) पटसन सूत (जिसमें विमलीपत्तम पटसन अथवा मैस्टा तंतु शामिल है), टिवस्ट, ट्वाइन, धागों और रस्सियां जिसमें पटसन सूत भार में अधिक है।

(ख) पटसन फैब्रिक (विमलीपटम पटसन अथवा मेस्टा, तंतु सहित) जिसमें पटसन भार में अधिक है।

(ग) पटसन निर्मितिदा जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट है (विमलीपटम पटसन अथवा मेस्टा तंतु सहित) जिसमें पटसन भार में अधिक है।

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्रतिअदायगी नियम 1971 के नियम 3(1), नियम 6 तथा नियम 7 के उपबन्ध, व्यापारियों एवं उद्योगों की सूचना के लिए नीचे उद्धृत है :—

3. प्रतिअदायगी:—

(1) (क) सीमाशुल्क, अधिनियम, 1962(1962 का 52) और तद्धीन बनाए गए नियमों;

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और तद्धीन बनाए गए नियमों और;

(ग) इन नियमों, के उपबन्धों के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल के निर्यात पर प्रतिअदायगी ऐसी रकम या ऐसी दरों पर अनुज्ञात की जा सकेगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं ।

परन्तु जहां कोई माल ऐसी आयात की गई सामग्री या उत्पादनशुल्क योग्य सामग्री से उत्पादित/विनिर्मित किया गया हो जिनमें से केवल कुछ पर ही, शेष पर नहीं, उस पर प्रभार्य शुल्क, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और तद्धीन, बनाए गए नियमों या केन्द्रीय उत्पादनशुल्क और अधिनियम, 1944(1944 का 1) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के अधीन, दिया गया हो, या प्रभार्य शुल्क का केवल एक भाग ही दिया गया हो, संदत्त शुल्क का पूर्णत: या अंशत: रिबेट दिया गया है या प्रतिदाय दिया गया हो, वहां उक्त माल पर अनुज्ञेय प्रति अदायगी संदत्त न्यूनतर शुल्क या अभिप्राप्त रिबेट प्रतिदाय या उधार को ध्यान में रखकर कम कर दी जाएगी :—

परन्तु यह और भी कि —

(i) यदि उक्त माल निर्माण के बाद इस्तेमाल में लाया गया है, अथवा

(ii) यदि उक्त माल ऐसे आयात की गयी सामग्रियों अथवा उत्पादनशुल्क लगने योग्य सामग्रियों का इस्तेमाल करके उत्पादन अथवा निर्माण किया गया है जिसके संबंध में शुल्क अदा नहीं किया गया है; अथवा

(iii) उप-नियम 1(क) में की गई व्यवस्था से अन्यथा को छोड़कर यदि उक्त माल चाय से भरे सभी प्रकरण के डिब्बे हों, अथवा उनमें अथवा इस प्रकार से चाय से भरे ऐसे डिब्बों के सन्दर्भ में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री हो, निर्यात किया जाए।

(iv) यदि उक्त माल पैकिंग सामग्री हो जो कि निर्यात में अथवा उसके संबंध में प्रयुक्त किये गये हों —

(1) पटसन सूत (बिमलीपत्तम पटसन अथवा मेस्टा तंतु सहित) ट्विस्ट, ट्वाइन धागा और रस्सियां जिनमें पटसन सूत भार में अधिक हो;

(2) पटसन फैब्रिक (विमलापटम पटसन अथवा मेस्टा तंतु सहित), जिसमें पटसन भार में अधिक हो;

(3) पटसन निर्मितियां जो अन्यत्र अविनिर्दिष्ट हैं (बिमलीपटम पटसन अथवा मेस्टा तंतु सहित) जिसमें पटसन भार में अधिक हो।

1(क) उप-नियम (1) के दूसरे परन्तुक के खण्ड (iii) में अन्तर्निहित कोई भी बात चाय के थैलों और इस प्रकार के चाय के थैलों के सन्दर्भ में प्रयुक्त पैकिंग सामग्री पर लागू नहीं होगी।

व्याख्या : इस उप-नियम में, "चाय के थैले" का अर्थ पोरस फिल्टर पेपर अथवा नायलान की जाली से बनी एक ऐसी थैली (पाउच) अथवा तह लगे थैले से है जिसमें उक्त पोरस सामग्री सहित प्रत्यक्ष निवेचन के लिए प्रत्येक थैले में 5 ग्राम शुद्ध से अधिक चाय न हो।

"6. वे मामले जिनमें प्रति अदायगी की रकम या दर अवधारित नहीं की गई है :—

(1) (क) जहां किसी माल की बाबत प्रति अदायगी की कोई रकम या दर अवधारित नहीं की गई है, वहां ऐसे माल का कोई विनिर्माता या निर्यातकर्ता ऐसे माल का निर्यात करने से पूर्व उसके लिए प्रति अदायगी की रकम की या दर के अवधारण के लिए केन्द्रीय सरकार को, सभी सुसंगत तथ्यों का उल्लेख करते हुए जिनमें वह अनुपात, जिसमे माल के उत्पादन या निर्माण में सामग्री या घटकों पर संदत्त शुल्क सम्मिलित है, लिखित आवेदन दे सकेगा;

(ख) खंड (क) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच जैसी वह उचित समझे करने या करवाने के पश्चात्, ऐसे माल की बाबत प्रति अदायगी की रकम या दर का अवधारण करेगी।

(2) (क) जहां किसी निर्यातकर्ता की वांछा है, कि प्रति अदायगी की रकम अनन्तिम रूप में उसे दी जाए, वह उप-नियम (1) के खंड (क) के अधीन आवेदन करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में ये आवेदन कर सकेगा कि ऐसे माल के निर्यात पर प्रति अदायगी हेतु, उस उप-नियम के खंड (ख) के अधीन रकम या दर के अवधारण होने तक, उसे एक अनन्तिम रकम दे दी जाए;

(ख) केन्द्रीय सरकार आवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस पत्तन के सीमाशुल्क कलक्टर को जहां से माल का निर्यात किया गया है इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह ऐसे निर्यात के बाबत निर्यातकर्ता द्वारा दावाकृत रकम से अनधिक रकम अनन्तिम रूप से दे दें;

परन्तु यह सब जबकि सीमाशुल्क सहर्ता ऐसे निर्यात के संबंध में प्रति अदायगी के अनन्तिम संदाय को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए निर्यातकर्ता से यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी रकम का और ऐसी शर्तों के अधीन रखते हुए, जैसा सीमाशुल्क समाहर्ता निदेश दें, एक बन्धपत्र मेरे या ऐसी रकम के लिए जो किसी विशिष्ट परेषण के बारे में प्रति अदायगी के रूप में ऐसे निर्यातकर्ता द्वारा दावाकृत पूर्ण रकम से अनधिक हो और निम्नलिखित के लिए—

(1) यदि किसी कारण से केन्द्रीय सरकार प्रति अदायगी अनुज्ञात न करने का विनिश्चय करें, तो इस प्रकार अनन्तिम रूप से मंजूर की गई रकम वापस करने के लिए; या

(2) यदि केन्द्रीय सरकार प्रति अदायगी अनुज्ञात करने का विनिश्चय करे तो अनन्तिम रूप से प्राप्त अधिक्य रकम, यदि कोई हो, वापस करने के लिए, अपने को आबद्ध करेगा;

परन्तु यह और कि जब ऐसे माल पर संदेय प्रति अदायगी की रकम या दर का अनन्तिम रूप से अवधारण हो जाए तब ऐसे निर्यातकर्ता को अनन्तिम रूप से दी गई रकम, अनन्तिम रूप से संदेय प्रति अदायगी के साथ समायोजित की जाएगी और यदि इस प्रकार समायोजित रकम अनन्तिम रूप से संदेय प्रति अदायगी से अधिक है या कम पड़ती है तो वह, सीमाशुल्क समाहर्ता को, यथास्थिति उस अधिक रकम की वापसी करेगा या जो रह गई होगी उसे पाने का हकदार होगा।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट बन्धपत्र ऐसे प्रतिभू या प्रतिभूति सहित हो सकता है जैसा सीमाशुल्क समाहर्ता निदेश दें;

(3) जहां केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती हो, वहां उस तारीख से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकार को रद्द कर सकती है।"

"7. वे मामले जिनमें प्रति अदायगी की अवधारित रकम या दर कम हो।

(1) जहां किसी विनिर्माता या निर्यातकर्ता को यह पता चलता है कि किसी माल की बाबत प्रति अदायगी की यथास्थिति नियम 3 के अधीन अवधारित या उस वर्ग के माल के लिये, नियम 4 के अधीन पुनरीक्षित, रकम या दर उस सामग्री या संघटकों पर, जो उक्त माल के उत्पादन विनिर्माण में प्रयुक्त किये जाते हैं दिए गए शुल्क के तीन चौथाई से कम हैं वहां, वह केन्द्रीय सरकार को प्रति अदायगी की उचित रकम या दर नियत करने के लिए लिखित आवेदन उन सभी तथ्यों का उल्लेख करते हुए, जिसमें वह अनुपात जिसमें माल के उत्पादन या विनिर्माण में सामग्री या संघटकों का प्रयोग किया जाता है, और ऐसी सामग्री या संघटकों पर आयात किये गये शुल्क सम्मिलित हैं, कर सकता है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार ऐसी जांच, जैसी वह उचित समझे करने या कराने के पश्चात् निर्यातकर्ता को ऐसी रकम या दर पर, जो समुचित रकम या दर अवधारित की जाये प्रति अदायगी का संदाय अनुज्ञात कर सकती है यदि यथास्थिति नियम 3 के अधीन अवधारित या नियम 4 के अधीन पुनरीक्षित प्रति अदायगी की रकम या दर इस विषय के अधीन आधारित ऐसी रकम या दर की वस्तुतः तीन चौथाई से कम है।

जिन वस्तुओं के निर्यात किये जाने पर सरकार द्वारा प्रति-अदायगी दी जाती है वे सभी सारणी के 59 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत आती है। यथासंभव अधिक से अधिक उत्पादों के लिए प्रति अदायगी की सर्व उद्योग दरें निर्धारित की गई हैं, । जहां कहीं 59 मुख्य शीर्षों में से किसी भी शीर्ष के सामान्य विवरण के अन्तर्गत आने वाला कोई विशेष निर्यात-उत्पादन सर्व उद्योग दरों के अन्तर्गत नहीं आता वहां निर्यातकर्ता नियम 6 के अन्तर्गत ब्राण्ड दरें नियत करवा सकते हैं। निर्यातकर्ता, नियमावली के नियम 6(2) के अधीन दर निर्धारण की सुविधा अथवा प्रति अदायगी के पेश किये गये दावे की रकम का लाभ भी उठा सकते हैं।

जहां कहीं निर्यातकर्ता यह महसूस करे कि उसके मामले में प्रति अदायगी की दर अथवा रकम, वस्तु के उत्पाद अथवा निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों तथा संघटकों पर अदा किये गये शुल्क की तीन चौथाई रकम से कम है, वहां नियमावली के नियम 7 के अन्तर्गत विशेष ब्राण्ड दर निर्धारित करने की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(INDIRECT TAXES DIVISION)

New Delhi, 1st June, 1978

No. DRAWBACK/PN-27/78.

PUBLIC NOTICE

Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra ordinary, dated the 25th August, 1971, the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, as amendment from time to time :—

For all the Serial Numbers, Sub-Serial Numbers and the entires relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

[Note :— The rates of drawback indicated in the table annexed hereto are inclusive of drawback on packing materials used, if any, unless otherwise specified.]

TABLE

Serial No. in Schedule Appended to the Rules.	Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
1	2	3	4
1		FRUIT PRESERVED AND FRUIT PREPARATIONS, PROVISIONS, CANNED, BOTTLED OR OTHERWISE AND ALL SORTS OF FOODS NOT ELSEWHERE SPECIFIED:	
	101	Fruit preserved and fruit preparations, provisions, canned, bottled or otherwise and all sorts of foods not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.

1	2	3	4
		With effect from 1-6-78 to 14-6-78	With effect from 15-6-1978
102	Fruit chutney containing not less than 50% of sugar by weight.	Rs. 12.07 (Rupees twleve and paises even only) per quintal of such goods.	Rs. 10.60 (Rupees ten and paise sixty only) per quintal of such goods.
103	Jams and Jellies containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 14.48 (Rupees fourteen and paise forty eight only) per quintal of such goods.	Rs. 12.70 (Rupees twelve and paise seventy only) per quintal of such goods.
104	Canned fruit in syrup containing—		
	(a) not less than 16% of sugar by weight.	Rs. 3.86 (Rupees three and paise eighty six only) per quintal of such goods.	Rs. 3.39 (Rupees three and paise thrity nine only) per quintal of such goods.
	(b) less than 16% but not less than 13.5% of sugar by weight.	Rs. 3.26 (Rupees three and paise twenty six only) per quintal of such goods.	Rs. 2.86 (Rupees two and paise eighty six only) per quintal of such goods.
105	Squashes containing not less than 40% of sugar by weight.	Rs. 9.66 (Rupees nine and paise sixty six only) per quintal of such goods.	Rs. 8.47 (Rupees eight and paise forty seven only) per quintal of such goods.
106	Fruit syrups, synthetic syrups and sharbats containing not less than 65% of sugar by weight.	Rs. 15.69 (Rupees fifteen and paise sixty nine only) per quintal of such goods.	Rs. 13.77 (Rupees thriteen and paise seventy seven only) per quintal of such goods.
107	Fruit Cardials containing not less than 30% of sugar by weight.	Rs. 7.24 (Rupees seven and paise twenty four only) per quintal of such goods.	Rs. 6.36 (Rupees six and paise thirty six only per quintal of such goods.
108	Barley waters including lemon barley water containing not less than 40% of sugar by weight.	Rs. 9.66 (Rupees nine and paise sixty six only) per quintal of such goods.	Rs. 8.47 (Rupees eight and paise forty seven only) per quintal of such goods.
109	Fruit crushes containing not less than 55% of sugar by weight.	Rs. 13.28 (Rupees thirteen and paise twenty eight only) per quintal of such goods.	Rs. 11.65 (Rupees eleven and paise sixty five only) per quintal of such goods.
110	Marmalades containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 14.48 (Rupees fourteen and paise forty eight only) per quintal of such goods.	Rs. 12.70 (Rupees twelve and paise seventy only) per quintal of such goods.
111	Candies and Crystalised or Glaced Fruit and peel containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 14.48 (Rupees Fourteen and paise forty eight only) per quintal of such goods.	Rs. 12.70 (Rupees twelve and paise seventy only) per quintal of such goods.
112	Mango Pulp containing—		
	(a) not less than 5% of sugar by weight.	Rs. 1.21 (Rupee one and paise twenty one only) per quintal of such goods.	Rs. 1.06 (Rupee one and paise six only) per quintal of such goods.
	(b) less than 5% but not less than 3% of sugar by weight.	Rs. 0.72 (Paise seventy two only) per quintal of such goods.	Rs. 0.64 (Paise sixty four only) per quintal of such goods.
113	Fruit preserves containing not less than 60% of sugar by weight.	Rs. 14.48 (Rupees fourteen and paise forty eight only) per quintal of such goods.	Rs. 12.70 (Rupees twelve and paise seventy only) per quintal of such goods.
114	Sweetened Fruit Juices (Canned or and Bottled) containing not less than 10% of sugar by weight.	Rs. 2.41 (Rupees two paise forty one only) per quintal of such goods.	Rs. 2.12 (Rupees two and paise twelve only) per quintal of such goods.
115	Mango Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 3.62 (Rupees three and paise sixty two only) per quintal of such goods.	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of goods.

1	2	3	4
	116	Papaya Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs 3 62 (Rupees three and paise sixty two only) per quintal of such goods.	Rs. 3 18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of such goods.
	117	Guava Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 3 62 (Rupees three and paise sixty two only) per quintal of such goods	Rs. 3 18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of such goods.
	118	Grape Nectar (Ready to serve beverages) containing not less than 15% of sugar by weight.	Rs. 3.62 (Rupees three and paise sixty two only) per quintal of such goods	Rs. 3.18 (Rupees three and paise eighteen only) per quintal of such goods.

(Provided the above Fruit Products have been manufactured in accordance with the provisions of the Fruit Products Order, 1955).

Note :— The rates of drawback at sub-serial No. 102 to 118 are *exclusive* of drawback on packing materials used, if any.

2		INSTANT COFFEE :	
	201	Instant Coffee not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
3		COCOA PASTE, BUTTER, POWDER, CHOCOLATE, AND OTHER FOOD PREPARATION CONTAINING COCOA :	
	301	Cocoa paste, butter, powder, chocolate and other food preparation containing cocoa, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer exporter.
4		SUGAR CONFECTIONARY AND OTHER SUGAR PREPARATION :	
	401	Sugar confectionary and other sugar preparation, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
5		BISCUITS :	
	501	Biscuits, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individua manufacturer/exporter.
	502	Biscuits, all sorts.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.
6		COPRA CAKE :	
	601	Copra cake, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individ ual manufacturer/exporter.
7		CONCENTRATE AND BASE FOR NON ALCOHLIC BEVERAGE:	
	701	Concentrate and base for non alcoholic beverage not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individua manufacturer/exporter.
8		ALCOHOLIC BEVERAGE :	
	801	Alcoholic beverage not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
9		TOBACCO MANUFACTURERS :	
	901	Tobacco manufactures, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	902	Pipe or Cigarette tobacco in the manufacture of which tobacco of foreign origin (other than tobacco of Pakistan, Bangladesh, Burma, Nepal or Bhutan origin has been used.	Rs. 59.20 (Rupees fifty nine and paise twenty only) per kg. of foreign tobacco content other than of Pakistan, Bangladesh, Burma, Nepal or Bhutan origin contained in the pipe or cigarette tobacco.

Provided that :—

(a) Drawback at this rate shall be paid in respect of only such pipe or cigarettes tobacco as has been manufactured by a person who has been registered for this purpose by the Collector of Customs in whose jurisidiction such pipe or cigarette tobacco is manufactured;

(b) the pipe or cigarette tobacco is manufactured under the supervision of Customs or Central Excise Officers;

(c) the pipe or cigarette tobacco is packed in temper proof sealed containers bearing on their outside detailed description of the goods; and

(d) the quantity of foreign tobacco other than the tobacco of Nepal, Burma, Pakistan, Bhutan or Bangladesh origin, contained in the pipe or cigarette tobacco being exported is established to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs.

1	2	3	4
	903	Cigarettes in the manufacture of which tobacco of foreign origin (other than tobacco of Pakistan, Bangladesh, Burma, Nepal or Bhutan origin) has been used.	Rs.59.20 (Rupees fifty nine and paise twenty only) per kg. of foreign tobacco content other than of Pakistan, Burma, Nepal, Bangladesh or Bhutan origin contained in the cigarettes.
		Provided that :— (a) Drawback at this rate shall be paid in respect of only such cigarettes as have been manufactured by a person who has been registered for this purpose by the Collector of Customs in whose jurisdiction such cigarettes are manufactured; and (b) the quantity of foreign tobacco other than tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Bangladesh origin contained in the cigarette being exported is established to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs.	
	904	Cigars in the manufacture of which cigar wrapper tobacco of foreign origin (other than cigar wrapper tobacco of Pakistan, Burma, Nepal, Bhutan or Bangladesh origin) has been used.	Rs.56.50 (Rupees fifty six and paise fifty only) per kg. of foreign cigar wrapper tobacco content other than of Pakistan, Bangladesh, Nepal, Burma or Bhutan origin used in the manufacture of cigar.
		Provided that :— (a) the packages of the imported materials have been verified by the Assistant Collector of Customs and sealed with the Customs seal before delivery at the port of import; (b) the sealed packages have been opened and the imported materials used for the manufacture with the permission of Central Excise Officer-in-Charge of the factory in which the cigars are manufactured; (c) the manufacturer has maintained such accounts of the use of the imported cigar wrapper tobacco as may be prescribed by the Assistant Collector of Central Excise in whose jurisdiction the factory in which the cigars are manufactured is situated; and (d) the export is made under Form AR-4 (Central Excise Series No.60) prescribed under Central Excise Rules, 1944.	
	905	Hookah Tobacco paste containing not less than 20% of tobacco by weight	Rs. 0.42 (Paise forty two only) per kg.
	906	Bidis	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value.
10		PETROLEUM PRODUCTS :	
	1001	Petroleum products not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
11		ORGANIC CHEMICALS, INORGANIC CHEMICALS, CHEMICAL PRODUCTS :	
	1101	Organic Chemicals, Inorganic Chemicals, Chemical products not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	1102	Dichromate—	
		(i) Sodium Dichromate/Dihydrate.	Rs. 132.00 (Rupees one hundred and thirty two only) per tonne.
		(ii) Potassium Dichromate.	Rs. 464.75 (Rupees four hundred sixty four and paise seventy five only) per tonne.?
	1103	Alumina Ferric.	Rs. 28.75 (Rupees twenty eight and paise seventy five only) per tonne.
	1104	Vacant.	
	1105	Silicon Carbide.	Rs. 283.00 (Rupees two hundred and eighty three only) per tonne.
	1106	Vacant.	
	1107	Potash Alum.	Rs. 8.40 (Rupees eight and paise forty only) per tonne.
	1108	Bismuth Sub-Carbonate.	Rs. 26.00 (Rupees twenty six only) per kg.
	1109	Vacant.	
	1110	Alum and Aluminium Sulphate iron free—	
		(i) Ammonia Alum.	Rs. 25.20 (Rupees twenty five and paise twenty only) per tonne.
		(ii) Aluminium Sulphate.	Rs.29.40 (Rupees twenty nine and paise forty only) per tonne.
	1111	Bismuth Sub-Nitrate.	Rs.24.00 (Rupees twenty four only) per kg.
	1112	Caustic Potash.	Rs.556.00 (Rupees five hundred and fifty six only) per tonne.
	1113	Sodium Sulphite.	Rs.172.50 (Rupees one hundred seventy two and paise fifty only) per tonne.

1	2	3	4
	1114	Sodium Thiosulphate.	Rs.63.00 (Rupees sixty three only) per tonne.
	1115	Sodium Bisulphite.	Rs.117.00 (Rupees one hundred and seventeen only) per tonne.
	1116	Synthetic detergents with active detergent of 18 or more.	Rs.560.00 (Rupees five hundred and sixty only) per tonne.
		Note :— The above rate of drawback is exclusive of drawback on the packing materials used, if any.	
	1117	Potassium Carbonate.	Rs.827.00 (Rupees eight hundred and twenty seven only) per tonne.
	1118	Potassium permanganate (97-100%)	Rs. 639.00 (Rupees six hundred and thirty nine only) per tonne.
	1119	Vacant.	
	1120	Vacant.	
	1121	Hydrochloric Acid Technical Grade containing not less than 28% HCL.	Rs. 12.25 (Rupees twleve and paise twentyfive only) per tonne.
	1122	Chloride of Lime/Calcium Hyprochlorite/Chlorinated Lime/Stable Bleaching powder.	Rs. 25.70 (Rupees twenty five and paise seventy only) per tonne.
	1123	Organic chemicals, inorganic chemicals and chemical products not elsewhere specified.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.
12		DRUGS AND PHARMACEUTICAL PRODUCTS :	
	1201	Drugs and pharmaceutical products, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from theindividual manufacturer/exporter.
	1202	Vacant.	
	1203	Zinc-oxide Adhesive Plaster B.P.C.	Rs.7.70 (Rupees seven and paise seventy only) per one hundred square metre.
	1204	Drugs, Drug intermediates and pharmaceuticals products (excluding those of Ayurvedic, Homeopathic, Sidha and Unani systems of medicines) the following namely :—	
		(a) Injections, all sorts.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) Liquids and drops.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
		(c) Ointments.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(d) Tablets, granules and capsules.	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.
	1205	Drugs, Drug intermediates and pharmaceuticals, not otherwise specified (excluding those of Ayurvedic, Homeopathic, Sidha and Unani System of medicines)	5% (Five per cent only) If the f.o.b. value.
13		SYNTHETIC ORGANIC DYESTUFFS, DYES INTERMEDIATES AND COLOUR LAKES :	
	1301	Synthetic organic dyestuffs, dyes intermediates and colour lakes, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	1302	Indigo pure.	Rs.6.83 (Rupees six and paise eighty three only) per kg.
	1303	Synthetic organic dyestuffs, dye intermediates and colour lakes, not elsewhere specified.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
14		PIGMENTS, COLOURS, PAINTS, ENAMELS, VARNISHES, LACQUERS, SYNTHETIC POLYESTERS, EPOXY RESINS, PRINTING INKS AND WRITING INKS :	
	1401	Pigments, colours, paints, enamel, varnishes, lacquers, synthetic polyester, epoxy resins, printing inks and writing inks, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	1402	Synthetic Enamel White.	Rs.1.88 (Rupees one and paise eight eighty only) per litre.
	1403	Synthetic Enamel Coloured.	Rs.0.63 (Paise sixty three only) per litre.
	1402	Plastic Emulsion Paints.	Rs.2.62 (Rupees two and paise sixty two only) per litre.
	1405	Genuine Zinc White Paint.	Rs.2018.00 (Rupees two thousand and eighteen only) per tonne.
	1406	Vacant.	
	1407	Vacant.	

1	2	3	4
	1408	Vacant.	
	1409	Vacant.	
	1410	Vacant.	
	1411	Vacant.	
	1412	Vacant.	
	1413	Oil Bound Distemper.	Rs. 0.50 (Paise fifty only) per kg.
	1414	Vacant.	
	1415	(a) Rotogravure Printing Inks.	15% (Fifteen per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) Black Printing Inks.	Rs. 12.00 (Rupees twleve only) per quintal.
		(c) Other Printing Inks not specified above.	Rs. 6.60 (Rupees six and paise sixty only) per quintal.
	1416	Red Lead.	Rs. 2050.00 (Rupees two thousand and fifty only) per tonne
	1417	Vacant.	
	1418	Litharge.	Rs. 2,000.00 (Rupees two thousand only) per tonne.
	1419	Zinc Oxide.	Rs. 3264.00 (Rupees three thousand two hundred and six four only) per tonne.
15		ESSENTIAL OILS, HYDROGENATED CASTOR OIL, PERFUME MATERIALS, AGGARBATIES, TOILETS, POLISHING AND CLEANING PREPARATIONS :	
	1501	Essential oils, Hydrogenated Caster oil, perfume materials, toilet, polishing and cleaning preparations not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	1502	Aggrabatties, dhoops, incense cones and incense cubes excluding chandan dhoop (sandal wood dhoop).	8% (Eight per cent only) of the f.o.b. value.
16		EXPLOSIVE, PYROTECHNIC PRODUCTS (FIRE WORKS) SAFETY MATCHES AND SAFETY FUSES :	
	1601	Explosive, pyrotechnic products (fire works) safety matches and safety fuse, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1602	Matches all sorts.	0.68% (Point sixty eight per cent only) of the f.o.b. value.
17		PHOTOGRAPHIC AND CINEMATOGRAPHIC GOODS :	
	1701	Photographic and cinematographic goods, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
	1702	(i) Cinema films exposed coloured.	Rs.53.20 (Rupees fifty three and paise twenty only) per one hundred linear metres.
		(ii) Cinema films exposed black and white.	Rs.2.10 (Rupees two and paise ten only) per one hundred linear metres.

Note :— The above rates of drawback are exclusive of drawback on packing materials used, if any.

18		INSECTICIDES, PESTICIDES, FUNGICIDES-WEEDICIDES AND FORMULATIONS THERE OF :	
	1801	Insecticides, pesticides, fungicides, weedicides and formulations thereof, not elsewhere specified.	Brand rate no be fixed o an application from individual manufacturer/exporter.
	1802	Insecticides, pesticides, fungicides, weedicides and formulaions thereof, not elsewhere specified.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.
19		SYNTHETIC RESINS (INCLUDING ADHESIVES) PLASTIC RAW MATERIALS AND ARTICLES MADE THEREOF :	
	1901	Synthetic resins (including adhesives), plastic raw materials and articles made thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	1902	Vacant.	
	1903	Vacant.	
	1904	Vacant.	
	1905	Vacant.	

1	2	3	4
	1906	Articles or component parts of any articles made from acrylic moulding powder (excluding rigid plastic boards, sheeting sheets and films, whether laminated or not and the articles made therefrom).	Rs. 520.00 (Rupees five hundred and twenty only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.

Provided that the procedure prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

	1907	Articles or component parts of any articles made from cellulose acetate moulding powder or unlaminated cellulose acetate sheets or rods or tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheetings, sheets and films, whether laminated or not).	
		(a) made of sheets.	Rs. 134.00 (Rupees one hundred and thirty four only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.
		(b) others.	Rs. 960.00 (Rupees nine hundred and sixty only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.

Provided that the procedure prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

	1908	Articles or component parts of any articls made from cellulose acetate butyrate moulding powder or unlaminated cellulose acetate butyrate sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets, and films, whether laminated or not).	Rs. 1359.00 (Rupees one thousand three hundred and fifty-nine only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of cellulose acetate butyrate moulding powder has been released by the S.T.C. to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose acetate butyrate moulding powder has not been–

(a) Similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of cellulose acetate butyrate moulding powder, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

EXPLANATION :— In order to determine whether the importation or release of materials within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S.T.C. shall be taken into account.

Provided futher that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.

	1909	Articles or components parts of any article made from cellulose nitrate sheets, rods or tubes.	Rs. 6245.00 (Rupees six thousand two hundred and forty five only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.

Provided that the exporter produces evidence to the satisfaction, of the Assistant Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 ks. of cellulose nitrate sheets, rods or tubes has been released by the S.T.s to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such, exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of cellulose nitrate sheets, rods, or tubes has not been—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation or articles of cellulose nitrate sheets, rods or tubes; or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

EXPLANATION :— In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S.T.C. shall be taken into account.

1	2	3	4
		Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.	
	1910	Articles or component parts of any articles made from phenol formaldehyde moulding powder or unlaminated phenol formaldehyde sheets/rods/tubes, etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 362.00 (Rupees three hundred and sixty two only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.
		Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of the said articles.	
	1911	Articles or component parts of any article made from polyamide moulding powder or unlaminated polyamide sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and film, whether laminated or not).	Rs. 2660.00 (Rupees two thousand six hundred and sixty only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.
		Provided that the exporter produced evidence to the satisfaction of the Asstt. Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 Kgs. of polyamide M.P. has been released by the S.T.C. to the exporter/manufacturer and used within the period of 12 months immediately preceding the date of such exportation for the manufacture of every quintal of the product exported and that the quantity of polyamide moulding powder has not been (i) similarly correclated to and accounted for against any other previous exportation of the said articles; or (ii) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.	
		EXPLANATION :—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 month immediately preceding the date of exportation the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S.T.C shall be taken into account.	
		Provided further that the procedures prescribed under Rule 56-A, or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.	
	1912	Articles or component parts of any article made from unlaminated acrylic sheets.	The amount of import duty per quintal of acrylic sheet paid in the relevant bill of entry or Rs. 1315/- (Rupees one thousand three hundred and fifteen only) per quintal whichever is less exclusive of drawback on packing materials used, if any.
		Provided that :—	
		(i) Whether the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of acrylic sheets has been imported by the exporter or manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of acrylic sheet has not been—	
		(a) similarly correlated to, and accounted for against any other previous exportation of articles of acrylic sheets; or	
		(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback the rate shall apply in toto.	
		(ii) Whether the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 520.00 (Rupees five hundred and twenty only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.	
		EXPLANATION :—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S.TC. shall be taken into account.	
		Provided further that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of said articles.	
	1913	Articles or component parts of any article made from polystyrene moulding powder or unlaminated polystyrene sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic board, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 408.00 (Rupees four hundred and eight only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.
		Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of said articles.	

1	2	3	4
	1914	Articles or component parts of any article made from polyethylene moulding powder or unlaminated polyethelene sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic board, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 335.00 (Rupees three hundred and thirty five only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used if any.

Provided that the procedures prescribed under rules 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

	1915	Articles or component parts of any article made from urea formaldehyde moulding powder or unlaminated urea formaldehyde sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether laminated or not).	Rs. 399.00 (Rupees three hundred and ninety nine only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.

Provided that the procedures prescribed under rules 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

	1916	Articles or component parts of any article made from polypropylene moulding powder or unlaminated polypropylene sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheetings, sheets and films, whether laminated or not.	Rs. 850.00 (Rupees eight hundred and fifty only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any

Provided that :—

(i) Where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Asstt. Collector of Customs and also produces the certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of polypropylene moulding powder has been released by the S.T.C. to the exporter or the manufacturer and used within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacture of every quintal of product exported and that the quantity of polypropylene moulding powder has not been—

(a) similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of articles of polypropylene moulding powder; or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

the rate shall apply in toto.

(ii) Where the evidence specified above is not produced the rate shall be Rs. 335.00 (Rupees three hundred and thirty five only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.

EXPANATION.—In order to determine whether the importation or release of materials is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the materials in the case of materials imported directly and date of release order in the case of materials released by the S.T.C. shall be taken into account.

Provided further that the procedure prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the ntral Excise Rules 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

	1917	Articles or component parts of any articles made from melamine formaldehyde moulding powder or unlaminated melamine formaldehyde sheets/rods/tubes etc. (excluding rigid plastic boards, sheetings, sheets or films, whether laminated or not).	Rs. 1096.00 (Rupees one thousand and ninety six only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used if any.

Provided that the procedures prescribed under rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

	1918	Articles or component parts of any article made from polyvinyl chloride composition including articles made from unlaminated rigid and flexible polyvinyl chloride boards/sheetings/sheets/films lay flat tubing etc. (excluding rigid plastic boards, sheetings, sheets and films whether laminated or not and flexible polyvinyl chloride sheetings, sheets, films and lay-flat tubings whether containing any textile material or not.	
		(a) Flexible.	Rs. 154.00 (Rupees one hundred and fifty four only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.

1	2	3	4
		(b) Rigid PVC pipes/conduits and accessories of pipes (Rigid).	Rs. 248.00 (Rupees two hundred and forty eight only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.
		(c) Rigid other than pipes.	Rs. 217.00 (Rupees two hundred and seventeen only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.
		(d) Flexible unsupported sheets.	Rs. 9.70 (Rupees nine and paise seventy only) per quintal exclusive of drawback on packing materials used, if any.

Provided that the procedures prescribed under Rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in respect of the said articles.

	1919	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting, seeets, or films made from acrylic plastics.	Rs. 520.00 (Rupees five hundred and twenty only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.
	1920	Unlaminated rigid plastic boards, sheeting, sheets, or films, made from cellulose acetate moulding powder.	Rs. 134.00 (Rupees one hundred and thirty four only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.
	1921	Flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets, films and lay flat tubings not containing any textile materials.	Rs. 9.70 (Rupees nine and paise seventy only) per quintal, exclusive of drawback on packing materials used, if any.
	1922	Vacant.	
	1923	Vacant.	
	1924	Plastic bangles, all sorts, made only from one or more of the following plastic materials, namely, cellulose acetate moulding powder, cellulose nitrate sheets, cellulose acetate butyrate moulding powder, polystyrene moulding powder, polyamide moulding powder and acrylic moulding powder or sheets, with or without decoration with metal foils or wires, lacquers etc.	
		(i) Where plastic maerials used include Polystyrene moulding power, sheet etc.	Rs. 408.00 (Rupees four hundred and eight only) per quintal of bangles.
		(ii) Where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder but include Arcylic moulding powder.	Rs. 520.00 (Rupees five hundred and twenty only) per quintal of bangles.
		(iii) Where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder and/or acrylic moulding powder, sheets etc. but include cellulose acetate moulding powder.	Rs. 960.00 (Rupees nine hundred and sixty only) per quintal of bangles.
		(iv) Where plastic materials used do not include polystyrene moulding powder acrylic moulding powder or sheets etc. and cellulose acetate moulding powder but include cellulose acetate butyrate moulding powder.	Rs. 1359.00 (Rupees one thousand three hundred and fifty nine only) per quintal of bangles.
		(v) Where the plastic materials used is only cellulose nitrate sheets.	Rs. 6245.00 (Rupees six thousand two hundred and forty five only) per quintal of bangles.
		(vi) Where plastic matrials used do not include. polystyrene moulding powder or sheets, acrylic moulding powder or sheets, cellulose acetate moulding powder or sheets, or cellulose acetate butyrate moulding powder but include polyamide moulding powder.	Rs. 2660.00 (Rupees two thousand six hundred and sixty only) per quintal of bangles.

Provided that the drawback at the rates indicated against item (iv) to (vi) above shall apply if the exporter produce evidence to the satisfaction of the Asstt. Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 kgs. of cellulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, or polyamide moulding powder as the case may be, has been released by the S.T.C. to the exporter or the manufacturer and used within a

1	2	3	4

period of 12 months immediately preceding the date of such exportation, for the manufacturer of every quintal of pro duct exported and that the quantity of ceclulose acetate butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, or polya mide moulding powder as the case may be has not been—

(a) similarly correlated to, and accounted for against any other previous exportation of article of cellulose aceta butyrate moulding powder or cellulose nitrate sheets, or polyamide moulding powder as the case may be, or

(b) previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

Explanation :—In order to determine whether the importation or release of material is within the period of 12 months immediately preceding the date of exportation, the date of importation of the material in the case of materials imported directly and the date of release order in the case of materials released by the S.T.C shall be taken into account.

Provided further that the procedures prescribed under rules 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules 1944 are not followed by the manufacturer/exporter in the manufacture of plastic bangles.

Note :—The above rates of drawback are exclusive of drawback on packing materials used, if any.

1925	Spectacle frames/spectacles and sun goggles with cellulose nitrate sheet front and cellulose nitrate sheets sides, with or without lenses/glare glasses and whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields joints, wire in sides, nose pads, tips.	Rs. 36.00 (Rupees thirty six only) per dozen.
1926	Vacant.	
1927	Spectacle frames/spectacles and sun goggles made from cellulose acetate plastic in any form with or without lenses/glare glasses whether or not fitted with any of the following materials, namely, hinges, rivets, shields joints, wires in sides rolled gold/gold filled/gold plated wire and/or components, aluminium anodised sides, nose pads tips etc.	Rs. 4.50 (Rupees four and paise fifty only) per dozen.

Provided that it is proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the spectacles/spectacle frames exported are genuine spectacle frames, sepctacles or goggles of gents and ladies sizes.

1928	Sides of spectacle frames, spectacles and sun goggles made from cellulose nitrate sheets with or without joints.	Rs. 22.00 (Rupees twenty two only) per dozen pairs.
1929	All other plastic spectacle frames/spectacles/goggles not elsewhere specified.	Rs. 2.15 (Rupees two and paise fifteen only) per kg.
20.	SYNTHETIC RUBBER, RECLAIMED RUBBER AND ARTICLES OF RUBBER :	
2001	Synthetic rubber, reclaimed rubber and articles of rubber not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from individual manufacturer/exporter.
2002	Tyres and tubes of the following types including thread rubber and flaps—	
	(1) Rayon tyres from size with sectional width of 2.50 upto and including 6.70.	Rs. 1.00 (Rupee one only) per kg.
	(2) Rayon tyre from sizes with sectional width of 7.00 upto and including 14.00.	Rs. 1.20 (Rupee one and paise twenty only) per kg.
	(3) Butyl tubes excluding tubes manufactured from natural raw rubber or indigenous synthetic rubber or cycle tubes.	Rs. 2.45 (Rupees two and paise forty five only) per kg.
	(4) Flaps (All sizes).	Rs. 0.22 (Paise twenty two only) per kg.
	(5) Thread rubber (all sizes).	Rs. 0.35 (Paise thirty five only) per kg.
2003	Bicycle tyres and tubes—	
	(1) Bicycle tyres.	3.5% (Three point five per cent only) of the f.o.b. vaule.
	(2) Bicycle tubes fitted with valves.	2% (Two per cent only of the f.o.b. value.
2004	Articles made of rubber not other wise specified excluding rubber bladder and tyres and tubes.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
2005	Rubber transmission belting.	8% (Eight per cent only) of the f.o.b. value.

1	2	3	4
21.		HIDES, SKINS, LEATHER, ARTICLES OF LEATHER OR ARTIFICIAL LEATHER, OTHER GOODS AND TRAVEL GOODS :	
	2101	Hides, skins, leather, articles of leather or artificial leather, other leather goods and travel goods not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2102	(a) E.I. Tanned hides and calf skins, namely cow hides, buffalo hides, kips, cow calf and buffalo calf.	Rs. 1.30 (Rupee one and paise thirty only) per kg.
		(b) E.I. Tanned skins, namely goat skins and sheep skins.	Rs. 1.30 (Rupee one and paise thirty only) per kg.
		(c) E.I. Tanned snake and reptile skins.	Rs. 1.20 (Rupee one and paise twenty only) per kg.
	2103	Tanned hides and skins chrome tanned (chrome tanned blue hides and skins) other than chrome crust leather and reptile skins.	0.7% (Point seven per cent only) of the f.o.b. value.
	2104	Tanned hides and skins, chrome tanned chrome crust leather other than reptile skin.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
	2105	All types of finished leather, leather belting, picking bands, buffers, sheep/calf roller kins and leather aprons, other than reptile skins and reptile leather.	3.6% (Three point six per cent only) of the f.o.b. value.
	2106	Light categories of travel and other leather goods like attache cases, brief cases, ladies hand bags, walets, leather apparel, purses etc. excluding those made of reptile skins, fur skins and hair on skins—	
		(a) Bridles with brass fittings like rings, buckles etc.	3.4% (Three point four per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) All others, including leather bags embroidered or otherwise, with or without handle.	2.25% (Two point twenty five per cent only) of the f.o.b. value.
	2107	Heavy leather goods like saddlery items, leather trunks, leather suit cases.	5.3% (Five point three per cent only) of the f.o.b. value.
	2108	Industrial leather gloves—	
		(a) made of all leather.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) with cloth backing and cotton cuffs.	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.
		Note : The rates of drawback prescribed against sub-serial No. 2103 to 2108 are valid till 31-8-1978.	
22.		VENERS, PLYWOOD, IMPROVED OR RECONSTITUTED WOOD, PRODUCTS MADE THEREOF :	
	2201	Veners, plywood, improved or reconstituted wood, product made thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2202	Vacant.	
	2203	(A) Empty tea chests made of plywood panels and intended for use as packing materials for Tea, and fittings thereof.	(i) Re. 185.40 (Rupees one hundrd eighty five and paise forty only) per one hundrd square metres of the surface area of such tea chests. Plus (ii) Rs. 0.97 (Paise ninety seven only) per kg. of metal fittings of tin plate, if any. Plus (iii) Rs. 0.35 (Paise thirty five only) per kg. of wire nails, tenter hooks and rivets, used, if any. Plus (iv) Rs. 3.00 (Rupees three only) per kg. of tissue paper for wrapping battens or for lining aluminium foil, used, if any. Plus (v) Rs. 9.65 (Rupees nine and paise sixty five only) per kg. of aluminium Foil, used, if any.
		(B) Plywood panels for tea chests when cut to size in panels or shooks and exported as such.	Rs. 54 70 (Rupees fifty four and paise seventy only) per one hundred square metres.

1	2	3	4
	2204	Plywood, all sorts not elsewhere specified, including Flushdoors and Block Boards.	Rs. 25.45 (Rupees twenty five and paise forty five only) per glue line per one hundred square metres.
	2205	Plywood cases other than tea chests —	
		(i) Panels of surface area of 5625 square cms. or less each	Rs. 130.70 (Rupees one hundred thirty and paise seventy only) per 100 square metres of such panels.
		(ii) Panels of surface area exceeding 5625 square cms each.	Rs. 225.20 (Rupees two hundred twenty five and paise twenty only) per 100 square metres of such panels.
		EXPLANATION :— (i) The rate under sub-serial No. 2205 is for 4mm thickness of plywood panels. The rate shall be proportionately enhanced or reduced for other thicknesses.	
		(ii) The drawback rate per 100 square metres of glue line prescribed in sub-serial No. 2204 shall be allowed in addition to the rates prescribed under sub-serial No. 2205.	
23		*Cork Manufactures including crowncorks* :	
	2301	Cork manufactures including corwn corks not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2302	Cork stoppers. ,	Rs. 91.00 (Rupees ninety one only) per quintal.
	2303	Cork Discs.	Rs. 107.00 (Rupees one hundred and seven only) per quintal.
		NOTE :— The rates of drawback at sub-serial No. 2302 and 2303 are exclusive of drawback on packing materials used, if any.	
24		*Paper pulp, Paper, Paper Boards, Fibre Boards, other boards of Wood Pulp or vegetable Fibre, articles made thereof, printed matter, books, Magazines.*	
	2401	Paper pulp, paper, paper board, fibre board, other board of wood pulp or vegetable fibre, articles, made thereof, printed matter, books, magazines not elsewhre specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2402	Playing cards made out of pulp board.	Rs. 1.18 (Rupees one and paise eighteen only) per kg.
	2403	Carbon paper made out of tissue paper of 20/21 GSM.	Rs. 5.20 (Rupees five and paise twenty only) per one thousands foolscap sheets, exclusive of drawback on packing material used, if any.
		NOTE :— (1) The term foolscap refer to size $8\frac{1}{2}'' \times 13''$.	
		(2) The rate of drawback on carbon pape of sizes other than foolscap shall be proportionately higher or less than the rate indicated above according to the area of such paper is higher or lower than the foolscap size.	
	2404	Vacant.	
	2405	Vacant.	
	2406	vacant.	
	2407	Articles not elsewhere specified made of blotting paper.	Rs. 1.16 (Rupee one and paise sixteen only) per kg.
	2808	New papers.	NIL
	2409	Articles not elsewhere specified made of —	
		(i) Printing and writing paper of substance exceeding 65 grammes per square metre.	Rs. 1.15 (Rupee one and paise fifteen only) per kg.
		(ii) Printing and writing paper of substance not exceeding 65 grammes per square metre.	Rs. 0.55 (Paise fifty five only) per kg.
	2410	Articles not elsewhere specified made of packing and wrapping paper.	Rs. 0.70 (Paise seventy only) per kg.
	2411	Articles not elsewhere specified made of pulp board, grey board, duplex board and triplex board.	Rs. 1.18 (Rupee one and paise eighteen only) per kg.
	2412	Vacant.	
	2413	Articles not elsewhere specified, made of straw board and mill board.	Rs. 0.32 (Paise thirty two only) per kg.
	2414	Article not elsewhere specified made of corrugated board	Rs. 1.28 (Rupee one and paise twenty eight only) per kg.

1	2	3	4
	2415	Vacant.	
	2416	Flat files fitted with clips.	As per rate specified against sub-serial Nos. 2411 on pulp board and 3618 on tin plate content.
	2417	Paper cones —	
		(a) made of packing wrapping paper.	Rs. 87.90 (Rupees eighty seven and paise ninety only) per quintal.
		(b) made of duplex, triplex, grey and pulp board.	Rs. 147.40 (Rupees one hundred forty seven and paise forty only) per quintal.
	2418	Paper cones made of straw board and/or mill board.	Rs. 40.00 (Rupees forty only) per quintal.
	2419	(1) Books with paper covers—	
		(a) Where the printing paper used is of a substance exceeding 65 gms. per Sq. mts.	Rs. 1.15 (Rupees one and paise fifteen only) per kg.
		(b) Where the printng paper used is of a substance not exceeding 65 grammes per square metre.	Rs. 0.55 (Paise fifty five only) per kg.
		(2) Books with hard board covers —	
		(a) Where the printing paper used is of a substance exceeding 65 gms. per Square Metre.	Rs. 0.90 (Paise ninety only) per kg.
		(b) Where the printing paper used is of a substance not exceeding 65 grammes per square metres.	Rs. 0.48 (Paise forty eight only) per kg.
	2420	Periodicals in bound or flat folded sheets, other than news papers.	Rs. 0.80 (Paise eighty only) per kg.
	2421	Articles not elsewhere specifed, made of polythene coated paper.	Appropriate rate specified against sub-serial Nos. 2407 to 2411 and 2413 to 2414 above on paper content plus appropriate rate specified against sub-serial No. 1914 on polythene content.
	2422	Vacant.	
	2423	Articles not elsewhere specified/made of combination of the articles specified at sub-serial Nos. 2407 to 2411 2413 to 2414, 2416 to 2418 and 2421 to 2422 or of paper/paper board mentioned in these sub-serial numbers.	Appropriate rates specified against the relevant sub-serial numbers in respect of each type of paper/paper board content.
	2424	Paper or paper board used as packing materials.	At the appropriate rate specified against sub-serial Nos. 2407 to 2411 and 2413.
	2425	Paper tubes, all sorts including resin impregnated paper tubes, with or without tin shields—	
		(i) made from packing and wrapping paper.	At the appropriate rate specified against sub-serial No. 2410.
		(ii) made from mill board and straw board.	At the appropriate rate specified against sub-serial No. 2413.
		(iii) made from grey board, duplex board, triplex board and pulp board.	At the appropriate rate specified against sub-serial No. 2411.
25		*Synthetic and regenerated fibre nad textile yarn, other than Jute yarn (including bimlipatam jute or mesta fibre), thread, other than jute thread, twines other than jute twines cords and ropes other than jute cords and ropes.*	
	2501	Synthetic and regenerated fibre and textile yarn other than jute yarn (including Bimlipatam jute or Mesta fibre), thread other than jute thread, twines, other than jute twine, cords and ropes other than jute cords and ropes, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2502	(A) Yarn of above 21 BWS counts or above 17 english counts, spun wholly out of either viscose fibre or acetate fibre or polyester fibre or polyamide fibre or acrylic fibre or wool, or from a combination of two and not more than two of the above mentioned fibres, or a combination of any one of the above mentioned fibres with either cotton or silk (but excluding yarn spun out of fibres	

1	2	3	4
		obtained from fibre wastes, yarn waste or fabric wastes, by garnetting or by any other process) —	
		(a) Cellulosic/fibre content———	
		(i) Acetate fibre content.	Rs. 1.88 (Rupee one and paise eighty eight only) per kg.
		(ii) Viscose fibre content.	Rs. 0.83 (Paise eighty three only) per kg.
		(b) Polyester fibre content.	Rs. 40.25 (Rupees forty and paise twenty five only) per kg.
		(c) Acrylic fibre content.	Rs. 49.45 (Rupees forty nine and paise forty five only) per kg.
		(d) Polyamide fibre content.	Rs. 40.10 (Rupees forty and paise ten only) per kg.
		(e) Wool Content —	
		(i) in the worsted yarn of weaving quality made from wool top.	Rs. 34.60 (Rupees thirty four and paise sixty only) per kg.
		(ii) in the worsted yarn of weaving quality not made from wool top.	Rs. 29.10 (Rupees twenty nine and paise ten only) per kg.
		(iii) in the worsted yarn of hosiery quality made from wool top excluding hand knitting yarn.	Rs. 31.30 (Rupees thirty one and paise thirty only) per kg.
		(iv) in the worsted yarn of hosiery quality not made from wool top excluding hand knitting yarn.	Rs. 25.80 (Rupees twenty five and paise eight only) per kg.
		(f) Dye content if the yarn is dyed.	Re. 0.85 (Paise eighty five only) per kg.
		Provided that no rebate of the duty paid on fibres has been obtained under the Cerntral Excise Rules, 1944.	
		(B) Vacant.	
		(C) Worsted woollen yarn containing more than 50% by weight of wool calculated on the total fibre content, (excluding all wool worsted hand knitting yarn) of 21 BWS or less county —	
		(i) Wool content —	
		(a) made from wool top.	Rs. 5.50 (Rupees five and paise fifty only) per kg. on wool content only.
		(b) not made from wool top	NIL
		(ii) Dye content if the yarn is dyed.	Re. 0.85 (Paise eighty five only) per kg. of yarn.
		Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shi pment declares, and if necessary produces proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the yarn is worsted yarn.	
		(D) Dyed yarn spun out of fibres containing synthetic fibres and/or wool and obtained from fibre wastes, yarn wastes, or fabric wastes by garnetting or by any other process.	Re. 0.85 (Paise eighty five only) per kg. of the yarn.
2503		Thread, twine, cord and rope made out of spun yarn containing cotton, silk, wool and man made fibres but not containing jute —	
		(A) Yarn content —	
		(I) Yarn in which man made fibre of cellulosic origin predominates in weight —	
		(i) Not containing, or containing not more than one-sixth by weight of non-cellulosic fibre calculated on the total fibre content —	
		(a) of count upto 20	NIL
		(b) of counts exceeding 20 but not exceeding 25.	Paise 1.57 (Paise one point fifty seven only) per count per kg. LESS Paise 31.5 (Paise thirty one point five only) per kg.
		(c) of counts exceeding 25 but not exceeding 35	Paise 10.5 (Paise ten point five only) per kg. plus paise 4.2 (Paise four point two only) per count per kg. exceeding 25 counts.

1	2	3	4
		(d) of counts exceeding 35 but not exceeding 45	Paise 52.5 (Paise fifty two point five only) per kg. plus Paise 8.4 (Paise eight point four only) per count per kg. exceeding 35 ounts.
		(e) of counts exceeding 54 but not exceeding 55	Paise 136.5 (Paise one hundred thirty six point five only) per kg. plus Paise 14.7 (Paise fourteen point seven only) per count per kg. exceeding 45 counts.
		(f) of counts exceeding 55	Paise 5.7 (Paise five point seven only) per count per kg. LESS Paise 31.5 (Paise thirty one point five only) per kg.
		Note:—In computing the drawback amount an addition of 4.6% shall be made to the amount arrived at the rates mentioned above.	
		(ii) Containing more than one-sixth by weight of non cellulosic fibre calculated on the total fibre content.	Rs. 19.75 (Rupees nineteen and paise seventy five only) per kg.
		II. Yarn in which cotton predominates in weight —	
		(i) not containing or containing not more than one-sixth by weight of non-cellulosic fibre calculated on the total fibre content —	
		(a) of count upto 20.	NIL
		(b) of counts exceeding 20 but not exceeding 25.	Paise 1.57 (Paise one point fifty seven only) per count per kg. LESS Paise 31.5 (Paise thirty one point five only) per kg.
		(c) of counts exceeding 25 but not exceeding 35.	Paise 10.5 (Paise ten point five only) per kg. plus paise 4.2 (Paise four point two only) per count per kg. exceeding 25 counts.
		(d) of counts exceeding 35 but not exceeding 45.	Paise 52.5 (Paise fifty two point five only) per kg. plus Paise 8.4 (Paise eight point four only) per count per kg. exceding 35 counts.
		(e) of counts exceeding 45 but not exceeding 55.	Paise 136.5 (Paise one hundred thirty six point five only) per kg. pluse Paise 14.7 (Paise fourteen point seven only) per count per kg. exceeding 45 counts.
		(f) of counts exceeding 55.	Paise 5.7 (Paise five point seven only) per count per kg. LESS Paise 31.5 (Paise thirty one point five only) per kg.
		Note.—In computing the drawback amount an addition of 4.6% shall be made to the amount arrived at the rates mentioned above.	
		(ii) Containing more than one-sixth by weight of non-cellulosic fibre calculated on the total fibre content.	Rs. 19.75 (Rupees nineteen and paise seventy five only) per kg.
		III. Yarn in which wool or acrylic fibre or both together predominates or predominate in weight —	
		(i) not containing or containing not more than one-sixth by weight of non-cellulosic fibre (other than acrylic fibre) calculated on the total fibre content.	Nil
		(ii) containing more than one-sixth by weight of non-cellulosic fibre (other than acrylic fibre) calculated on the total fibre content.	Rs. 19.75 (Rupees nineteen and paise seventy five only) per kg.
		IV. Spun (discontinuous) yarn in which man made fibre of non-cellulosic origin, other than acrylic fibre predominates in weight.	Rs. 26.35 (Rupees twenty six and paise thirty five only) per kg.

Provided that :—

(i) the drawback on account of yarn content specified at (A) above may be admissible if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that yarn used is duty paid and specifies the sub-serial No., item and sub-item under which the drawback is claimed, giving the fibre compositions in the yarn, and if the Asstt. Collector of Cutoms is satisfied that the yarn falls under the sub-serial No., item and sub-item. Otherwise, the drawback at other appropriate rate, decided on the basis of evidence available may be granted.

(ii) where two or more of the following fibres that is to say (a) man made fibre of cellulosic origin (b) cotton (c) wool or acrylic fibre, or both (d) silk (e) man made fibre of non-cellulosic orgin other than acrylic fibre, in any

1	2	3	4
		yarn are equal in weight than, such one of those fibres, the predominance of which would render such yarn fall under that sub-item or item (hereinafter referred to as the applicable sub-item or item), among the sub-items and items Nos. 18 III, 18A, 18B, 18C, 18E, which read with the relevant notification for the time being in force issued under the Central Excise Rules, 1944, involves the highest amount of duty, shall be deemed to be predominant in such yarn and accordingly such yarn shall be deemed to fall under the applicable sub-item or item, as the case may be. The drawback on such yarn will also be governed by the same consideration.	
		(iii) in respect of cotton thread or twist, no drawback on account of cotton yarn content under item 2503 (A)(II), shall be admissible.	
		(iv) the term "Count" wherever, it occurs under the sub-serial No. 2503 (A) refers to "English Count".	
	(B)	Dyes content of goods made out of yarns specified at sub-item (A) above if they contain an aggregate of 50% or more of wool and/or synthetic man made fibre and where the goods are yarn dyed or piece dyed.	Rs. 0.90 (Paise ninety only) per kg. of the spun yarn content of the goods.
	(C)	(i) Fibre content in goods made out of yarns of above 21 BWS counts/above 17 English count.	
		(a) Polyester fibre.	Rs. 41.95 (Rupees forty one and paise ninety five only) per kg.
		(b) Polyamide fibre	Rs. 41.85 (Rupees forty one and paise eighty five only) per kg.
		(c) Cellulosic fibre —	
		(i) Acetate fibre.	Rs. 1.96 (Rupee one and paise ninety six only) per kg.
		(ii) Viscoes fibre.	Rs. 0.87 (Paise eighty seven only) per kg.
		(d) Acrylic fibre.	Rs. 51.55 (Rupees fifty one and paise fifty five only) per kg
		(e) Wool content —	
		(i) in worsted yarn of weaving quality made from wool top.	Rs. 36.10 (Rupees thirty six and paise ten only) per kg.
		(ii) in worsted yarn weaving quality not made from wool top.	Rs. 30.40 (Rupees thirty and piase forty only) per kg.
		(f) Wool content —	
		(i) in worsted yarn of hosiery quality excluding hand knitting yarn or knitting wool, made from wool top.	Rs. 32.60 (Rupees thirty two and paise sixty only) per kg.
		(ii) in the worsted yarn of hosiery quality excluding hand knitting yarn or knitting wool not made from wool top.	Rs. 26.90 (Rupees twenty six and paise ninety only) per kg.

Provided that the drawback at the above rates on account of synthetic fibre content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that —

(a) the yarn used under item (e) and (f) above is worsted.

(b) no rebate of duty paid on fibres has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(ii) (a)	Wool Content in goods made out of worsted yarn containing more than 50% by weight of wool calculated on the total fibre content (excluding hand knitting yarn) of 21 BWS or less counts made from wool top.	Rs. 5.70 (Rupees five and paise seventy only) per kg.
(b)	Wool content in goods made out of worsted yarn containing more than 50% by weight of wool calculated on the total fibre content (excluding hand knitting yarn) of 21 BWS or less counts not made from wool top.	Nil

Provided that the drawback at the above rate in respect of wool content may be admissible if the manufacturer/exporter at the time of shipments declares and if necessary, produces proof to the satisfaction of the Asstt. Collector of Customs that the yarn is worsted yarn.

1	2	3	4
	2504	Vacant.	
	2505	Vacant.	
	2506	Vacant.	
	2507	Vacant.	
	2508	Ropes, lines cordages, twines and slings made wholly or partly from sisal fibre and/or manila hemp fibre.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2509	(a) Viscose filament yarn.	Rs. 0.80 (Paise eighty only) per kg.
		(b) Viscose tyre yarn.	Rs. 2.75 (Rupse two and paise seventy five only) per kg.
		Provided that the above rates of drawback may also apply to exports of fabrics made out of above filament yarn and exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules, 1944, without payment of excise duty on such filament yarn.	
	2510	(a) Viscose tyre cord/twine.	Rs. 2.75 (Rupees two and paise seventy five only) per kg.
		(b) Viscose tyre cord/twine.	Rs. 5.35 (Rupees five and paise thirty five only) per bg.
		EXPLANATION:-- (1) The rate at (a) above shall be applicable to the export of viscose tyre cord/twine when exported under bond under rule 13 or rule 14 of the Central Excise Rules, 1944.	
		(2) The rate at (b) above shall apply only if the Central Excise duty on yarn has been paid at the appropriate rate and no rebate of the said duty has been obtained under Central Excise Rules, 1944.	
	2511	Polyamide Filament yarn—	
		(a) not baove 225 deniers.	Rs. 1.80 (Rupee one and paise eighty only) per kg.
		(b) above 225 deniers.	Rs. 6.80 (Rupees six and paise eighty only) per kg.
		Provided that the rate of drawback mentioned above may also apply to exports of fabric made out of above filament yarns and exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules, 1944 without payment of excise duty on such filament yarn.	
	2512	Vacant.	
	2513	(1) Thread, twines, cords (excluding parachute cords and viscose tyre cord/twine) and ropes made wholly out of synthetic man made filament yarn—	
		(A) Polyester filament yarn content—	
		(i) below 30 deniers.	Rs. 84.00 (Rupees eighty four only) per kg.
		(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers.	Rs. 95.55 (Rupees ninety five and paise fifty five only) per kg.
		(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 68.80 (Rupees sixty eight and paise eighty only) per kg.
		(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers.	Rs. 59.60 (Rupees fifty nine and paise sixty only) per kg.
		(v) Above 750 deniers.	Rs. 16.35 (Rupees sixteen and paise thiry five only) per kg.
		(B) Polyamide filament yarn content—	
		(i) Below 35 deniers.	Rs. 66.00 (Rupees sixty six only) per kg.
		(ii) 35 deniers and above but less than 80 deniers.	Rs. 58.40 (Rupees fifty eight and paise forty only) per kg.
		(iii) 80 deniers and above but less than 110 deniers.	Rs. 50.80 (Rupees fifty and paise eighty only) per kg.
		(iv) 110 deniers and above but less than 150 deniers.	Rs. 43.15 (Rupees forty three and paise fifteen only) per kg.
		(v) 150 deniers and above but not above 225 deniers.	Rs. 23.25 (Rupees twenty three and paise twenty five only) per kg.
		(vi) Above 225 deniers but not above 750 deniers.	Rs. 28.45 (Rupees twenty eight and paise forty five only) per kg.
		(vii) Above 750 deniers.	Rs. 13.85 (Rupees thirteen and paise eighty five only) per kg.
		(C) Viscose filament yarn content—	
		(i) below 75 deniers.	Rs. 19.50 (Rupees nineteen and paise fifty only) per kg.

1	2	3	4
		(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 12.90 (Rupees twelve and paise ninety only) per kg.
		(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers.	Rs. 9.50 (Rupees nine and paise fifty only) per kg.
		(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers.	Rs. 8.00 (Rupees eight only) per kg.
		(v) 150 deniers and above but below 350 deniers.	Rs.7.00 (Rupees seven only) per kg.
		(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers.	Rs. 4.95 (Rupees four and paise ninety five only) per kg.
		(vii) Above 1100 deniers.	Rs. 3.55 (Rupees three and paise fifty only) per kg.
		(D) Acetate filament yarn content—	
		(i) below 75 deniers.	Rs. 13.60 (Rupees thirtteen and paise sixty only) per kg.
		(ii) 75 deniers and above but below 100 deneirs	Rs. 10.20 (Rupees ten and paise twenty only) per kg
		(ii) 100 deniers and above but below 120 deniers.	Rs. 7.60 (Rupees seven and paise sixty only) per kg.
		(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers.	Rs. 5.24 (Rupees five and paise twenty four only) per kg.
		(v) 150 deniers and above but below 350 deniers.	Rs. 4.85 (Rupees four and paise eighty five only) per kg.
		(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers.	Rs. 3.95 (Rupees three and paise ninety five only) per kg.
		(vii) above 1100 deniers.	Rs 2.75 (Rupees two and paise seventy five only) per kg.
		(2) Textured yarn content.	The rate of filament yarn as specified under sub-serial No. 2513(1)(A) to (D) above as the case may be plus Rs. 5.25 (Rupees five and paise twnety five only) per kg.
		(3) Dyed content of goods made out of filament yarn specified at 2513(1) of the filament yarn content in the goods and where the goods are yarn dyed/piece dyed.	Rs. 0.90 (Paise ninety only) per kg of the filament yarn content.

Provided that—

(1) the rates specified against (A) and (B) above in relation to yarn content may apply only if the Central Excise duty at the appropriate rate on the yarn has been paid and no rebate of said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

(2) (i) the drawback at the above rates in respect of filament yarn content in respect of (A) and (B) above may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the benefit of duty exemption on imports of yarn in terms of Department of Revenue and Banking, Customs Notification No. 123 and 128 dated 1-7-1977 read with Notification No. 159-Cus dated 15-7-1977 has not been availed of in respect of yarn content of the export goods.

(ii) where the declaration specified at (i) has not been made the rate mentioned against sub-serial No. 2619 shall apply subject to the conditions mentioned therein.

Provided further that the rates specified above in respect of item (C) and (D) in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

26	*Textile Fabrics other than Jute fabrics (including Bimlipatam jute or Mesta fibre), and Hosiery.*	
2601	Textile fabrics other than jute fabrics (including Bimlipatam jute or Mesta fibre) and hosiery, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
2602	Vacant.	
2603	Vacant.	
2604	Vacant.	
2605	Vacant.	
2606	Fabrics and hosiery made wholly out of spun yarns containing cotton, silk wool and man made fibres but not containing jute.	Rates of yarn contents, dye content, and fibre content as specified against sub-serial No. 2503 subject to the conditions mentioned therein.

1	2	3	4
		Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of fabrics using yarns specified at sub-serial No. 2503(A)(I)(i) and sub-serial No. 2503 (A)(II)(i).	
2607	Vacant		
2608	Vacant		
2609	Vacant		
2610	Vacant		
2611	Vacant		
2612	Vacant		
2613	Vacant		
2614	Vacant		
2615	Vacant		
2616	Vacant		
2617	Vacant		
2618	Vacant		
2619	(A) (i) Fabrics including machine embroidered fabrics (other than hand embroidered or hand operated machine embroidered fabrics) and hosiery, made wholly out of polyester filament yarn—		
		(1) Below 30 deniers.	Rs. 84.00 (Rupees eighty four only) per kg.
		(2) 30 deniers and above but below 75 deniers.	Rs. 76.40 (Rupees seventy six and paise forty only) per kg.
		(3) 75 deniers and above but below 100 deniers.	Rs. 68.80 (Rupees sixty eight and paise eighty only) per kg.
		(4) 100 deniers and above but not above 750 deniers.	Rs. 53.50 (Rupees fifty three and paise fifty only) per kg.
		(5) Above 750 deniers.	Rs. 16.35 (Rupees sixteen and paise thirty five only) per kg.
	(ii) Fabrics including machine embroidered fabrics (other than hand embroidered or hand operated machine embroidered fabrics) quilted fabrics, quilted blankets and hosiery made wholly out of nylon filament yarn—		
		(1) Below 35 deniers.	Rs. 64.20 (Rupees sixty four and paise twenty only) per kg.
		(2) 35 deniers and above but less than 80 deniers.	Rs. 56.56 (Rupees fifty six and paise fifty six only) per kg.
		(3) 80 deniers and above but less than 110 deniers.	Rs. 48.90 (Rupees forty eight and paise ninety only) per kg.
		(4) 110 deniers and above but less than 150 deniers.	Rs. 41.25 (Rupees forty one and paise twenty five only) per kg.
		(5) 150 deniers and above but not above 750 deniers.	Rs. 21.40 (Rupees twenty one and paise forty only) per kg.
		(6) Above 750 deniers.	Rs. 6.80 (Rupees six and paise eighty only) per kg.
	(iii) Fabrics including machine embroidered fabrics (other than hand embroidered or hand operated machine embroidered fabrics) and hosiery made of mixed yarn of nylon filament and polyester filament.		Rates of yarn content as specified at sub-serial No. 2619(A)(i) to (ii) as the case may be.
	(B) Textured yarn content in the goods specified at sub-serial No. 2619(A((i) to (iii) above.		The rate of filament yarn content as specified at sub-serial No. 2619(A)(i) to (iii) above, as the case may be, plus Rs.5.25 (Rupees five and paise twenty five only) per kg.

Provided that the rates specified against items (A) and (B) above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropraite rates and no rebate of said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.

1	2	3	4
	2620	Fabrics and hosiery made wholly out of Synthetic man made filament yarn and/or textured yarn, other than those covered by sub-serial No. 2619. Provided that :— (1) the rate specified above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944. (2) the drawback at the above rates in respect of filament yarn content would be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the benefits of duty exemption on imports of yarn in terms of Department of Revenue and Banking, Customs Notification No. 123 & 128 dated 1-7-1977 read with Notification No. 159-Cus. dated 15-7-1977 has not been availed of in respect of yarn contents of the export goods	Rate of yarn content and dyes content specified at sub-serial No. 2513.
	2621	(a) Viscose tyre cord fabric/warp sheet. (b) Viscose tyre cord fabric/warp sheet. EXPLANATION (i) The rate at (a) above shall also be applicable to exports of viscose tyre cord/warp sheet when exported under bond under rule 13 or 14 of the Central Excise Rules, 1944. (ii) The rate at (b) above shall apply only if the Central Excise duty on yarn has been paid at the appropriate rate and no rebate has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.	Rs. 2.75 (Rupees two and paise seventy five only) per kg. Rs. 5.35 (Rupees five and paise thirty five only) per kg.
	2622	Vacant.	
	2623	Cotton and loom fabrics namely the following :—	
		(i) Real Madras handkerchief with art silk embellishment.	Rs. 1.40 (Rupee one and paise forty only) per kg.
		(ii) Handloom lungies including handloom lungies containing Radiant yarn.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
		(iii) All other handloom fabric which are either piece dyed and/or made from coloured yarns and/or printed but excluding such fabrics which contain coloured yarns only in border and not in the body of the fabrics and/or which are only printed in borders and not in the body of the fabrics).	Rs. 0.80 (Paise eighty only) per kg.
	2624	Vacant.	
	2625	Textile fabrics coated or laminated with preparation of polyvinyl chloride compound.	
		(1) where the base fabric is cotton fabric (excluding powerloom and handloom fabrics)—	
		(a) where proof of payment of duty on fabric used in the manufacture of P.V.C. cloth is produced.	Rs. 1.40 (Rupee one and paise forty only) per kg. of polyvinyl chloride compound content, plus the actual amount of Central Excise duty paid on cotton fabrics used in the P.V.C. cloth.
		(b) Where the proof of payment or duty on fabric is not produced.	Rs. 1.40 (Rupee one and paise forty only) per kg. of Polyvinyl chloride compound content, plus Rs. 4.00 (Rupees four only) per one hundred square metres of cotton fabric content.
		(2) Where the base fabric used is manmade synthetic viscose staple fibre fabric.	Rs. 1.40 (Rupee one and paise forty only) per kg. of Polyvinyl chloride compound content, plus the drawback rate fixed under sub-serial No. 2503.
		EXPLANATION :—In order to establish payment of Central Excise duty on cotton fabric content the exporter shall produce documentary evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and correlate the same with the export goods.	
		Provided that :—	
		(i) where the exporter does not claim rebate of duty of excise on base cotton fabric (other than powerloom fabrics and handloom fabrics) under Central Excise Rules, 1944 or where such textile fabric coated or laminated with preparation of polyvinyl chloride compound have not been manufactured in accordance with the procedures prescribed under rule 96D or 191-A or 191-B of the said rules, the above rate of drawback shall apply in toto.	

1	2	3	4
		(ii) where the exporter has claimed rebate of duty of excise on the base cotton fabric (excluding handloom or powerloom fabrics) or availed of the procedures mentioned above in respect of base cotton fabric (excluding cotton handloom/powerloom fabrics) or polyvinyl chloride sheeting, the rate of drawback shall apply subject to the modification that the rate specified in respect of base fabric content and/or polyvinyl chloride content as the case may be, shall not apply.	
	2626	Fabrics and hosiery partly made out of synthetic man made filament yarn and/or textured yarn and partly out of spun yarn containing cotton, silk, wool and manmade fibres but not containg jute, where such yarns are used as warp or weft or both or as embellishment decoration yarn.	Rate for yarn content, fibre contents and dyes content specified against sub-serial No. 2503 and/or 2513 as the case may be subject to the conditions mentioned therein.
		Provided that no drawback of yarn content will be admissible in respect of fabrics using yarn as specified at sub-serial No. 2503(A)(I)(i) and sub-serial No. 2503(A)(II) (i).	
	2627	Vacant.	
	2628	Cotton fabrics faing under item No. 19-I and embroidered cotton fabrics manufactured on powerloom falling under item 19-II of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 ;	
		Cotton yarn content in which cotton predominates in weight—	
		(i) of counts upto 20.	Nil.
		(ii) of counts exceeding 20 but not exceeding 25.	Paise 1.57 (Paise one point fifty seven only) per count per kg. less paise 31.5 (Paise thirty one point five only) per kg.
		(iii) of counts exceeding 25 but not exceeding 35.	Paise 10.5 (Paise ten point five only) per kg. plus Paise 4.2 (Paise four point two only) per count per kg. exceeding 25 counts.
		(iv) of counnts exceeding 35 but not exceeding 45.	Paise 52.5 (Paise fifty two point five only) per kg. plus paise 8.4 (Paise eight point four only) per count per kg. exceeding 35 counts.
		(v) of counts exceeding 45 but not exceeding 55.	Paise 136.5 (Paise one hundred thirty six point five only) per kg. plus paise 14.7 (Paise fourteen point seven only) per count per kg. exceeding 45 counts.
		(vi) of counts exceeding 55.	Paise 5.7 (Paise five point seven only) per count per kg. less Paise 31.5 (Paise thirty one point five only) per kg.
		Provided that :—	
		(i) where the fabric contains 2 or more yarns of different counts and or falling under different count groups mentioned above, the drawback shall be allowed on the basis of the weight of each category of yarn at the rate applicable to the count groups aforesaid.	
		(ii) the count of yarn shall be size of grey unsized yarn expressed as the number of 1000 metres hanks per one half kg.	
		(iii) the manufacturer/exporter declares in the Shipping Bill that Central Excise duty on yarn used in the manufacture of cotton fabrics has been paid.	
		(iv) ***	
		Note :— (1) In computing the drawback amount an addition of 4.6% (Four point six per cent only) shall be made to the amount arrived at the rates mentioned above.	
		(2) The term 'Count' wherever it occurs in sub-serial No. 2628 refers to English Count.	
		***the manufacturer/exporter furnishes evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that base fabric used in the embroidered fabric is manufactured on powerloom as understood and interpreted for the purpose of Central Excise Tariff.	
27		*Made up Articles, Garments, Chiefly made from textile materials*,	
	2701	Made up articles, garments, chiefly made from textile materials not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the Individual manufacturer/exporter.
	2702	Readymade garments made of cotton handloom fabrics.	1.6% (One point six per cent only) of the f.o.b. value.
	2703	Made up articles of cotton handloom fabrics falling under sub-serial No. 2623 (ii) and 2623(iii).	Rs. 0 80 (Paise eighty only) per kg.

1	2	3	4
	2704	Vacant.	
	2705	Ribbons inked or uninked used on typewriters and similar office equipment.	Rs. 0.90 (Paise ninty only) per sq. metre of ribbon made of cotton fabrics of superfine category.
	2706	Knitwear and other made up articles made wholly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and man-made fibres but not containing jute.	Rate for yarn contents, dye content and fibre content as specified against sub-serial No. 2503 subject to conditions mentioned therein.
		Provided that no drawback on account of yarn content shall be admissible in respect of made up articles of fabrics using yarn specified at sub-serial No. 2503(A)(I)(i) and sub-serial No. 2503 (A)(II)(i).	
	2707	Hosiery articles made of cotton yarn including articles those made of knitted fabrics of cotton yarn (excluding articles of 20s and below counts of yarn)—	
		(a) where the f.o.b. value of cotton hosiery is Rs. 60.00 (Rupees sixty only) per kg. or below.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value or Rs. 0.90 (Paise ninty only) per kg. whichever is less.
		(b) where the f.o.b. value of cotton hasiery is above Rs 60.00 (Rupees sixty only) per kg.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value or Rs. 3.00 (Rupees three only) per kg. whichever is less.
	2708	Vacant.	
	2709	Vacant.	
	2710	Vacant.	
	2711	Vacant.	
	2712	Vacant.	
	2713	Vacant.	
	2714	Vacant.	
	2715	Vacant.	
	2716	Vacant.	
	2717	Vacant.	
	2718	Vacant.	
	2719	(a) Knitwear and other made up articles made of—	
		(i) Wholly out of polyester filament yarn (other than hand embroidered of hand operated machine embroidered fabrics).	The rates of yarn content as specified at sub-serial No. 2619 (A)(i).
		(ii) Wholly out of nylon filament yarn (other than fishing nets, hand embroidered or hand operated machine embroidered fabrics).	Rates of yarn content as specified at sub-serial No. 2619(A)(ii).
		(iii) Of mixed yarn of nylon filament and polyester filament (other than fishing nets & hand embroidered or hand operated machine embroidered fabrics).	Rate of yarn content as specified at sub-serial No. 2619(A)(iii).
		(B) Textured yarn content in the goods specified at sub-serial No. 2719(A)(i), (ii) and (iii).	The rate of filament yarn content as specified at sub-serial No. 2619(A)(i) to (iii) above, as the case may be, *plus* Rs. 5.25 (Rupees five and paise twenty five only) per kg.
		Provided that the rate specified in items (A) and (B) above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise Duty on the yarn has been paid at the appropriate rates and no rebate of said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.	
	2720	Knitwear and other made up articles made partly out of synthetic man made filament yarn and/or textured yarn and partly out of spun yarns containing cotton, silk, wool and manmade fibres but not containing jute, where such yarn are used as warp or weft or both as embellishment/decorations.	Rates for yarn contents, fibre content and dye content as specified against sub-serial No. 2503 and/or 2513 as the case may be, subject to the conditions mentioned therein.
		Provided that no drawback on account of yarn content be admissible in respect of made up articles of fabrics using yarn specified at sub-serial No. 2503(A)(I)(i) and 2503(A)(II)(i).	
	2721	Knitwear and other made up articles (excluding fishing nets) manufactured wholly out of synthetic man-made filament yarn and/or textured yarn other than those covered by sub-serial No. 2719.	Rate of yarn content and dyes content as specified at sub-serial No. 2513.

1	2	3	4
		Provided that :—	
		(1) the rates specified above in relation to the yarn content may apply only if the Central Excise duty at the appropriate rates on the yarn has been paid and no rebate of the said duty has been obtained under the Central Excise Rules, 1944.	
		(2) the drawback at the above rate in respect of filament yarn content may be admissible only if the manufacturer/exporter at the time of shipment declares that the benefits of duty exemption on import of yarn in terms of Department of Revenue and Banking, Customs Notification No. 123 and 128 dated 1-7-1977 read with Notification No. 159-Cus dated 15-7-1977 has not been availed of in respect of yarn content of the export goods.	
	2722	Jute manufactures not elsewhere specified (including Bimlipatam jute or mesta fibre), in which jute predominates in weight when exported as such or when used for packing goods, other than jute goods.	Rs. 630 00 (Rupees six hundred and thirty only) per tonne.
		(1) Provided that when the goods are exported as such the drawback at the above rate shall apply if the exporter declares on the Shipping Bill and also produces proof to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the goods are duty paid and that no rebate under rule 12 of the Central Excise Rules, 1944 has been claimed in respect of such consignment.	
		(2) Provided that when the jute goods are used for packing of other export goods the procedure prescribed under rule 191-B of the Central Excise Rules, 1944 has not been followed, in respect of such jute goods.	
	2723	Coir products containing jute.	Rs. 630.00 (Rupees six hundred and thirty only) per tonne of jute content.
	2724	Gas Mantles—	Rates per 100 Gross
		(i) 200 CP	Rs. 252 00 (Rupees two hundred and fifty two only).
		(ii) 300 CP	Rs. 256.20 (Rupees two hundred and fifty six and paise twenty only).
		(iii) 400 CP	Rs. 284.90 (Rupees two hundred eighty four and paise ninety only).
		(iv) 500 CP	Rs. 304.50 (Rupees three hundred four and paise fifty only).
		(v) 600 CP	Rs. 322.00 (Rupees three hundred and twenty two only).
		(vi) 800 CP	Rs. 336.00 (Rupees three hundred and thirty six only).
		(vii) 1000 CP	Rs. 336.00 (Rupees three hundred and thirty six only).
	2725	Vacant.	
	2726	Jute goods which are lined/laminated/extrusion coated with paper of polythene or both—	
		(i) Jute and polythene content	Rs. 630.00 (Rupees six hundred and thirty only) per tonne in respect of jute content plus the appropriate rate fixed under sub-serial No. 1914 for articles made of polyethylene in respect of polyethylene content if any.
		(ii) Paper content	Appropriate rate fixed under Serial No. 24.
	2727	Cotton waterproof tarpaulins—	
		(i) where the export f.o.b. value of the tarpaulins does not exceed Rs. 6.00 (Rupees six only) per Square Metre.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
		(ii) where the export f.o.b. value of the tarpaulins exceeds Rs. 6.00 (Rupees six only) per Sq. Metre.	7.5% (Seven point five per cent only) of the f.o.b. value.
		Provided that the manufacturer/exporter has not availed of the procedure prescribed under rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 in respect of the manufacture of cotton waterproof tarpaulins.	
	2728	Rayon tapes or Rayon bands of all sizes made from rayon filament yarn.	Rs. 2.40 (Rupees two and paise forty only) per kg.
	2729	Vacant.	
	2730	All types of readymade garments made from textile fabrics, but excluding garments made partially or wholly from silk, cotton handloom and powerloom fabrics, hosiery—	
		(i) Where proof of payment of duty on fabrics used in the manufacture of garments is produced.	

1	2	3	4
		(a) Readymade garments other than trousers.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value. plus 107% (One hundred and seven per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabric falling under sub-serial Nos. 2606, 2619, 2620 and 2626 as the case may be, on the fabric content of garments plus 107% (One hundred and seven per cent only) of the actual Central Excise duty paid on fabric content of the garments.
		(b) Trousers.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value. plus 112% (One hundred and twelve per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2606, 2619, 2620 and 2626, as the case may be, on the fabric content of the garments. plus 112% /(One hundred and twelve per cent only) of the actual Central Excise duty paid on fabric content of the garments.
	(ii) Where proof of payment on fabric used in manufacture is not produced.		
		(a) Readymade garments other than trousers.	3.5% (Three point five per cent only) of the f.o.b. value. plus 107% (One hundred and seven per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2606, 2619, 2620 and 2626 as the case may be, on the fabric content of the garments.
		(b) Trousers.	3.5% (Three point five per cent only) of the f.o.b. value. plus 112% (One hundred and twelve per cent only) of the drawback rate fixed in respect of fabrics falling under sub-serial Nos. 2606, 2619, 2620 and 2626 as the case may be, on the fabric content of the garments.

Provided that where the exporter has availed of the procedure under Rule 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 the above rates of drawback shall not apply.

Explanation :—(1) In order to establish payment of Central Excise duty on fabrics cleared under particular Gate Pass (GP) which have been used in the manufacture of garments and correlate the same with the export goods for claiming drawback under (i) above, the exporter/manufacturer shall file statements 'A' and 'B' in the proforma below duly completed and signed by the authorised person and may be submitted at the time of presentation of the Shipping Bill in the Export Department or with the Assistant Collector of Customs (Drawback) after the shipment and thereafter also make necessary arrangements for verification of the statements. Where the exporters are not the manufacturer of the garments, the statements are to be signed jointly by the manufacturer and exporter. Any modification shall be intimated by the manufacturer/exporter to the Assistant Collector of Customs of the port of export.

(2) In case where the manufactory is located at a place other than the port of shipment one set of similar statement 'A' and 'B' shall also be submitted by the exporter/manufacturer to the Assistant Collector of Customs/Central Excise having jurisdiction over the manufactory who shall verify the statement and send intimation to the Assistant Collector of Customs concerned of the port of export as to the correctness of the particulars given in the statement.

(3) In those cases, where the manufacturer/exporter are unable to file statements 'A' and 'B' referred to above, the claim shall be settled at the rates indicated against (ii) above.

(4) The expression 'fabric content' appearing at (i) and (ii) above refers only to the main/outer fabric contained in the garments and does not include the fabric utilised in interlining, collars, cuffs, pockets etc. and other embellishments.

STATEMENT 'A'

Name and Full address of the Exporter : Name and Full address of the Manufacturer :

Statement of our claim for Drawback for Garments at all Industry Rate under sub-serial No. 2730 of Drawback Public Notice No. Dated

A. Shipping Bill No. & Date :

B. Vessel's Name or whether by Air :

C. Description of the garments exported & model number :

D. Quantity exported :
(No. of pieces and weight)

E. Net F.O.B. value :

F (i) Full description of basic cloth used and the fiber composition also state whether a part is embroidered :

(ii) Counts/Denier of basic cloth used :

(iii) Grammage of the basic cloth per square meter :

G. Total net sq. metres of basic cloth utilised in the exported garments :

(i) Un-embroidered cloth :

(ii) Embroidered or processed cloth :

H. Net quantity of basic cloth in square metres retained in the exported garments :

(i) Un-embroidered cloth

(ii) Embroidered or processed cloth :

I. Add : 7% or 12% as the case may be, to the basic cloth retained in the exported garments towards, wastage.

(i) For un-embroidered cloth :

(ii) For embroidered or processed cloth :

J. Total quantity of basic cloth i.e. net consumption+7% or 12% as the case may be, in terms of square metres.

(i) Un-embroidered.....Square Metres.

(ii) Embroidered or processed.....Square Metres.

K. Net weight of the basic cloth with 7% or 12% as the case may be, wastage without the weight or embroidery.

L. Average Central Excise Duty incidence per square metre of basic cloth (As per Purchase Statement 'B' attached).

(i) For un-embroidered cloth.

(ii) For Embroidered or processed cloth.

M. Total Amount of Central Excise Duty involved in the basic cloth i.e. net fabrics content plus 7% or 12% as the case may be.

(i) ....Sq. Mts. (Unembroidered @ Rs.....per Sq. Metre).

(ii) .....Sq. Metres (Embroidered or processed @ Rs.....per Square Metre).

N. Total Drawback claimed :

(i) @ 1.5% of the f.o.b. value plus

(ii) 7% or 12% (as the case may be of basic cloth as on 'M' above) plus

(iii) @ Rs.....per kg. of yarn content as per sub-serial number

2602 Or
2603 Or
2606 Or
2619 Or
2620 Or
2626

(iv) @ Rs .....per kg. for dyed fabrics.

(As per column 'K' above)——————————

Total : ——————————

Certified that we are not availing ourselves of Central Excise Benefit under Rule 191-A and 191-B nor shall we at any time avail these benefits from the Collectorate of central excise. The fabrics used is fully duty paid.

(Signature of Exporter) (Signature of Manufacturer)

STATEMENT 'B'

Name and Full Address of the Exporter .... Name and Full Address of the Manufacturer .. ..

I. Receipt of Duty paid Fabrics for Manufacture of Garments Exported as per Statement 'B' 'A'

S. No.	Description of Fabrics mentioned Sort No.	Name and Address of the mill supplying the fabrics	Gate Pass No. and Date	Linear Metres	Width in Cms.	Square Metres
1	2	3	4	5	6	7

Not assessed value (when duty is ad valorem)	Rate of Excise Duty	Total amount of duty paid	Composition of fabrics			
			Warp and Weft	and Counts	Denier	Grammage per Square Metre
8	9	10	11			

Avg. duty per square metre.

II. Receipt of Duty Paid Fabrics Subsequently Processed or Embroidered out of the above Cloth to Manufacture Garments Exported

Description of fabrics mentioned	Name of the factory which has done the process, emb. work	Gate Pass No. and date	Linear Metres	Width in Cms.	Square Metres
1	2	3	4	5	6

Net Assessed value (when duty is advalorem)	Rate of Central Excise Duty	Total Excise Duty paid for further processing or embroidery	Excise duty involved on the basic cloth prior to processing and embroidery	Overall total Central Excise Duty on the embroidered or processed cloth i.e. 9+10
7	8	9	10	11

Avg. duty per Square Metre

(Common for I and II)

Whether fabrics are bleached, dyed or printed	Description of garments manufactured from the fabrics given S. No. of Statement 'A'	Particulars of export		
		S. B. No.	Date	Quantity exported
12	13		14	

This is to certify that the information given above are correct to the best of our knowledge.

(Signature of exporter) (Signature of Manufacturere)

1	2	3	4
	2731	Readymade garments made of cotton powerloom fabrics.	1.6% (One point six per cent only) of the f.o.b. value.
28		Floor Covering Including Carpets :	
	2801	Floor covering including carpets not elsewhere specified	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2802	Woollen carpets other than machine made woollen tufted carpets.	Rs. 0 35 (Paise thirty five only) per kg.
		Explanation :—'Woollen Carpet' means carpet, woollen yarn content of which is not less than 50% by weight.	
	2803	Coir or jute mats or mattings.	Rs. 630.00 (Rupees six hundred and thirty only) per metric tonne of jute content.
	2804	Vacant.	
	2805	Vacant.	
29		*Footwear and Parts of Footwear* :	
	2901	Footwear and parts of footwear not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	2902	Leaher footwear with or without soles including rubber or plastic soles (but excluding leather footwear with tyre soles and kolhapuri chappals) and leather uppers of footwear—	
		(i) Where the f.o.b. value is less than Rs. 20.00 per pair.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
		(ii) Where the f.o.b. value is Rs. 20.00 per pair or more but less than Rs. 40 00 per pair.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value or Re. 1.00 (Rupee one only) per pair whichever is more.
		(iii) Where the f.o.b. value is Rs. 40.00 per pair or more.	3.4% (Three point four per cent only) of the f.o.b. value or Rs. 1.60 (Rupee one and paise sixty only) per pair whichever is more.
		Note:—The above rates are valid till 30-9-1978.	
	2903	Vacant.	
30		*Umbrellas and Umbrella Fittings* :	
	3001	Umbrellas and umbrellas fittings not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3002	Umbrellas and Umbrella parts—	
		A—Ribs—	
		(i) Fluted ribs.	Rs. 636.00 (Rupees six hundred and thirty six only) per metric tonne.
		(ii) Other types of ribs i.e. solid ribs and flexus ribs.	Rs. 340.00 (Rupees three hundred and forty only) per metric tonne.
		B—Umbrella handles and sticks—	
		(i) Made of CRCA steel sheets/strips.	Drawback at the rate admissible under sub-serial No. 3640 (f).
		(ii) Others.	Drawback at the appropriate rate, if any, according to the material of which the handles of the sticks are made.
		C—Umbrella frames assembled or un-assembled.	Drawback at the appropriate rate as specified at (A) above plus the drawback at the appropriate rate as specified at (B) above.
		D—Umbrellas complete assembled or un-assembled.	(i) Drawback at the appropriate rate as specified at (C) above plus the drawback equal to the Central Excise duty paid on cotton fabrics actually used, where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of having paid duty in respect of cotton fabrics content of the umbrella calculated on the basis of standard requirement as indica ed below :—
			(ii) Type of umbrellas. — Cotton fabrics content per ten dozen of umbrellas.

1	2	3	4
			15″ x 8 67 (Sixty seven only) square metres.
			17″ x 8 87 (Eighty seven only) square metres.
			19″ x 8 97 (Ninety seven only) square metres.
			20″ x 8 102 (One hundred and two only) squard metres.
			20″x10 112.5 (One hundred twelve point five only) square metres.
			21″ x8 102.5 (One hundred and two point five only) square metres.
			21″x10 115 (One hundred and fifteen only) square metres.
			23″ x 8 115 (One hundred and fifteen only) square metres.
			23″x10 125 (One hundred and twenty five only) square metres.
			24″ x 8 123.6 (One hundred twenty three point six only) square metres.
			25″ x 8 128 (One hundred and twenty eight only) square metres.
			25″x10 138 (One hundred and thirty eight only) square metres.
			25″x12 145 (One hundred and forty five only) square metres.
			25″x16 153 (One hundred and fifty three only) square metres.
			27″ x 8 150 (One hundred and fifty only) square metres
			27″x10 156 (One hundred and fifty six only) square metres.
			27″x12 165 (One hundred and sixty five only) square metres.
			27″x16 180 (One hundred and eighty only) square metres.
31		*Human Hair and Product Thereof :*	
	3101	Human hair and products thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
32		*Products made of Asbestos, Cement or both:*	
	3201	Products made of asbestos, cement or both, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/ exporter.
	3202	(1) Asbestos Cement pressure pipes and couplings. (2) Asbestos Cement plain sheets, roofing sheets and accessories. (3) Asbestos Cement products N.O.S.	Rate to be announced later on.
33		*Ceramic Products, Refractories and Potteries :*	
	3301	Ceramic products, refractories and potteries not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
34		*Glass and Glassware including Glass Mirror and Vacuum Flasks:*	
	3401	Vacant.	
	3402	Glass and Glassware—	
		(a) Sheet Glass and Plate Glass.	Rs. 25.70 (Rupees twenty five and paise seventy only) per tonne.
		(b) Laboratory Glassware.	Rs. 73.90 (Rupees seventy three and paise ninety only) per tonne.
		(c) Glass shells, glass shells for electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubes, glass globes and glass chimneys for lamps and lanterns.	Rs. 45.00 (Rupees forty five only) per tonne.
		(d) Vacant.	

1	2	3	4
		(e) Glass bottles—	
		(i) When exported as such.	Rs. 26.75 (Rupees twenty six and paise seventy five only) per tonne.
		(ii) When used for packing other export goods.	Rs. 508.00 (Rupees five hundred and eight only) per tonne.
		(f) (A) Glass vials/phials and ampules when exported as such (empty).	Rs. 45.60 (Rupees forty five and paise sixty only) per tonne.
		(B) Glass vials/phials/ampules when used for packing other export goods :	
		(i) Of 5cc/5ml size and above but below 7.5cc/7.5ml.	Rs. 11.25 (Rupes eleven and paise twenty five only) per one thousand pieces.
		(ii) Of 7.5 cc/7.5ml and above but below 10cc/10ml.	Rs. 16.65 (Rupees sixteen and paise sixty five only) per one thousand pieces.
		(iii) Of 10cc/10ml and above but below 15cc/15ml.	Rs. 24.15 (Rupees twenty four and paise fifteen only) per one thousand pieces.
		(iv) Of 15cc/15ml and above but below 20cc/20ml.	Rs. 29.55 (Rupees twenty nine and paise fifty five only) per one thousand pieces.
		(v) 20cc/20ml size.	Rs. 39.50 (Rupees thirty nine and paise fifty only) per one hundred pieces.
		(g) All other glass and glassware including wired and figured glass.	Rs. 25.70 (Rupees twenty five and paise seventy only) per tonne.
	3403	Vacant.	
	3404	Vacuum flasks, all types.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
	3405	Refills for vacuum flaks, all types.	1% (One per cent only) of the f.o.b. value.
35		*Finished Caltured Pearls:*	
	3501	Finished cultured pearls that is to say, cultured pearls which have been produced by drilling, bleaching, polishing or otherwise processing raw cultured pearls or Biwaco pearls.	Rs. 1.39 (Rupee one and paise thirty nine only) per gramme of Biwaco pearl content and Re. 0.82 (Paise eighty two only) per gramme of the content of cultured pearls other than Biwaco.

Provided that at the time of exportation of the finished cultured pearls the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs and also produces a certificate from the manufacturer that a quantity of 105 grammes cultured pearls of Biwaco or other than Biwaco quality as the case may be, has been imported by the manufacturer or exporter and used for the manufacture of every 100 grammes of product exported, within a period of 12 months immediately preceding the date of such exportation and that the quantity of imported cultured pearls of Biwaco or other than Biwaco type has not been—

(i) Similarly correlated to and accounted for against any other previous exportation of finished cultured pearls

or

(ii) Previously re-exported as such or in any other form with or without claim for drawback.

36		*Iron and Steel Except ingots and other Primary forms (including blanks for Tubes and Pipes) of Iron and Steel;*	
	3601	Vacant.	
	3602	Printed tinned plates/tinned sheets.	Rs. 921.00 (Rupees nine hundred and twenty one only) per tonne.

Provided that the rebate of duty of Central Excise on tinned plates/tinned sheets used in the manufacture of printed tinned plates/tinned sheets is not claimed by the exporter separately under the Central Excise Rules, 1944 and export goods are made of duty paid tinned plates or tinned sheets.

	3603	Vacant.	
	3604	Vacant.	
	3605	Expanded metal (other than cast)—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 680.00 (Rupees six hundred and eighty only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 902.00 (Rupees nine hundred and two only) per tonne.
	3606	Fabricated steel structurals (including electrical transmission line towers) other than tubular steel structurals not elsewhere specified.	
		(A) Electrical transmission line toweres (fabricated steel strcturals) galvanised.	(a) Rs. 533.00 (Rupees five hundred and thirty three only) per tonne. (b) Plus the duty paid under item 52 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, on bolts and nuts.

1	2	3	4
		Provided that :—	
		(i) The drawback at the rate specified at item (b) above will be granted where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of having paid the said duty on Bolts and Nuts supplied along with the transmission line toweres covered by a particular sale-contract or order and shall be limited to the duty actually paid on 50 kgs. of Bolts and Nuts per metric tonne of the export product in question, and	
		(ii) The rebate of Central Excise duty paid on Bolts and Nuts in question has not been claimed/obtained under the Central Excise Rules, 1944 either by the manufacturer or the exporter.	
		(B) Others :	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 350 00 (Rupees three hundred and fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 490.00 (Rupees four hundred and ninety only) per tonne.
	3607	Steel arc welding electrodes.	Rs. 360.00 (Rupees three hundred and sixty only) per tonne of steel content.
	3608	Steel pipes and tubes all sorts including electric conduit pipes, tubular steel furniture, tubular steel structurals, tubular poles and other products made entirely of steel pipes and tubes not elsewhere specified, including furniture tubes and gas tubes and fittings thereof.	
		(a) Seamless pipes and tubes—	
		(i) Ungalvnished.	Rs. 353.00 (Rupees three hundred and fifty three ony) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 528.00 (Rupees five hundred and twenty eight only) per tonne.
		(b) Pipes and tubes with wall thickness more than 5mm, other than seamless and other than those made of skelp—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 359.00 (Rupees three hundred and fifty nine only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 533.00 (Rupees five hundred and thirty three only) per tonne.
		(c) (i) Pipes and tubes made of skelp—	
		(a) Ungalvanised.	Rs. 602.00 (Rupees six hundred and two only) per tonne.
		(b) Galvanised.	Rs. 829.00 (Rupees eight hundred and twenty nine only) per tonne.
		(ii) Pipes and tubes made of C.R. sheets/strips—	
		(a) Ungalvanised.	Rs. 644.00 (Rupees six hundred and forty four only) per tonne.
		(b) Galvanised.	Rs. 868.00 (Rupees eight hundred and sixty eight only) per tonne.
		Provided that :—	
		The drawback at the rates at sub-item (c) above shall apply if at the time of exportation, the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the goods have been manufactured out of skelp or C.R. Sheets or C.R. Strips, as the case may be, and appropriate duty at the rate applicable to skelp/C.R. Sheets/C.R. Strips as the case may be under item 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) has been paid on such skelp/C.R. Sheets/C.R. Strips.	
		(d) Pipes and tubes other than seamless pipes and tubes with wall thickness less than 5mm other than those at (c) above—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 467.00 (Rupees four hundred and sixty seven only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 704.00 (Rupees seven hundred and four only) per tonne.
		(e) Fitting for steel pipes and tubes—	
		(1) Made of steel (other than cast)—	
		(i) Of less than 5mm wall thickness—	
		(a) Ungalvanised.	Rs. 467.00 (Rupees four hundred and sixty seven only) per tonne.
		(b) Galvanised.	Rs. 704.00 (Rupees seven hundred and four only) per tonne.

1	2	3	4
		(ii) Of wall thickness 5mm or more—	
		(a) Ungalvanised.	Rs. 359.00 (Rupees three hundred and fifty nine only) per tonne.
		(b) Galvanised.	Rs. 533.00 (Rupeos five hundred and thirty three only) per tonne.
		(2) Malleable iron pipe fittings—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 73.00 (Rupees seventy three only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 337.00 (Rupees three hundred and thirty seven only) per tonne.
		Provided that the rebate of Central Excise duty paid on the steel sections used in the manufacture of pipes and tubes etc. has not been availed of under Central Excise Rules or the export is not being made under Bond.	
3609		(a) Rails and sleeper bars.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
		(b) Railway track materials N.O.S. made of steel (other than cast)—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 326.00 (Rupees three hundred and twenty six only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 502.00 (Rupees five hundred and two only) per tonne.
3610		Spring Steel Bars.	Rs. 168.00 (Rupees one hundred and sixty eight only) per tonne.
3611		(a) Steel bars and rods not otherwise specified (Rounds, Squares and flats) other than spring steel bars.	Rs. 343.00 (Rupees three hundred and forty three only) per tonne.
		(b) Mild steel wires not otherwise specified—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 350.00 (Rupees three hundred and fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 595.00 (Rupees five hundred and ninety five only) per tonne.
		Note :— The above rates of drawback are subject to the condition that the rebate of Central Excise duty paid on the raw materials used in the manufacture of the product or the rebte of Central Excise duty paid on the export product itself, has not been availed of under the Central Excise Rules, 1944 and the export is not made under bond.	
3612		Steel castings, both unmachined and machined including cast steel components of engineering goods.	Rs. 173.00 (Rupees one hundred and seventy three only) per tonne.
3613		Steel structurals light and heavy non-fabricated—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 327.00 (Rupees three hundred and twenty seven only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 468.00 (Rupees four hundred and sixty eight only) per tonne.
3614		Bright steel bars and shafts made from mild steel.	Rs. 360.00 (Rupees three hundred and sixty only) per tonne.
		Note :— The above rate of drawback at sub-serial No. 3613 and 3614 are subject to the condition that the rebate of Central Excise duty paid on the raw materials used in the manufacture of the product or the rebate of Central Excise duty paid on the export product itself, has not been availed of under Central Excise Rules, 1944 and the export is not made under bond.	
3615		Steel flexible tubing —	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 663.00 (Rupees six hundred and sixty three only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 886.00 (Rupees eight hundred and eighty six only) per tonne.
3616		Articles made of iron all sorts including iron castings, both machined or unmachined and cast iron components of engineering goods, and also including iron pipes and tubes all sorts and fittings for such pipes and tubes made of iron—	
		(i) Ungalvanished.	Rs. 73.00 (Rupes seventy three only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 337.00 (Rupees three hundred and thirty seven only) per tonne.
3617		Steel wire products, all sorts namely wire gauge, mesh netting, chain link, fencing, steel stranded wires, panel pins, steel wire and plate nails all sorts, steel barbed wire and wire brushes.	
		(i) Ungal vanised.	Rs. 350.00 (Rupees three hundred and fifty only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 595.00 (Rupees five hundred and ninety five only) per tonne.

1	2	3	4
	3618	Tin plate products, including tin plate containers (assembled or unassembled), tin plate components of containers, tin plate washers, mathematical instruments, boxes made of tin plate, advertisement tablets, trays, match box covers, screw caps and necks, stove cleaning needles and desk pad made of tin plate.	Rs. 975.00 (Rupees nine hundred and seventy five only) per tonne.
	3619	Hurricane Lanterns (excluding glass globes/shells).	Rs. 921.00 (Rupees nine hundred and twenty one only) per tonne.
	3620	Belt fasteners made of steel other than cast.	Rs. 480.00 (Rupes four hundred and eighty only) per tonne.
	3621	Bolts, nuts and rivets and gate hooks and eyes, steel screws and machine screws and rivets—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 360.00 (Rupes three hundred and sixty only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 604.00 (Rupees six hundred and four only) per tonne.
	3622	Builders hardware made of steel not elsewhere specified including hinges, hasps, staples, tower bolts and padlocks—	
		(a) Made of sheets/strips less than 5 mm thickness.	Rs. 460.00 (Rupees four hundred and sixty only) per tonne.
		(b) Others.	Rs. 324.00 (Rupees three hundred and twenty four only) per tonne.
	3623	Collapsible gates made of steel.	Rs. 326.00 (Rupees three hundred and twenty six only) per tonne.
	3624	Enamelware.	Rs. 700.00 (Rupes seven hundred only) per tonne.
	3625	Galvanised steel buckets, galvanised steel bath tubs and galvanised steel water bottles.	Rs. 709.00 (Rupees seven hundred and nine only) per tonne.
	3626	Vacant.	
	3627	Vacant.	
	3628	Miscellaneous hardware, made of steel other than cast.	Rs. 326.00 (Rupees three hundred and twenty six only) per tonne.
	3629	Mild steel washers—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 395.00 (Rupees three hundred and ninety five only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 637.00 (Rupees six hundred and thirty seven only) per tonne.
	3630	Rolling shutters.	Rs. 473.00 (Rupees four hundred and seventy three only) per tonne.
	3631	Assembled or unassembled steel drums, galvanised or black—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 425.00 (Rupees four hundred and twenty five only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 664.00 (Rupees six hundred and sixty four only) per tonne.
	3632	Steel ghamelas circles for ghamelas and pans.	Rs. 700.00 (Rupees seven hundred only) per tonne.

Provided that no rebate of Central Excise duty paid on export of circles has been availed under the Central Excise, Rules, 1944 and the export is not being made under bond.

	3633	Steel rake multiprong and steel rat traps and steel parts of rat traps.	Rs. 326.00 (Rupees three hundred and twenty six only) per tonne.
	3634	Vacant.	
	3635	(a) Steel safes, coffers and cash boxes.	Rs. 365.00 (Rupees three hundred and sixty five only) per tonne.
		(b) Steel trunks.	Rs. 425.00 (Rupees four hundred and twenty five only) per tonne.
	3636	Steel tanks assembled or unassembled.	Rs. 354.00 (Rupees three hundred and fifty four only) per tonne.

1	2	3	4
	3637	Vacant.	
	3638	Tipping wagons.	Rs. 362.00 (Rupees three hundred and sixty two only) per tonne.
	3639	Watering cans.	Rs. 425.00 (Rupees four hundred and twenty five only) per tonne.
	3640	Steel products not otherwise specified but excluding products falling under item Nos. 26 and 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944—	
		(a) Made of steel ingots.	Rs. 327.00 (Rupees three hundred and twenty seven only) per tonne.
		(b) Made from semifinished steel including blooms, billets, slabs, sheets, bars, tin bars and hoe bars.	Rs. 317.00 (Rupees three hundred and seventeen only) per tonne.
		(c) Made from coils, joists, girders, angles other than slotted angles, channels other than slotted channels, tees, beams, zeds, trough piling and flats exceeding 10 mm in thickness—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 324.00 (Rupees three hundred and twenty four only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 465.00 (Rupees four hundred and sixty five only) per tonne.
		(d) Made from bars and rods other than spring steel bars.	Rs. 324.00 (Rupees three hundred and twenty four only) per tonne.
		(e) Made from flats exceeding 5 mm but not exceeding 10 mm in thickness or plates.	Rs. 353.00 (Rupees three hundred and fifty three only) per tonne.
		(f) Made from cold rolled sheets and cold rolled strips—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 637.00 (Rupees six hundred and thirty seven only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 765.00 (Rupees seven hundred and sixty five only) per tonne.
		(g) Vacant.	
		(h) Made from hot rolled sheets and strips, flats not exceeding 5 mm in thickness and hoops—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 460.00 (Rupees four hundred and sixty only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 595.00 (Rupees five hundred and ninetyfive only) per tonne.
		(i) Made fom skelp—	
		(i) Ungalvanised.	Rs. 602.00 (Rupees six hundred and two only) per tonne.
		(ii) Galvanised.	Rs. 732.00 (Rupees seven hundred and thirty two only) per tonne.
	3641	Ball/Tapered Roller bearing.	Rs. 451.00 (Rupees four hundred and fifty one only) per tonne.
	3642	Jerry cans.	Rs. 425.00 (Rupees four hundred and twenty five only) per tonne.
	3643	(i) Slotted angles, panel, panel plates, panel dividers and other accessories made out of steel sheets of thickness 2 mm and less.	Rs. 679.00 (Rupees six hundred and seventy nine only) per tonne.
		(ii) Slotted angles, panel, panel plates, panel dividers and other accessories not otherwise specified.	Rs. 480.00 (Rupees four hundred and eighty only) per tonne.

1	2	3	4
37.	31. *Non Ferrous Metals and Metal Alloys:*		
	3701 Vacant.		
	3702 Zinc products not elsewhere specified.	Rs. 3.85 (Rupees three and paise eighty five only) per kg.	

Provided that no rebate is claimed under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under bond under the provisions of the Central Excise Rules, 1944.

	3703 Aluminium Alloy Ingots and Castings.	At the rate applicable under sub-serial No. 3803(iii) in respect of aluminium content.	

Provided that no rebate under rule 12 or benefit under rule 13 of the Central Excise Rules, 1744 has been availed of by the manufacturer/exporter.

	3704 Vacant.		
	3705 Vacant.		
	3706 Vacant.		
	3707 Brass semis, circles, sheets and extrusions.	At the rate applicable under sub-serial No. 3805 (b).	

Provided that rule 56-A or 191-A or 191-B of the Central Excise Rules, 1944 has not been availed of in respect of the good-or articles.

	3708 Gun Metal ingots and articles made therefrom.	Rs. 4.95 (Rupees four and paise ninety five only) per kg.	
	3709 Metal Alloys N.O.S. and articles made thereof N.O.S.	Drawback at the rate applicable under sub-serial No. 3808(b) in respect of copper content, if any, plus Drawback at the rate applicable under sub-serial No. 3702 in respect of Zinc content, if any, plus Drawback at the rate applicable under sub-serial No. 3822 in respect of lead content, if any, plus Drawback at Rs. 44.00 (Rupees forty four only) per kg. in respect of tin content, if any, plus Drawback at the rate applicable under sub-serial No. 3616(i) in respect of iron content, if any, plus Drawback at the rate applicable under sub-serial No. 3803 (iii) in respect of aluminium content, if any, plus Drawback at Rs. 16.75 (Rupees sixteen and paise seventy five only) per kg. in respect of Nickel content, if any.	

Provided that no rebate is claimed under any of the Rules of Central Excise Rules, 1944 and the export is not made under bond under the provisions of Central Excise Rules, 1944.

38.	*Manufactures of Metals not Elsewhere specified:*		
	3801 Manufactures of metals not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.	
	3802 Mild Steel paper pins and clips—		
	(a) Copper coated.	Rs. 401.00 (Rupees four hundred and one only) per tonne	
	(b) Other than copper coated.	Rs. 324.00 (Rupees three hundred and twenty four only) per tonne.	
	3803 Articles made of Aluminium other than those specified under item 27 of the First Schedule of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944):—		
	(i) Circular and Oval shaped aluminium articles of thickness between 0.56 mm and 1.22 mm.	Rs. 4.15 (Rupees four and paise fifteen only) per kg.	

1	2	3	4
		(ii) Aluminium articles manufactured from sheets, circles and strips, not elsewhere specified i.e. exceed articles mention at (i) above	Rs. 5.50 (Rupees five and paise (fifty only) per kg.
		(iii) Aluminium articles other than those mentioned in (i) and (ii) above, not otherwise specified.	Rs. 4.10 (Rupees four and paise ten only) per kg.
3804	Articles made of stainless steel—		
		(A) (i) Utensils made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 18 to 21 BG.	Rs. 13.70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per kg.
		(ii) Utensils made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 22 to 26 BG.	Rs. 28.50 (Rupees twenty eight and paise fifty only) per kg.
		(B) (i) Hospital ware made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 18 to 21 BG such as kidney trays, bed pans, sputum mugs etc.	Rs. 13.70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per kg.
		(ii) Hospital ware made wholly of non-magnetic stainless steel sheets of 22 to 26 BG such as kidney trays, bed pans, sputum mugs etc.	Rs. 28.50 (Rupees twenty eight and paise fifty only) per kg.
		(C) (i) Copper bottomed utensils made of non-magnetic stainless steel sheets of 18 to 21 BG and copper.	Rs. 11.85 (Rupees eleven and paise eighty five only) per kg.
		(ii) Copper bottomed utensils made of non-magnetic stainless steel sheets of 22 to 26 BG and copper.	Rs. 24.00 (Rupees twenty four only) per kg.
		(D) (i) Watch straps made wholly of cold rolled stain less steel strips of 26 BG to 29 BG.	Rs. 42.00 (Rupees forty two only) per kg.
		(ii) Watch straps made wholly of cold rolled stainless steel strips of 30 BG to 32 BG.	Rs. 28.00 (Rupees twenty eight only) per kg.
		(E) Surgical instruments.	Rs. 0.50 (Paise fifty only) per kg.
		(F) Cutlery made of stainless steel sheets but excluding knives.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
		(G) Cutlery made of stainless steel bars/rods/plates.	Rs. 0.45 (Paise forty five only) per kg.
		(H) Knives.	Rs. 0.45 (Paise forty five only) per kg.
		(I) Articles made of stainlees steel sheets not otherwise specified—	
		(i) (a) Made of sheets, magnetic of 14 and 16 BG.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
		(b) Made of sheets, non-magnetic of 18 to 21 BG.	Rs. 13.70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per kg.
		(c) Made of sheets, non-magnetic of 22 to 26 BG.	Rs. 28.50 (Rupees twenty eight and paise fifty only) per kg.
		(ii) Others.	Rs. 0.40 (Paise forty only) per kg.
3805	Brass manufactures including brass builders, hardware and artware—		
		(a) (i) Utensils and other articles made out of sheets/strips.	Rs. 3.80 (Rupees three and paise eighty only) per kg.
		(ii) Brass artware.	Rs. 3.05 (Rupees three and paise five only) per kg.
		(b) Others.	Rs. 3.08 (Rupees three and paise eight only) per kg.

Provided that rule 56-A or rule 191-A or 191-B of the Central Exise Rules, 1944 has not been availed of in respect of goods or articles.

3806 Vacant.

3807 Vacant.

3808	Articles wholly made of copper not elsewhere specified—		
		(a) Utensils and other articles made of sheets/strips.	Rs. 3.65 (Rupees three and paise sixty five only) per kg.
		(b) Other than those at (a) above.	Rs. 2 90 (Rupees two and paise ninety only) per kg.

1	2	3	4

Provided that no rebate is claimed on the copper sections under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under bond under the provisions of Central Excise Rules, 944.

	3809	Tin plate containers of 11.34 kg. capacity containing cashew kernels for which carbon dioxide is used for preservattion.	(a)(i) Rs. 975.00 (Rupees nine hundred and seventy five only) per tonne of the net weight of empty containers as reduced by 12.5 gms. per each container; plus. (ii) Rs. 31.00 (Rupees thirty one only) per 1000 containers, plus, (iii) Rs. 288.00 (Rupees two hundred and eighty eight only) per 1000 containers, plus (b) Whole of the duty paid under item 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.

Provided that :—

(i) the drawback specificed in the sub-clause (ii) of clause (a) will be granted if the examption under this Ministrys Nitification No. 7/65-CE dated the 30th January, 1965 has not been availed of ;

(ii) the drawback at the rate specified in item (b) will be granted where exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs, regarding the amount of duty paid on the Mental containers, and

Provide further that the exporter has not availed of procedure under rule 12 or rule 191-A of the Central Excise Rules 1944 in respect of the said duty.

	3810	Sanitary cans dingley cans (including, parts thereof) when exported in flattened form or otherwise or when used as containers for export of— (1) fish and fish products, (2) Fruits and vegetable products, (3) condensed milk, (4) Peas Pulao, and (5) Meat products.	(a) Whole of the duty if any paid under item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944. (b) Rs. 2660.00 (Rupees two thousamd six hundred and sixty only) per tonne provided that where the exporters has not availed of the procedure under rule 12 or 191-A of the Central Excise Rules, 1944, the drawback at the rate specified at item (a) and (b) shall apply in toto: and where the exporter has availed of procedure under either of the said rules or where no duty under item No. 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt act, 1944 has been paid the rate of drawback at the rates specified in item (b) above shall apply.
	3811	Vacant.	
	3812	Steel wire ropes all sorts (including looked coil wire ropes all sorts) with or without fibre core——	
		(a) Ungalvanised.	Rs. 270.00 (Rupees two hundred and seventy only) per tonne of ungalvanised steel content plus Rs. 630.00 (Rupees six hundred and thirty only) per tonne of jute content plus drawback admissible in respect of polythylene content, if any, under sub-serial No. 1914.
		(b) Galvanised.	Rs. 520.00 (Rupees five hundred and twenty only) per tonne of galvanised steel content plus Rs. 630.00 (Rupees six hundred and thirty only) per tonne of jute content plus drawback admissible in respect of Polythylene content, if any, under sub-serial No. 1914.
	3813	Steel files, all sizes.	4.35% (Four point thirty five per cent only) of the f.o.b. value subject to maximum of Rs. 900.00 (Rupees nine hundred only) per metric tonne.
	3814	Vacant.	
	3815	Electroplated nickel silver (EPNS) ware and articles.	Rs. 3.05 (Rupees three and paise five only) per kg.
	3816	(a) Pressure stovesmade of brass and mettalic components thereof.	11% (Eleven per cent only) of the f. o. b. value.
		(b) Pressure lamps/lanterns and blow lamps made of brass and mettalic components thereof.	7% (Seven per cent only) of the f.o.b. value.
	3817	Gun metal valves, all sorts, and parts thereof.	(a) Rs. 4.95 (Rupees four and paise ninety five only) per kg. of Gun Metal content.

1	2	3	4
			(b) Rate admissible under sub-serial No. 3616 (i) or 3616 (ii) as the case may be, in respect of iron content, plus (c) Rate admissible under sub-serial No. 3621 (i) or 3621 (ii) as the case may be, in respect of volts and nuts.
	3818	Self locking nuts fitted with Nylon inserts.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3819	Steel drums when filled with asphalt.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3820	Safety Razor Blades—	
		(i) made from carbon steel.	Rs. 3.10 (Rupees three and paise ten only) per 1000 blades.
		(ii) made from stainless steel strips.	Rs. 30.00 (Rupees thirty only) per 1000 blades.

Note :—The above rate of drawback is inclusive of drawback on packing materials viz., wax paper and wrapper for individual blades; pulp board tucks and cartons; and cellophen.

If the above packing materials are not used, the above rate shall be reduced by Rs. 0.65 (Paise sixty five only) per 1000 blades. The drawback will, however, be admissible on the packing materials actually used at the appropriate 'all industry' rates.

3821	Enamelled Copper winding wire of 44 gauge and thicker.	Rs. 11.50 (Rupees eleven and paise fifty only) per Kg.
3822	Articles made of lead not elsewhere specified.	Rs. 2.15 (Rupees two and paise fifteen only) per Kg.

Provided that no rebate is claimed under Central Excise Rules, 1944 or the export has not been made under Bond under the provisions of the Central Excise Rules, 1944.

3823	(i) Pressure cookers complete made of aluminium.	Rs. 5.35 (Rupees five and paise thirty five only) per kg.
	(ii) Gaskets for pressure cookers.	(Rs. 0.39 (Paise thirtynine only) per Kg.
	(iii) Safety plugs with pintles.	Rs. 0.39 (Paise thirty nine only) per Kg.
	(iv) Handles of pressure cookers made of phenol formaldehyde moulding powder and exported with or without screws.	Drawback at the rate admissble under sub-serail No. 191 in respect of phenol formaldeyde moulding powder, plus. The drawback admissible in respect of aluminium screws if any, under sub-serial No. 3803 (iii), Plus The drawback admissible in respect of steel screws, if any, under sub-serial No. 3621.
3824	Metal container all sorts (other than those made of aluminium) ordinarily intended for packings of goods for sale, (including casks, drums, cans, boxes, gas cylinders and pressure containers filled in with export goods but excluding open top sanitary cans and tin containers of 11.34 kg. capacity used for export of cashew kernels).	(a) While of the duty paid under item 46 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, plus (q) the drawback at the rate admissible under sub-serial No. 3618 in respect of tin plate container and under sub-serial No. 3631 in respect of steel drums and the drawback at the appropriate rate, if any, in respect of any other material of which the containers is made of.

Provided that :

(i) the drawback at the rate specified in item (a) will be granted where the exporter produces evidence to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of having paid duty on the metal containers.

(ii) where the exporter has not availed of the procedure under rule 12 or rule 191-A of the Central Excise Rules, 1944, the drawback at the rate specified at item (a) and (b) shall apply in toto and where the exporter has availed of the procedure under the said rules the rate of drawback at the rates specified in item (b) above shall apply.

3825	Sanitary and bathroom water fitting—	
	(A) Chromium plated made of gun metal.	Rs. 4.95 (Rupees four and paise ninety five only) per kg. of the Gun Metal content.
	(B) Chromium plated made of brass.	Rs. 3.08 (Rupees three and paise eight only) per kg. of the brass content.
3826	Vacant.	
3827	Aluminium foil laminated with paper/polythene or interleaved with paper.	At the appropriate rate applicable under sub-serial No. 1714 in respect of polythene content, if any, and at the rate equal to the actual Central Excise duty paid on paper content, if any, where the exporter produces evidence or gate passes/or

1	2	3	4
			other acceptable evidence, to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs of having paid the said duty on such paper content.
	3828	Tyre Bead Wire.	Rs. 269.00 (Rupees two hundred and sixty nine only) per tonne.
	3829	Vacant.	
	3830	Thermit portions of all sizes.	Re. 1.00 (Rupees one only) per kg. of thermit portion.
	3831	Aluminium Ingots.	Rs. 149.00 (Rupees one hundred and forty nine only) per tonne.
39		TOOLS FOR USE IN THE HAND OR MACHINE	
	3901	Tools used in the hand or machine not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	3902	Hand tools made of steel N.O.S. other than cast.	Rs. 326.00 ((Rupees three hundred and twenty six only) per tonne
	3903	Vices, all types.	Rs. 11.00 (Rupees eleven only) per quintal.
	3904	Gear cutting tools all types when made mainly of high speed steel.	14.5% C Fourteen point five per cent only) of the f.o.b. value.
	3905	Saws, segments and saw blades when made entirely of High Speed Steel.	11.5% (Eleven point five percent only) of the f.o.b. value.
	3906	Diamond cutting tools but excluding reconditioned diamond tools namely :—	
		(1) Drill Bits.	15% (Fifteen per cent only) of the f.o.b. value.
		(2) Diamond dressers.	14% (Fourteen per cent only) of the f.o.b. value.
	3907	Drills of all types including twist drills when made mainly of High Speed Steel.	14.5% (Fourteen point five per cent only) of the f.o.b. value.
	3908	Tools for lathes, shappers and planers all types entirely made of High Speed Steel.	13% (Thirteen per cent only) of the f.o.b. value.
	3909	Vacant.	
	3910	Reamers mainly made of High Speed Steel.	14.5% (Fourteen point five per cent only) of the f.o.b. value.
	3911	Threading taps, threading dies and chasers mainly made of High Speed Steel.	14.5% (Fourteen point five per cent only) of the f.o.b. value.
	3912	Small and cutting tools not elsewhere specified (excluding broaches, dies, jigs fixtures and stamping tools) when made entirely of High Speed Steel.	12% (Twelve per cent only) of the f.o.b. value.
	3913	(a) Drop forged hand tools (other than those made of castings), viz., the following—Allen Head Keys, all types, pliers, spanners, wrenches, screws and nut drivers all types, sockets and ratchets, all types, C-Clamps and nail pullers.	Rs. 453.00 (Rupees four hundred and fifty three only) per tonne of steel content.
		(b) Drop forged Hand tools as stated in (a) above when nickel plated or chrome plated.	Rs. 534.50 (Rupees five hundred thirty four and paise fifty only) per tonne of nickel plated steel content.
		(c) Drop forged Hand tools as stated in (a) or (b) above when fitted with plastic handle.	Rate of drawback indicated as in (a) or (b) above plus the drawback applicable for plastic content under sub-serial No. 1907, 1908, 1914 or 1918 (a) as the case may be.
	3914	Vacant.	
40		POWER GENERATING MACHINERY, PARTS THEREOF.	
	4001	Powers generating machinery, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4002	(A) Horizontal and vertical stationary vehicular engines including marine and other internal combustion engines whether petrol, diesel or kerosine *driver* upto 40 B.H.P.	1.5% (one point five per cent only) of the f.o.b. value.

1	2	3	4
		(B) Parts of horizontal and vertical stationery/vehicular engines, including marine and other internal combustion engine whether petrol, diesel or kerosine driven, namely the following—	
		(i) Parts made of cast iron.	0.3% (Point three per cent only) of the f.o.b. value.
		(ii) Parts made of steel sections, sheets and pipes.	1.25% (One point twenty five per cent only) of the f.o.b value.
		(iii) Parts made of aluminium alloy consisting of more than 80% of aluminium (including complete pistons).	Rs. 3.25 (Rupees three and paise twenty five only) per kg.
		(iv) Radiator assemblies and cores excluding oil collers and air colled radiators, namely :—	
		(A) Radiator assemblies of copper/brass construction.	Rs. 4.50 (Rupees four and paise fifty only) per kg.
		(B) Radiator assemblies of steel/brass construction.	Rs. 3.80 (Rupees three and paise eighty only) per kg.
		(C) Radiator cores of copper/brass construction.	Rs. 4.85 (Rupees four and paise eighty five only) per kg.
		(v) Vacant.	
		(vi) Single cylinder pump.	0 5% (Point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(vii) Nozzles and nozzle holders fitted with nozzles.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
		(viii) Spark plug.	7.5% (Seven point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(xi) Engine valves.	7.5% (Seven point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(x) Gaskets.	10% (Ten per cent only) of the f.o.b. value.
		(xi) Multi-Cylinder Pumps.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
		(xii) Delivery valves, elements and nozzle holder.	0.25% (Point twentyfive per cent only) of the f.o.b. value.
		(xiii) All othes not specified above exlcuding those made of natural raw rubber.	1.25% (One point twenty five per cent only) of the f.o.b. value.
		Note :—(1) The rate of drawback shown against items (i), (ii) and (xiii) above is based on the duty incidence on steel. If the exporter can establish to the satisfaction of the Asstt. Collector of Customs that the goods are made of any other material for which rate exists under Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated 15-10-1971, as amended from time to time, drawback may be allowed under the relevant sub-serial No. of the said Public Notice,	
		(2) The above rates will be applicable provided no rebate of Central Excise duty paid on the raw materials or components used in the manufacture of finished product has been availed of under rule 56-A or any other provision in force of the Central Excise Rules, 1944.	
41		AGRICULTURAL MACHINERY AND IMPLEMENTS, PARTS THEREOF :	
	4101	Agricultural machinery and implements, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4102	Agricultural implements not otherswise specified made of steel, other than cast.	Rs. 326.00 (Rupees three hundred and twenty six only) per tonne.
42		OFFICE MACHINES, PARTS THEREOF :	
	4201	Office machines, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
43		METAL WORKING MACHINERY, PARTS THEREOF :	
	4301	Metal working machinery, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
44		TEXTILE MACHINERY, PARTS THEREOF :	
	4401	Textile machinery, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4402	Ring Farmes.	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.
	4403	Draw Frames.	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.
	4404	Speed Frames.	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.

1	2	3	4
	4405	Auto Looms.	1.5 %(One point five per cent only) of the f.o.b. value.
	4406	Vacant	
	4407	Stenters.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.
	4008	Textile machinery not otherwise specified.	1 5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value.
	4409	Textile machinery parts/accessories all sorts.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value.
45		MACHINERY FOR OTHER PURPOSES AND INDUSTRIES, EQUIPMENTS, APPLIANCES (OTHER THAN ELECTRICAL):	
	4501	Machinery for other purposes and industries, equipments, appliances (other than electrical) not elsewhere specified, parts, thereof.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4502	Oil Mill Machinery parts thereof.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
	4503	(1) Centrifugal and non-centrifugal pumps.	Rs. 130.00 (Rupees one hundred and thirty only) per Tonne.
		(2) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with diesel engines.	1 5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value plus Central Excise duty paid on pumps or on diesel engines provided the same has not been claimed/obtained as rebate or refund under Central Excise Rules and a certificate is also produced from the concerned Central Excise authorities to that effect.
		(3) Centrifugal and non-centrifugal pumps fitted with electric motors upto 100 H.P.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value plus Central Excise duty paid on pumps or on electric motor, provided the same has not been claimed/obtained as rebate or refund under Central Excise Rules 1944 and a certificate is also produced from the concerned Central Excise authorities to that effect.
	4504	Sewing machines all sorts, with or without hand attachment, base, cover, stand' table, arm, bed, including sewing machines in SKD/CKD conditions and parts and accessories thereof.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
	4505	Petrol metering and dispensing pumps fitted with electric motor.	10% (Ten per cent only) of the f.o.b. value.
	4506	(a) Refrigerating compressors, accessories, component parts, and spares thereof.	2.5% (Two point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) Air conditioning and refrigeration machinery and accessories components and spares thereof not elsewhere specified excluding domestic refrigerators, deep freezers, room air conditioners and room coolers and accessories, components and spares thereof.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
	4507	Machinery, components, parts, spares and accessories thereof, all sorts not otherwise specified, namely made of Metals.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value.
	4508	Industrial steel roller bush chains whether assembled or un-assembled and whether in running length or otherwise.	Rs. 775.00 (Rupees seven hundred and seventy five only) per tonne.
46		ELECTRICAL POWER MACHINERY, EQUIPMENT FOR DISTRIBUTING ELECTRICITY SWITCHGEAR, PARTS THEREOF :	
	4601	Electrical power machinery, equipment for distributing electricity, switchgear, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4602	Vacant.	
	4603	All aluminium conductors	With effect from 1-6-1978: Rs. 5.45 (Rupees five and paise forty five only) per kg. of aluminium content. With effect from 16-6-1978: Rs. 5.75 (Rupees five and paise seventy five only) per kg. of aluminium content.

1	2	3	4
		Provided that no rebate of Central Excise duty paid under item 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 has been claimed or obtained under the Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under bond in respect of Central Excise duty payable under the aforesaid item.	
	4604	Insulated aluminium cables or conductors	(1) Rate admissible under sub-serial No. 4603 in respect of aluminium content. (2) Rate admissible under sub-serial No. 1918(a) in respect of PVC composition content. (3) Rate admissible under sub-serial No. 1914 in respect of Polythene content.
		Provided that no rebate of Central Excise duty paid under item 27 of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 has been claimed or obtained under the Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under bond in respect of Central Excise duty payable under the aforesaid item.	
	4605	Aluminium conductors steel reinforced.	Rate of drawback applicable under sub-serial No. 4603 in respect of aluminium content plus the rate of drawback under sub-serial No. 3617(i) or 3617(ii) as the case may be, in respect of steel core content.
		Provided that no rebate of central Excise duty paid under item 27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 hasbeen claimed or obtained under the Central Excise Rules, 1944 or the export is not made under bond in respect of Central Excise duty payable under the aforesaid item.	
	4606	Paper Insulated Mass Impregnated Lead sheathed power cables excluding pilot cables, telephone cables and electrostatic precipitator cables (DC)—	
		(i) with copper conductors	Vacant
		(ii) with aluminium conductors all types having current ratings upto 35 KV and—	
		(a) Cross-sectional area above 70 sq.mm.	24% (Twenty four per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) Cross-sectional area of 70 sq.mm. and below.	18% (Eighteen per cent only) of the f.o.b. value.
	4607	P.V.C. Insulated Copper Cables	(i) Rate of drawback admissible under sub-serial No. 1918 (a) for P.V.C. Compound content. (ii) Rs. 5.80 (Rupees five and paise eighty only) per kg. of copper content.
	4608	Electric motors, all sorts of the following ratings namely :—	
		(i) Upto 1 H.P.	Rs. 35.60 (Rupees thirty five and paise sixty only) per H.P.
		(ii) above 1 H.P. and upto and including 3 H.P.	Rs. 25.10 (Rupees twenty five and paise ten only) per H.P.
		(iii) above 3 H.P. and upto and including 5 H.P.	Rs. 20.20 (Rupees twenty and paise twennty only) per H.P.
		(iv) above 5 H.P. and upto and including 15 H.P.	Rs. 13.70 (Rupees thirteen and paise seventy only) per H.P.
		(v) above 15 H.P. and upto and including 40 H.P.	Rs. 11.40 (Rupees eleven and paise forty only) per H.P.
		(vi) above 40 H.P. and upto and including 100 H.P.	Rs. 10.55 (Rupees ten and paise fifty five only) per H.P.
	4609	Direct-on-line starters for Electric Motors upto 30 H.P. and Star Delta Starters for Electric Motors upto 50 H.P.	
		(a) Direct-on-line Starters—	
		(i) Upto 7.5 H.P.	Rs. 4.00 (Rupees four only) per unit.
		(ii) Above 7.5 H.P. and upto 15 H.P.	Rs. 7.50 (Rupees seven and paise fifty only) per unit.
		(iii) Above 15 H.P. and upto 30 H.P.	Rs. 10.45 (Rupees ten and paise forty five only) per unit.
		(b) Star Delta Starters—	
		(i) upto 10 H.P.	Rs. 11.35 (Rupees eleven and paise thrirty five only) per unit.
		(ii) above 10 H.P. and upto 30 H.P.	Rs. 20.30 (Rupees twenty and paise thrirty only) per unit.
		(iii) above 30 H.P. and upto 50 H.P.	Rs. 28.00 (Rupees twenty eight only) per unit.
	4610	All types of cables and conductors insulated or otherwise not elsewhere specified.	(i) Rs. 5.80 (Rupees five and paise eighty only) per kg. of copper content, if any,

1	2	3	4
			plus (ii) Rs. 4.00 (Rupees four only) per kg. in respect of Aluminium content, plus (iii) Rate of drawback applicable in respect of tin content under sub-serial No. 3709, plus (iv) Rate of drawback applicable for lead content under sub-serial No. 3822, plus (v) Rate of drawback applicable for zinc content under sub-serial No. 3702, plus (vi) Rs. 467.00 (Rupees four hundred and sixty seven only) per tonne of steel tape content, if any, plus (vii) Rate of drawback applicable for P.V.C. compound content under sub-serial No. 1918(a), plus (viii) Rate of drawback applicable in respect of polythene content under sub-serial No. 1914, plus (ix) Rate of drawback applicable in respect of jute content under sub-serial No. 2722, plus (x) Rate of drawback applicable in respect of polyamide content under sub-serial No. 1911, plus (xi) Rate of drawback applicable under sub-serial No. 3617 (i) or 3617 (ii), as the case may be, in respect of steel core wire content. plus (xii) Rs. 5.35 (Rupees five and paise thirty five only) per kg. of insulation paper content, if any. plus (xiii) Rs. 4.10 (Rupees four and paise ten only) per kg. of the impregnating compound, if any, plus (xiv) Rate of drawback applicable in respect of synthetic man made filament yarn content under sub-serial No. 2513.
4611	Vacant.		
4612	Power and Distribution Transformers other than potential and current transformers of the following voltage and ratings :		
	(a) *Below 22 KV*—		
	(i) Upto 50 KVA		Rs. 33.15 (Rupees thrity three and paise fifteen only) per KVA.
	(ii) Above 50 KVA and upto 100 KVA		Rs. 28.00 (Rupees twenty eight only) per KVA.
	(iii) Above 100 KVA and upto 300 KVA		Rs. 16.80 (Rupees sixteen and paise eighty only) per KVA.
	(iv) Above 300 KVA and upto 750 KVA		Rs. 12.65 (Rupees twelve and paise sixty five only) per KVA.
	(v) Above 750 KVA and below 1000 KVA		Rs. 10.70 (Rupees ten and paise seventy only) per KVA.
	(vi) 1000 KVA and above and upto 1600 KVA		Rs. 11.10 (Rupees eleven and paise ten only) per KVA.
	(q)11 *KV*		
	(i) Above 1600 KVA and upto 3150 KVA		Rs. 7.30 (Rupees seven and paise thrity only) per K.V.
	(ii) Above 3150 KVA and upto 6300 KVA		Rs. 6.05 (Rupees six and paise five only) per KVA.
	(iii) Above 6300 KVA and upto 10,000 KVA		Rs. 5.15 (Rupees five and paise fifteen only) per KVA.

1	2	3	4
		(c) 22 *KV to* 33 *KV*	
		(i) Upto 300 KVA	Rs. 18.05 (Rupees eighteen and paise five only) per KVA.
		(ii) Above 300 KVA and upto 750 KVA	Rs. 14.00 (Rupees fourteen only) per KVA.
		(iii) Above 750 KVA and below 1000 KVA	Rs. 12.20 (Rupees twelve and paise twenty only) per KVA.
		(iv) 1000 KVA and above and upto 1600 KVA	Rs. 12.65 (Rupees twelve and paise sixty five only) per KVA.
		(d) 33 *KV*—	
		(i) Above 1600 KVA and upto 3150 KVA	Rs. 7.75 (Rupees seven and paise seventy five only) perKVA.
		(ii) Above 3150 KVA and upto 6300 KVA	Rs. 6.15 (Rupees six and paise fifteen only) per KVA.
		(iii) Above 6300 KVA and upto 10,000 KVA	Rs. 5.35 (Rupees five and paise thrity five only) per KVA.
		(E) 66 *KV*—	
		(i) 5000 KVA and above and upto 6300 KVA	Rs. 7.50 (Rupees seven and paise fifty only) per KVA.
		(ii) Above 6300 KVA and upto 10,000 KVA	Rs. 6.40 (Rupees six and paise forty only) per KVA.
	4613	Vacant.	
	4614	Vacant.	
	4615	Vacant.	
	4616	Vacant.	
	4617	(i) Switch fuse units of rating above 15 amps, rewirable upto 660 V.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
		(ii) Switch fuse units of rating above 15 amps, with HRC fuses, upto 660 V.	5.5% (Five point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(iii) Fuses, high rupturing capacity cartridge type above 15 amps.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
		(iv) Distribution fuse boards rating above 15 amps, and upto 660 V.	4.5% (Four point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(v) Cut out rating above 15 amps and upto 500 V.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
		(iv) Fuse units (not otherwise specified) rating above 15 amps and upto 660 V.	3.5% (Three point five per cent only) of the f.o.b. value.
47.		*Telecommunication Equipment and Apparatus, Parts thereof* :	
	4701	Telecommunication equipment and apparatus, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4702	Electronic valve/tuve/transistor/diodes for radios/ wireless receiving sets.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4703	(1) Transistor Radio and radio with valves completely assembled or in CKD/SKD condition.	12.5% (Twelve point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(2) Transistor radio and radio with valves in CKD/ SKD condition without cabinet.	10.5% (Ten point five per cent only) of the f.o.b. value.
	4704	(a) Silicon semi-conductor transistors	20% (Twenty per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) Silicon semi-conductor diodes	20% (Twenty per cent only) of the f.o.b. value.
48.		*Domestic Electrical Equipment, Electrical Apparatus for Medical purposes, Radiological Apparatus, Other Electric Machinery and Aparatus, Parts Thereof* :	
	4801	Domestic electrical equipment, electrical apparatus for medical purposes, radiological apparatus, other electric machinery and apparatus, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4802	Domestic refrigerator and component parts of domestic refrigerators.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	4803	Lead Acid Storage Batteries of the following types—	
		(1) Traction batteries (2) Train lighting batteries (3) Stationery batteries	Rs. 1 80 (Rupee one and paise eighty only) per kg. of the net wieght of fully assembled batteries.

1	2	3	4
	4804	Plates for the lead acid storage batteries of the following types :—	
		(1) Automobile batteries (2) Traction batteries (3) Train Lighting batteries (4) Stationery batteries	Rs. 2.35 (Rupees two and paise thirty five only) per kg.
	4805	Low tension power factor capacitors of paper—	
		(i) 380 Volts, 50 Cycle 3/2 phase	Rs. 22.00 (Rupees twenty two only) per KVAR.
		(ii) 400 Volts, 50 Cycles 3/2 phase	Rs. 19.85 (Rupees nineteen and paise eighty five only) per KVAR.
		(iii) 415 Volts, 50 Cycles 3/2 phase	Rs. 18.40 (Rupees eighteen and paise forty only) per KVAR.
		(iv) 440 Volts, 50 Cycles 3/2 phase	Rs. 16.35 (Rupees sixteen and paise thirty five only) per KVAR.
	4806	Electric lighting fittings—	
		(a) Fluorescent lighting fitting with chokes and starter and without tube.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value.
		(b) All others not specified at (a) above and without bulbs.	1.5% (One point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(c) Fluorescent chokes/ballast (20W, 40W, 65W and 80W) 110 Volts to 250 Volts.	Rs. 1.00 (Rupees one only) per unit.
	4807	Dry Cell Batteries—	
		(A) Metal clad—	
		(i) IR 20/UMI/size 'D'	Rs. 29.30 (Rupees twenty nine and paise thirty only) per one hundred pieces.
		(ii) IR 14/UM2/ Size 'C'	Rs. 16.30 (Rupees sixteen and paise thirty only) per one hundred pieces.
		(B) Plastic/Cellulose Acetate Clad—	
		(i) IR 20/UM1/Size 'D'	Rs. 22.75 (Rupees twenty two and paise seventy five only) per one hundred pieces.
		(ii) IR 14/UM2/Size 'C'	Rs. 10.80 (Rupees ten and paise eighty only) per one hundred pieces.
		(C) Other than 'A' and 'B' above—	
		(i) IR 20/UM1/ Size 'D'	Rs. 18.90 (Rupees eighteen and paise ninety only) per one hundred pieces.
		(ii) IR 14/UM2/Size 'C'	Rs. 10.30 (Rupees ten and paise thirty only) per one hundred pieces.
		(iii) IR6/GM3/ Size 'AA'	Rs. 9.50 (Rupees nine and paise fifty only) per one hundred pieces.
	4808	(A) Electric ceiling fans—	
		(i) Ceiling fans with Aluminium blades—	
		(a) 900 mm and 1050 mm sweep.	Rs. 17.65(Rupees seventeen and paise sixty five only) per unit.
		(b) 1200 mm sweep.	Rs. 23.00 (Rupee twenty three only) per unit.
		(c) 1400 mm and 1500 sweep.	Rs. 26.70 (Rupees twenty six and paise seventy only) per unit.
		(ii) Ceiling fans with other than Aluminium blades—	
		(a) 900 mm and 1050 sweep.	Rs. 15.45 (Rupees fifteen and paise forty five only) per unit.
		(b) 1200 mm sweep.	Rs. 19.45 (Rupees nineteen and paise forty five only) per unit.
		(c) 1400 mm and 1500 mm sweep.	Rs. 20.75 (Rupees twenty and paise seventy five only) per unit.

Note :—The above rates of drawback on fans are exclusive of drawback on regulators. When regulators are exported long with fans drawback at the rate mentioned against sub-serial No. 4811 is payable in addition to the above rates.

1	2	3	4
		(B) Table fans.	8% (Eight per cent only) of the f.o.b. value subject to a maximum of Rs. 15.50 (Rupees fifteen and paise fifty only) per unit.
	4809	Blades made of aluminium for electric ceiling fans.	Rs. 4.25 (Rupees four and paise twentyfive only) per kg.
	4810	Down rods for electric ceiling fans.	Rs. 0.45 (Paise forty five only) per kg.
	4811	Fans regulators other than electronic regulators.	Rs. 2.75 (Rupees two and paise seventy five only) per unit
	4812	Plastic electrical accessories mainly made of plastics and brass viz. switches, sockets, adapters, plugs, lamp holders and ceiling roses.	Rs. 3.70 (Rupees three and paise seventy only) per kg.
	4813	Paper capacitors/condensors of voltage rating 220 volts to 500 volts.	Rs. 0.68 (Paise sixty eight only) per Microfared (MFD)
49.		RAILWAY LOCOMOTIVES, WAGONS, COACHES	
		TRACK FIXTURES AND FITTINGS, TRAFFIC SIGNALLING EQUIPMENT ALL KINDS, PARTS THEREOF :	
	4901	Railway locomotives, wagons, coaches, track fixtures, and fittings, traffic signaling equipment all kinds, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
50.		VEHICLES (OTHER THAN RAILWAY), AIRCRAFTS,SHIPS,BOATS AND FLOATING STRUCTURES ALL SORTS, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF :	
	5001	Vehicles (other than Railway), aircrafts, ships,boats and floating structures all sorts, parts and accessories thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5002	Parts of Motor Vehicles including Tractors other than those covered by sub-serial No. 4002 (B), namely the following :—	
		(i) parts made of cast iron.	0.3% (Point three per cent only) of the f.o.b.value.
		(ii) parts made of steel sections, sheets and pipes.	1.25% (One point twenty five per cent only) of the f.o.b. value
		(iii) Vacant.	
		(iv) Voltage Regulators.	6% (Six per cent only) of the f.o.b. value.
		(v) Vacant.	
		(vi) Commutators.	8.5% (Eight point five per cent only) of the f.o.b. value.
		(vii) Vacant.	
		(viii) Vacant.	
		(ix) Vacant.	
		(x) Brake linings and clutch facing.	5% (Five per cent only) of the f.o.b. value.
		(xi) Vacant.	
		(xii) Vacant.	
		(xiii) Vacant.	
		(xiv) Tyre, tubes and flaps.	Rate of drawback admissible under sub-serial No. 2002.
		(xv) Auto tube valves.	Rate of drawback admissible under sub-serial No. 5009.
		(xvi) Lead Acid Storage Batteries.	Rs. 1.80 (Rupee one and paise eighty only) per kg. of the net weight of fully assembled batteries.
		(xvii) Spring leaves Axle shafts and coil springs used in automobiles.	Rs. 176.50 (Rupees one hundred seventy six and paise fifty only) per tonne.
		(xviii) Automotive steel roller/bush chains.	Rs. 775.00 (Rupees seven hundred and seventy five only) per tonne.
		(xix) All others not elsewhere specified in this item excluding those made of natural raw rubber.	1.25% (One point twenty five per cent only) of the f.o.b. value.
		Note —(1) The rate of drawback shown against items (i), (ii) and (ixx) above is based on the duty incidence on steel. If the exporter can establish to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs that the goods are made of any other material for which rate exist under Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated 15-10-1971, as amended from time to time drawback may be allowed under the relevant sub serial No. of the said Public Notice.	

1	2	3	4
		(2) The above rates of drawback will be applicable provided no rebate of Central Excise duty paid on the raw materials of components used in the manufacture of finished products has been availed of under rule 56-A or any other provisions of the Central Excise Rules, 1944.	
	5003	Trollies.	Rs. 326.00 (Rupees three hundred and twenty six only) per tonne.
	5004	(i) Bicycles complete, assembled or unassembled including accessories.	12.5% (Twelve point five per cent only) of the f.o.b. value subject to maximum of Rs. 29.00 (Rupees twenty nine only) per bicycle.
		Note :—Additional drawback of Rs 3.50 (Rupees three and paise fifty only) is payable on each Dynamo when exported with bicycle.	
		(ii) Components, spare parts and accessories of bicycles, other than bicycle sookes, nipples, washers, chains, rim liners, saddle covers (made of leather) rubber portion of pedals, tools and tool boxes, cycle pumps, tyres and tubes, tube valves and free wheels.	12.5% (Twelve point five per cent only) of the f.o.b. value
		(iii) Bicycle free wheels.	9% (Nine per cent only) of the f.o.b. value.
	5005	Bicycle chains all sorts whether assembled or unassembled, and whether in running length or otherwise.	Re. 1.00 (Rupee one only) per kg.
	5006	Bicycle spokes—	
		(a) Galvanised spokes without nipples and washers.	Rs. 595.00 (Rupees fivehundred and ninety five only) per tonne.
		(b) Brass nipples for bicycle spokes.	At the rate applicable under sub-serial No. 3805(b).
		(c) Complete spokes with brass nipples and washers.	Rs. 824.00 (Rupees eight hundred and twenty four only) per tonne.
		(d) Washers for bicycle spokes—	
		(i) made of tin plate.	At the rate applicable for sub-serial No. 3618.
		(ii) Galvanised, made of mild steel strips.	Rs. 879.00 (Rupees eight hundred and seventy nine only) per tonne.
	5007	Vacant.	
	5008	Vacant.	
	5009	Auto and Bicycle tube valves complete, when exported as such without rubber buffing.	Rs. 2.65 (Rupees two and paise sixty five only) per kg.
51.		SANITARY, PLUMBING HEATING, LIGHTING FIXTURES AND FITTINGS AND PARTS THEREOF :	
	5101	Sanitary, plumbing, heating, lighting fixtures and fittings and parts thereof not elsewhere specified	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
52.		FURNITURE :	
	5201	Furniture not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5202	Steel furniture (excluding tubular steel furniture and furniture tubes) including lockers cabinet and other safe deposit equipment, strong doors, steel windows and doors but excluding parts thereof made of stainless steel—	
		(a) made of steel sheets or strips of less than 5 mm thickness.	Rs. 473.00 (Rupees four hundred and seventy three only) per tonne.
		(b) All others.	Rs. 326.00 (Rupees three hundred and twenty six only) per tonne.

1	2	3	4
53.		OPTICAL, PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC, MEASURING, CHECKING, PRECISION, MEDICAL AND SURGICAL INSTRUMENTS, APPRATUS AND EQUIPMENT, PARTS THEREOF :	
	5301	Optical, photographic, cinematographic, measuring, checking, precision, medical and surgical instruments, appratus and equipment, parts thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
54.		CLOCK ANDWATCHES AND PARTS THEREOF :	
	5401	Clock and watches and parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
55.		MUSICAL INSTRUMEMTS, SOUND RECORDS AND REPRODUCERS, PARTS AND ACCESSORIES THEREOF :	
	5501	Musical instruments, sound records and reproducers, parts and accessories thereof, not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5502	Public address equipment viz., microphone, amplifier, speaker, horn unit combination, drive unit and megaphone.	3% (Three per cent only) of the f.o.b. value.
56.		TOYS, GAMES AND SPORTS REQUISITES, PARTS THEREOF :	
	5601	Toys, Games and sports requisites, parts thereof not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the invidudual manufacturer/exporter.
	5602	(i) Leather footballs/rugby balls covers with or without bladders. (ii) Rubber bladders for (i) above.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value.
	5603	Cricket and Hockey leather balls of standard sizes (5-1/2 oz to 5-3/4 oz).	Rs. 12.50 (Rupees twelve and paise fifty only) per one hundred pieces exclusive of drawback on packing materials used, if any.
57.		OFFICE AND STATIONERY SUPPLIES :	
	5701	Office and stationery supplies not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5702	Fountain pens, ball point pens, sign pens, fibre tippens, and fountain pen nibs (including stainless steel fountain pen nibs) tipped with iridium alloy pen points and ball point pens refills (metal or plastic).	2.5% Two point five per cent only) of the export f.o.b. value.
58.		ARTICLES MADE WHOLLY OR PARTLY OF ALABASTER OR GOLD OR SILVER :	
	5801	Articles made wholly or partly of alabaster or gold or silver not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5802	Vacant.	
	5803	Handicrafts and other articles made of alabaster.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
59.		MANUFACTURED ARTICLES, NAMELY BRUSHES, ALL SORTS EXCEPT CARBON BRUSHES, ZIP FASTNER, SNAP FASTNER, MECHANICAL LIGHTER, ARTIFICIAL HAIR WIG AND THE LIKE AND IVORY PRODUCTS :	
	5901	Manufactured articles, namely, brushes all sorts except carbon brushes, zip fastner, snap fastner, mechanical lighter, artificial hair, wig and the like and ivory products not elsewhere specified.	Brand rate to be fixed on an application from the individual manufacturer/exporter.
	5902	Metallic zip fastners—	
		(i) made of brass—	
		(a) size No. 3	Rs. 96.00 (Rupees ninety six only) per one thousand metres.
		(b) size No. 5 or bigger than that.	Rs. 165.00 (Rupees one hundred and sixty five only) per one thousand metres.

1	2	3	4
		(ii) made of aluminium—	
		(a) size No. 3	Rs. 43.00 (Rupees forty three only) per one thousand metres.
		(b) size No. 5 or bigger than that.	Rs. 70.00 (Rupees seventy only) per one thousand metres.
5903	Ivory products.		Rs. 235.00 (Rupees two hundred and thirty five only) per kg.

Note:—(1) The rates of drawback mentioned in this Public Notice shall not be applicable to the export of any of the commodity/product covered by any sub-serial number of this Public Notice, if such/commodity/product is claimed to be exported in discharge of export obligation under a Duty Exemption Entitlement Certificate granted to the exported in terms of Notification No. 5—Cus/F. No. 602/33/75-DBK dated 31-1-1976 or Notification No. 138-Cus/F. No. 602/9/76-DBK dated 1-7-1977 as amended from time to time.

(2) (a) Except as provided in clause (b) no drawback under any of the sub-serial numbers of this Public Notice shall be admissible on containers all sorts, filled with tea or packing materials used in, or in relation to, such containers so filled with tea.

(b) Nothing contained in clause (a) above shall apply to tea bags and packing materials used in relation to such tea bags.

Explanation : —In note (2) above, 'tea bag' means a pouch or a folded bag made of porous filter paper or nylon mesh containing not more than 5 grams net of tea per bag for direct infusion along with the said porous material.

(3) No drawback shall be allowed on any goods being packing materials used in or in relation to the export of—

(a) jute yarn (including Bimlipatam jute or mesta fibre), twist, twine, thread and ropes in which jute yarn predominates in weight.

(b) jute fabrics (including Bimlipatam jute or mesta fibre), in which jute predominates in weight.

(c) jute manufactures not elsewhere specified (including Bimlipatam jute or mesta fibre), in which jute predominates in weight.

The provisions of rule 3(1), rule 6 and rule 7 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 are reproduced below for the information of trade and industry :—

"3. DRAWBACK—(1) Subject to the provisions of—

(a) the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and the rules made thereunder,

(b) the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made there under, and

(c) these rules,

a drawback may be allowed on the export of goods specified in the Schedule at such amount, or at such rates, as may be determined by the Central Government.

Provided that where any goods are produced or manufactured from imported materials or excisable materials, on some of which only duty chargeable thereon has been paid and not on the rest, or only a part of duty chargeable has been paid, or the duty paid has been rebated or refunded in whole or in part or given as credit, under any of the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the rules made thereunder or of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder, the drawback admissible on the said goods shall be reduced taking into account the lesser duty paid or the rebate, refund or credit obtained.

Provided further that no drawback shall be allowed :—

(i) if the said goods have been taken into use after manufacture; or

(ii) if the said goods are produced or manufactured using imported materials or excisable materials in respect of which duties have not been paid; or

(iii) Save as otherwise provided in sub-rule 1(A), if the said goods being containers, all sorts filled with tea or packing materials used in, or in relation to, such containers so filled with tea, are exported.

(iv) if the said goods being packing materials used in or in relation to the export of—

(1) jute yarn (including Bimlipatam jute or mesta fibre), twist, twine, thread and ropes in which jute yarn predominates in weight;

(2) jute fabric (including Bimlipatam jute or mesta fibre), in which jute predominates in weight;

(3) jute manufacture not elsewhere specified (including Bimlipatam jute or mesta fibre) in which jute predominates in weight.

1(A)—Nothing contained in clause (iii) of the second proviso to sub-rule (1) shall apply to tea bags and packing materials used in relation to such tea bags.

Explanation :—In this sub-rule, 'tea bag' means a pouch or a folded bag made of porous filter paper or nylon mesh containing not more than 5 gramms net of tea per bag for direct infusion along with the said porous material."

"6. Cases where amount or rate of drawback has not been determined :—

(1)(a) Where no amount or rate of drawback has been determined in respect of any goods, any manufacturer or exporter of such goods may, before exporting such goods, apply in writing to the Central Government for the determination of the amount or rate of drawback therefor stating all relevant facts including the proportion in which the materials or components are used in the production or manufacture of goods and the/duties paid on such materials or components.

(b) On receipt of an application under clause (a) the Central Government shall after making or causing to be made such inquiry as it deems fit, determine the amount or rate of drawback in respect of such goods.,

(2)(a) Where an exporter desires that he may be granted drawback provisionally, he may, after making on application under clause (a) of sub-rule (1), apply in writing to the Central Government that a provisional amount be granted to him towards drawback on the export of such goods pending determination of the amount or rates of drawback under clause (b) of that sub-rules.

(b) The Central Government may after considering the application authorised the Collector of Customs at the port where the goods are exported to pay provisionally an amount not exceeding the amount claimed by the exporter in respect of such exports;

Provided that the Collector of Customs may, for the purpose of allowing provisional payment of drawback in respect of such export require the exporter to enter into a general bond for such amount, and subject to such conditions, as the Collector of Customs may direct; or to enter into a bond for an amount not exceeding the full amount claimed by such exporter as drawback in respect of a particular consignment and binding himself—

(i) to refund the amount so sanctioned provisionally if, for any reason, the Central Government decides not to allow the drawback; or

(ii) to refund to excess if any, paid to him provisionally if the Central Government decides to allow a drawback;

Provided further that when the amount or rate of drawback payable on such goods is finally determined, the amount provisionally paid to such exporter shall be adjusted against the drawback finally payable and if the amount so adjusted is in excess or falls short of the drawback finally payable, he shall repay to the Collector of Customs the excess or be entitled to the deficiency, as the case may be.

(c) The bond referred to in clause (b) may be with such surety or security as the Collector of Customs may direct.

(3) Where the Central Government considers it necessary so to do, it may cancel authorisation referred to in sub-rule (2) from such date as it may specify."

7. Cases where amount or rate of drawback determined is low :

(1) Where in respect of any goods, the manufacturer or exporter finds that the amount or rate of drawback determined under rule 3 or, as the case may be, revised under rule 4 for that class of goods is less that three-fourths of the duties paid on the materials or components used in the production or manufacture of the said goods, he may make an application in writing to the Central Government for fixation of appropriate amount or rate of drawback stating all relevant facts including the proportion in which the materials or components are used in the production or manufacture of the goods and the duties paid on such materials or components.

(2) On receipt of the application referred to in sub-rule (1) the Central Government may, after making or causing to be made such enquiry as it deems fit, allow payment of drawback to such exporter at such amount or at such rate as may be determined to be appropriate if the amount or rate of drawback determined under rule 3 or as the case may be revised in rule 4 is in fact less than three-fourths of such amount or rate determined under this sub-rule.,

All the goods in respect of which drawback is allowed by Government on export are covered by the 59 main heads in the table. 'All Industry' rates of drawback have been prescribed in respect of as many products as possible. Where a particular export product falling within the general description of any of 59 main heads is not covered by the 'all industry' rates, the exports may get the brand rates fixed under Rule 6. The exporters can also avail of the facility of fixation of rate or amount of drawback upto the drawback claimed in terms of rule 6(2) of the Rules.

Where an exporter finds that in his case the rate or amount of drawback is less than three-fourths of the duties paid on the materials and components used in the production or manufacture of goods, the facility of fixation of special brand rate may be availed of under rule 7 of the Rules.

C. D. RANGACHARI,

Dy. Secretary to the Govt. of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978

246 GI/78—14